खण्ड-235, अंक-6
बुधवार, 11 आश्विन, शक संवत् 1884
(3 अक्टूबर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५२१–५२५
प्रश्नोत्तर	५२५–५४१
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	५४१
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	५४१
श्री पूरनलाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	५४१–५४२
द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (भाग १) (प्रस्तुत किया गया) ..	५४२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४३
श्री पूरनलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४३–५४४
दबौलिया बांध, गोलीकाण्ड पर श्री नवल किशोर द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४५–५४८
नेशनल हेरल्ड के सम्पादकीय लेख में टीका के सम्बन्ध में उक्त पत्र तथा उसके सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४८–५५०
उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ का समर्थन करने के बारे में आदेश के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५५०–५५१
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	५५१–५५२
कतिपय सदस्यों के निलम्बन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	५५२–५६०
प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण वर्षा से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य	५६०–५७२
विधान सभा के सदस्य श्री पूरनलाल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ११३ के अन्तर्गत कार्य-स्थगन हेतु प्रस्ताव (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५७२–५७३
उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय---विचार जारी)	५७३–६०३
नत्थियां	६०४–६०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १०॥ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री

जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद ,श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री]
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह , श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव , श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती]
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअवीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबलि मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ 'प्रणव' पांडेय, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीधर मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ३ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सहकारी समितियों पर कर्ज

*१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों पर सरकारी कर्ज का कितना रुपया बकाया है ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—२,२०,००,८२८ रु० २६ नये पैसे बकाया हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बकाया कितने दिनों से है और इसकी वसूली का अब तक क्या प्रयास किया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—बकाया तो किस्तों में वसूल होता है और इस बकाया म कुछ इस साल का होगा कुछ पुराना भी हो सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—जो बकाया है २ लाख से भी अधिक, यह कुल कितनी सोसायटीज पर मिला कर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो तमाम सोसायटीज हैं। यहां बैंक से कर्जा जिला कोआपरेटिव बैंक को दिया जाता है और वह अपनी-अपनी सोसायटीज को जो हजारों की तादाद में हैं, उन सब पर यह कर्जा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—इस बकाया में बस्ती की वह भी केन सोसायटी शामिल है जिसे मालवीया जी के लोग चलाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केन सोसायटी इससे ताल्लुक नहीं रखती। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में केन डिपार्टमेंट अलग है। हमारे यहां की जो फीगर्स हैं वे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की हैं।

श्री रामायण राय—मंत्री जी ने कहा बकाया किस्तों में वसूल किया जाता है। अगर कोई सोसायटी किस्त भी न अदा करे तो ऐसी हालत में सरकार वसूल करने के लिये क्या करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर कुछ ऐसी ग्राउन्ड्स होती हैं बकाया न देने की जैसे कोई कलमिटी हो जाय तो अगल वर्ष म वसूल हो जाती है। और अगर वैसे ही कोई डिफाल्ट होता है तो पैनाल्टी का सूद लगता है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पर रुपया बकाया रह जाता है उन्हें अगले साल के लिये जो रुपया दिया जाता उससे वंचित रखा जाता है कि नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नियमों के अनुसार काम किया जाता है। जिन सोसायटीज ने ऐसी पालिसी बना रखी है कि बकायेदारों को नहीं देंगे तो नहीं देते होंगे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—मंत्री जी बतायेंगे कि बकाया वसूल न होने का कारण यह है कि बोगस ऐन्ट्रीज कर दी जाती हैं, एक दिन कर्जा वसूल किया और दूसरे दिन फिर नाम चढ़ा दिया जिससे पैसा वसूल नहीं होता। क्या यह सरकार के नोटिस में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कर्जा लिया जाता है तो किस्तों में अदायगी होती है। तो बहुत से बकाया ऐसे हैं जिनकी किस्त भी न ड्यू हुई हो।

स्माल पाक्स स्कीम के अन्तर्गत इण्टरव्यू

*२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्माल-पाक्स स्कीम के अन्तर्गत सरकार ने पैरा मेडिकल असिस्टेंट, हेल्थविजिटर और वैक्सीनेटर के लिये जून मास में जो इन्टरव्यू लिया था उसमें कुल कितने उम्मीदवार शामिल हुये थे?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—स्माल-पाक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, १९६२ में जो इन्टरव्यू हुआ था उसमें निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे:—

पैरा मेडिकल असिस्टेंट	४८७
हेल्थ विजिटर लिए नहीं गये	
वैक्सीनेटर	४,७४४

*३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिन उम्मीदवारों को इस स्कीम के अन्तर्गत नौकर रक्खा गया है उनमें अछूतों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—परिगणित जाति की संख्या इस प्रकार है—

पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट	२
वैक्सीनेटर	२४८

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि इसमें जो पैरा मेडिकल असिस्टेंट ४८७ और वैक्सिनेटर ४,७४४ उम्मीद वार की शकल में इंटरव्यू के लिये आये थे उनमें अलग-अलग कितने सिलेक्ट किये गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—पैरा मेडिकल असिस्टेंट १७ और वेक्सिनेटर १,९४४ लिये गये ।

श्री रामायणराय—उक्त पदों के लिये समाचार-पत्रों में जो विज्ञापन दिया गया उसमें विभिन्न पदों के लिये विभिन्न योग्यतायें निर्धारित की गयी थीं और उसके साथ-साथ तनख्वाहें भी दी गयी थीं, लेकिन बाद को जब नियुक्ति पत्र दिया गया तो हेल्थ एजूकेटर, पैरा मेडिकल असिस्टेंट और चेचक इंस्पेक्टर की तनख्वाहें एक ही प्रकार की दी गयीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मेरे खयाल में ऐसा नहीं है ।

खालिसपुर हाई स्कूल में हरिजन विद्यार्थियों के नाम से लिया गया धन

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खालिसपुर हाई स्कूल तहसील व जिला वाराणसी में फर्जी हरिजन लड़कों का नाम लिख कर फीस का रुपया सरकार से लेने के सम्बन्ध में धारा ४२०, आई० पी० सी० के अन्तर्गत फूलपुर थाने की पुलिस ने चार्जशीट लगा कर करीब ३ महीना हुआ सीनियर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के यहां मुकदमा कायम करने के लिये भेजा है ? यदि हां, तो क्या वह केस अदालत में चला गया ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कालेज के मैनेजर जिन्होंने रुपया निकालने का स्टेटमेंट बनाकर सरकारी खजाने से निकाला है उनको भी चार्ज शीट में रक्खा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। यह मुकदमा २३ जुलाई, १९६२ को अदालत में चला गया।

मैनेजर के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें चार्जशीट में अभियुक्त नहीं बनाया गया।

श्री ऊदल—जो रुपया मैनेजर ने स्टेटमेंट बना कर निकाला है उस पर मैनेजर के हस्ताक्षर हैं जिनको मैंने स्वयं देखा है, तो इसके अलावा और पर्याप्त सबूत की क्या आवश्यकता है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—पुलिस की राय में जो सिगनेचर हुए हैं वे बहुत फार्मल हैं, सबूत के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये मुकदमें उन को शामिल नहीं किया गया।

श्री ऊदल—इस केस के अलावा मेरी जानकारी में ५० हरिजन लड़कों का फर्जी स्कूल में नाम लिख कर हर साल सरकार के पास फर्जी स्टेटमेंट भेज कर पया लिया जाता रहा है, तो क्या सरकार पुनः जांच कराने की कृपा करेगी जिस से फर्जी काम रुक सके?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह मुकदमा चल रहा है। मुकदमे के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—इस केस में अभियुक्त कौन-कौन हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस केस में अभियुक्त—गणेशप्रसाद सिंह, प्रिंसिपल; सत्यदेव सिंह, सहायक अध्यापक; नारायण सिंह, सहायक अध्यापक हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जो अभियुक्त बनाये गये हैं उनके बयानात में साफ कहा गया है कि मनेजर को राय से ऐसा किया गया, लेकिन चूंकि मैनेजर पी० सी० सी० के मेम्बर हैं, इसलिये उन पर केस नहीं चलाया गया दबाव डाल कर?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी बात नहीं है। उनके बयानों की सूचना नहीं ह।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—अनेक शिकायतें समय-समय पर स्कूलों के सम्बन्ध में इस सदन में आई हैं। तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था पर विचार करेगी कि जिन लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह सीधे विभागों से उनको भेज दी जाया करे और मैनेजरों के या अध्यापकों के थ्रू न दी जाया करे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अब ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है। जिन स्कूलों के बाबत मालूम हो जायगा उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि जो हिसाब-किताब का थोरा रुपया प्राप्त करने का दिया जाता है उसमें प्रिन्सिपल और व्यवस्थापक दोनों के हस्ताक्षर रहते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो कायदे की बात है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध था वह मने उत्तर दे दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री उन मैनेजर का नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे अफसोस है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अब तक मैनेजर का नाम मालूम नहीं हो सका।

गोरखपुर जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ सहायता

*५—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६० से दिसम्बर, १९६१ तक गोरखपुर जिले में किन-किन स्थानों पर नये कुओं के निर्माण व पुराने कुओं की मरम्मत के लिये किन-किन हरिजनों के नाम कितना कितना रुपया स्वीकृत किया गया था और उनमें से किन-किन स्थानों पर कुएं बन चुके हैं ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—†सूचना संलग्न है।

श्री रामसूरतप्रसाद—११४ नये कुओं की स्वीकृति दी गयी और ३३ पुराने कुओं की मरम्मत के लिये स्वीकृति दी गयी जिसमें से केवल २५ नये कुएं पूर्ण हो पाय हैं और ८९ अपूर्ण हैं। तो इन कुओं को पूरा करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से ये अपुर्ण रहे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कुछ तो जिनको अनुदान दिया गया वे अपना हिस्सा नहीं दे सके इस वजह से वे कुएं नहीं बन सके और कुछ कुओं की ऐसी बात थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के यह आदेश थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का रुपया उनको न दिया जाय जब तक कुएं पूरे न हो जायं। वह एक बाटलनेक हो गया था जो अब दूर हो गया है। जिन व्यक्तियों को पूर्ण अनुदान नहीं दिया गया था वह अब दे दिया गया है और अगर वे अपना हिस्सा लगायेंगे तो जल्दी पूर्ण हो जायंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तालिका में बड़हलगंज ब्लाक में जितने कुयें सैंक्शन किये गये हैं उनमें से कितने कुएं पूर्ण हैं और कितने अपूर्ण हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उनका ब्यौरा तो मैंने इसमें लिख दिया है, कालम नम्बर ७ में।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या जो कुएं पूर्ण हो गये हैं उनकी कोई जानकारी मंत्री जी ने करायी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय—जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे, जितने कुएं सैंक्शन हुए उतने कुएं नहीं बने। बहुधा यह देखने में आता है कि नये कार्यों के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह उस काम में इस्तेमाल नहीं होता है और कभी-कभी अधूरा काम हो पाता है। तो क्या सरकार अनुदान देने के ढंग और निर्माण के वर्तमान स्वरूप पर पुनः विचार करेगी। जिससे अनुदान जिस काम के लिये दिया जाता है वह काम पूरा कराया जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस बात की तो कोशिश की जाती है और अगर कोई और सुझाव माननीय सदस्य दें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—जो धनराशि अनुदान की दी गयी है उसमें कितनी सेंट्रल गवर्नमेन्ट की है और कितनी प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बड़हलगंज ब्लाक में मुनीश्वर हरिजन को धनराशि स्वीकृत की गई और उसको अपूर्ण लिखा गया है जब कि किसी प्रकार का कोई काम उक्त कुएं के लिये शुरू नहीं किया गया ?

---

†छापी नहीं गई है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है। जांच कराई जायगी।

वाराणसी में हरिजनों को सहायता

*६—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका तथा कारपोरेशन के अन्दर बसने वाले हरिजनों को हरिजन कल्याण विभाग से कोई सहायता मकान, कुटीर उद्योग आदि के वास्ते दी जाती है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। कुटीर उद्योग के लिये सभी हरिजनों को तथा मकान के लिये केवल मेहतरों को अनुदान देने की व्यवस्था है।

*७—**श्री गिरधारीलाल**—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के अन्दर सन् १९५९ से १९६२ जुलाई तक कितने हरिजनों को आर्थिक सहायता विभिन्न मदों में दी गयी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त अवधि में वाराणसी शहर के अन्दर १३ हरिजनों को एवं एक सहकारी समिति को विभिन्न मदों में सहायता दी गयी।

श्री गिरधारीलाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तीन वर्ष में केवल १३ हरिजनों तथा एक समिति को सहायता दी गयी? तो क्या उनके ही आवेदनपत्र आये थे या ज्यादा आये और जो ज्यादा सहायता दी गई, वह किन-किन मदों में, कितनी सहायता दी गई?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—गृह मरम्मत के लिये १९५९-६० में दो व्यक्तियों को २०० रुपये का अनुदान दिया गया। कुटीर उद्योग के लिये ६ व्यक्तियों को १,४०० रुपये का अनुदान दिया गया। १९६०-६१ में कुटीर उद्योग के लिये एक व्यक्ति को १५० रुपये का तथा कुटीर उद्योग सहकारी समिति को, जिसमें १५ हरिजन हैं, २,५०० रुपये का अनुदान दिया गया। चार राज यक्ष्मा के रोगियों को ३५० रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब शहरों के लिये रोक नहीं थी तो शहरों के हरिजनों को स्वीकृति दे दी गई थी और उसमें उनको एक किस्त दे दी गई और यह नियम जानने पर कि शहरों को नहीं दी जा सकती है तो बाक़ी रुपया उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या मन्त्री जी ऐसी कृपा करेंगे कि जिनको स्वीकृति दे दी गयी है उनको मकान के लिये और रुपया दे दिया जाय?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यदि माननीय सदस्य पर्टीक्यूलर्स देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनारस शहर और जिले के लिये ८५,००० रुपया दिया था उसमें से काफी रुपया बच गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसकी जानकारी नहीं है। सूचना की आवश्यकता है, जांच करा सकता हूं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि हरिजन विभाग से जो ग्रांट दी जाती है वह ब्लाक स्तर पर वितरित की जाती है? भविष्य में नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बंटवारे की क्या व्यवस्था करने जा रह ह?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह व्यवस्था विचाराधीन है।

श्री गिरधारी लाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार के कोई ऐसे आदेश हैं कि शहर का कुल रुपया ब्लाक को दे दिया है जिससे म्युनिसपैलिटी में बसने वाले हरिजनों को सहायता नहीं मिलती है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसे आदेश नहीं हैं ।

श्री विजयसिंह—यह सहायता जिस तरह से मेहतरों को दी जाती है अन्य हरिजनों को क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—यह अलग से पूछ सकते हैं ।

*८-९—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—[हटा दिये गये ।]

बिक्री-कर की वसूली

*१०—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस व गाजियाबाद में वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में कितना बिक्री-कर वसूल होना था तथा कितना वसूल हुआ ; यह भी बताने की कृपा करेगी कि हर जगह कितना स्टाफ कार्य कर रहा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—लखनऊ, वाराणसी तथा गाजियाबाद में वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में वसूल होने वाले तथा वसूल हुई बिक्री-कर की राशि तथा इन स्थानों में स्टाफ की संख्या संलग्न सूची में दी गई है । शेष स्थानों की सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०४ पर)

श्री तेजसिंह—श्रीमान् जी, गाजियाबाद में १९६०-६१ में जो वसूल नहीं हुआ सेल्स टैक्स वह ११ लाख २४ हजार २६१ है और १९६१-६२ में १४ लाख १५ हजार २५५ है, तो क्या १९६०-६१ का बकाया इसमें शामिल है या सिर्फ एक साल का बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—१९६०-६१ का भी उसमें शामिल है ।

श्री तेजसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह १४ लाख १५ हजार २५५ रुपया जो अभी बकाया है उसमें कितनी धनराशि ऐसी है जिसके लिए स्टेआर्डर गवर्नमेन्ट से या कोर्ट से मिले हैं और कितनी ऐसी हैं जो अब तक वैसे ही वसूल नहीं की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, अलग-अलग स्थानों का नहीं है । अगर चाहें तो छहों स्थानों का मिला कर बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त नहीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे जिलों को भी लिया गया है जहां पर बकाया रकम करोड़ों की है और वसूली की रकम लाखों में दी गयी है, इतनी बड़ी रकम बकाया होने और वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—जो रकम दी गई है वह वह है जो कार्यवाही करने से वसूल हुई है । बहुत से व्यापारी जो अपने आप जमा कर देते हैं वह इसमें शामिल नहीं हैं । अगर वह चाहें तो बता सकता हूं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कानपुर में जो करोड़ों रुपया बाकी है वह किन-किन कारखानेदारों या बड़े-बड़े दूकानदारों पर बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—यह तफसील तो आज नहीं है, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न हो चुका है और उसमें पूरी तफसील के साथ में बता चुका हूं ।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—इस बकाया की धनराशि को देखते हुए वसूलयाबी बहुत ही कम है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स के असेसमेंट में और स्टाफ के ऊपर जो खर्चा होता है उतना रुपया कम से कम वसूल हो गया है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—जो रकम मैंने बतायी वह वह रकम है जो कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके वसूल हुई है। इसके अलावा वह रकम इससे कई गुना है जो कि व्यापारी अपने आप जमा करते हैं।

श्री रामायणराय—मान्यवर, बहुत बड़ी रकम बाकी है। तो हम यह जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि रेवेन्यू की वसूली में जो कोअर्सिव मेथड्स एडाप्ट किये जाते हैं, क्या वह मेथड्स कानपुर के इन लोगों पर जिन पर करोड़ों रुपया बाकी है, अप्लाई किये गए या नहीं किए गए, यह हम निश्चित जानना चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—उतने कोअर्सिव मेजर्स तो नहीं लिए गए। स्थिति को देखकर के कार्यवाही की जा रही है और सख्ती भी की जा रही है। लेकिन परेशानी यह होती है कि अगर उस तरह से कुर्की या नीलामी की कार्यवाही की जाय तो बहुत से हजारों मजदूरों का प्रश्न सामने आ जाता है इससे थोड़ी सी बातों को देख कर के काम करना पड़ता है।

श्री तेजसिंह—मैंने पूछा यह था कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस व गाजियाबाद में वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में कितना बिक्री-कर वसूल होना था तथा कितना वसूल हुआ ? वसूल होने का मतलब यह था कि कुल कितना बिक्री-कर वसूल होना था, यह नहीं कि कोअर्सिव मेजर से कितना वसूल हुआ। मंत्री जी ने बताया कि यह फिगर वह है कि जो कुर्की करके या वैसे वसूल किया गया। तो भाव तो यह था कि कुल कितनी सेल्स टैक्स से आमदनी होती है और उसमें से कितना वसूल हुआ न कि गवर्नमेन्ट ने कितना कोअर्सिव मेथड्स से वसूल किया। तो क्या माननीय मन्त्री इसका फिर जवाब देने की कृपा करेंगे कि कुल कितना वसूल होना था और कितना वसूल हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—पूछा यह गया था कि कितना रिकवर होना था। तो जो अपने आप वे देते हैं वह रिकवर होना नहीं होता। अगर चाहें तो मैं यह बता सकता हूं कि अलग-अलग कितना-कितना रुपया अपने आप जमा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—माननीय तेजसिंह का कहना है कि "वसूल होना था" का मतलब यह है कि टोटल असेसमेंट कितना था और जो रिअलाइज करना था और उसमें से ऐक्चुअल रिअलाइजेशन कितना था ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, ऐसा होता है कि वह तीन-तीन महीने का रिटर्न दाखिल करते हैं और उसमें रुपया अपने आप जमा करते जाते हैं। तो वह रुपया रिकवरी में शामिल नहीं होता है। कितना रुपया अलग-अलग दाखिल हुआ है, वह मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—बता दीजिए, ताकि और सवालात न हों।

श्री जयराम वर्मा—१९६१-६२ में गाजियाबाद में ८२,५६,८१६ रुपया, कानपुर में २,६९,१२,०७१ रुपया, आगरा में ८८,३४,६३९ रुपया, इलाहाबाद में ४३,०१,०६६ रुपया तथा वाराणसी में ६४,०४,२७० रुपया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी कुछ दिन पहले माननीय माल मंत्री जी ने एक वक्तव्य देते हुए यह कहा था कि प्रदेश में इस साल किसानों का लगान ९७.८,९८ प्रतिशत के करीब वसूल हो गया है, तो अध्यक्ष महोदय करोड़ों किसानों से लगान तो वसूल हो जाता है और सरकार बड़ी दक्षता और कार्यपटुता उसमें दिखलाती है, तो यह मुट्ठी भर पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया वसूल नहीं हो पाता है, इसके क्या खास कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि १५ अगस्त, १९६२ तक कानपुर में १ करोड़ ६२ लाख रुपया वसूल होना था, छमाही की किस्त का, उसमें से केवल १२ लाख रुपया वसूल हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी वसूली के लिये कड़ी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है चूंकि १५ अगस्त बीत चुका है और जो रुपया उस समय तक वसूल हो जाना चाहिये था वह जल्द से जल्द वसूल हो जाय?

श्री जयराम वर्मा—१५ अगस्त तक की मैं निश्चित धनराशि नहीं बतला सकता.....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, इसके लिये आप को सूचना की आवश्यकता है।

राजेपुर ग्राम के हरिजनों को अनुदान

*११—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद ब्लाक, पूरा ग्राम राजेपुर के हरिजनों को सन् १९५५ से सन् १९६१ तक कुल कितना अनुदान हरिजन कल्याण विभाग द्वारा किस-किस व्यक्ति को दिया गया और किस-किस किस्म के अनुदान दिये गये?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२,३६३ रुपये का अनुदान संलग्न सूची के अनुसार दिया गया है।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ ६०५ पर)

*१२—श्री सुखरामदास (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त हरिजनों में से किसी को कोई अनुदान दिया गया है और सरकार द्वारा वह अनुदान वापस (रिकवरी) करने का आदेश हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। एक हरिजन से अनुदान का दुरुपयोग करने के कारण अनुदान की रकम वापस करा ली गयी।

केहरीपुर ग्राम के हरिजनों के लिये भूमि

*१३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग ने केहरीपुर, जिला बिजनौर में सरकारी खर्चे पर कोई भूमि भूमिहीन हरिजनों में बांटने के लिये ली थी? यदि हां, तो क्या वह हरिजनों में बांट दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—जी हां। भूमि हरिजनों में बांट दी गई है।

श्री बसन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह भूमि किन-किन हरिजनों को दी गयी है और क्या एक हरिजन को १,५०० बीघा भूमि दी गयी है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी बात नहीं है। इसका ब्यौरा इस तरह है: जिला बिजनौर में १,४०६ बीघा १५ बिस्वा भूमि ४६ व्यक्तियों में बांट दी गयी तथा ३३१ बीघा ५ बिस्वा भूमि २४ परिवारों में बांटना शेष है। बसाये गये ४६ परिवारों में से ३६ परिवारों को ५०० रुपया प्रति परिवार तथा २ परिवारों को २५० रुपया प्रति परिवार बांटा गया। ८ परिवार ऐसे थे जिन्होंने वहां रहना बंद कर दिया तथा उनमें से कुछ लोगों का देहान्त हो गया। शेष धन और भूमि २४ परिवारों में बांटना है और अब वह बांटी जायगी।

श्री रामायणराय—उक्त भूमि के लिये किन लोगों ने आवेदन-पत्र दिया था और प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि देने का निश्चय सरकार का था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जरूरत के अनुसार देने का निश्चय था, कोई रेट मुकर्रर नहीं था और बाकी डिटेल्स के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय मन्त्री जी यह मान कर कि श्री सर्वानन्द को १,५०० बीघा जमीन दी गयी जिसको लैंड सीलिंग के वक्त फर्जी तौर पर माननीय गिरधारी लाल जी के भतीजे के नाम और उनके भाई के नाम, उनके सभा-सचिव के नाम और भतीजे के नाम से और जवाहरलाल के नाम से बयनामा किया गया है, बतलायेंगे कि क्या यह सच है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक और कम से कम कितनी जमीन दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं निश्चित की थी कि कम से कम कितनी जमीन दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बतलाया है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या यह सही है कि यह भूमि किसी एक व्यक्ति के नाम १,५०० बीघा कर दी गयी और लैंड सीलिंग के दो दिन पहले उसका फर्जी बयनामा हुआ जिसका चित्र माननीय सदस्य ने पहले किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कोई ऐसी सूचना नहीं है। चाहें तो दरियाफ्त करवा सकता हूं।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या इस सूचना को सरकार आधार मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—स्पेसिफिकली तो कह रहे हैं।

भरवारा ग्राम के हरिजनों के साथ ज्यादती की शिकायत

*१४—**श्री खेमचन्द** (जिला आगरा)—क्या सरकार को बता है कि ग्राम भरवारा, थाना मनियाव, जिला लखनऊ में कुछ उच्च जातीय लोग वहां के हरिजन लोगों के साथ जबर्दस्ती मार-पीट कर के बेगार कराते हैं और इस विषय में वहां के इन सताये गये लोगों की ओर से तत्विषयक प्रार्थना-पत्र सरकार को भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस विषय में एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांच कराई गई, परन्तु जबरदस्ती बेगार कराने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

श्री खेमचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, वह नाम तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं।

श्री रघुवीर—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र सरकार के पास कब आया और किस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच कराई गई, यह प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्तियों के बयान लिये गये ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के बयान लिये गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसमें ग्राम भरवारा थाना मनियाव जिला लखनऊ में हेमराव से जबर्दस्ती बेगार कराने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । जिसमें बाबूराव ने प्रार्थना जांच कराने के लिये की है । उसमें यह कहा गया है कि प्रार्थी ने अपने खेत पर काम करने के लिये एक आदमी को मजदूरी पर रखा था और उसका झगड़ा हुआ था और कोई विशेष बात नहीं थी । वह जांच सब-इंस्पेक्टर के द्वारा कराई गई थी । वह....

श्री अध्यक्ष—अच्छा छोड़िये । इट इज नाट इम्पार्टेन्ट (It is not important)

बस्ती जिले में हरिजनों के लिए घर व कुओं का निर्माण

*१५—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के घर व कुओं के बनाने के लिये बस्ती जिला हरिजन व समाज कल्याण विभाग को सन् १९६१-६२ आय-व्यय वाले वर्ष के लिये कितने रुपये सरकार ने अनुदान में दिये ? उसमें कितने खर्च हुये और कितने बाकी हैं ? यदि बहुत थोड़ा खर्च हुआ और सभी रुपये करीब-करीब बाकी हैं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—गृह निर्माण हेतु क्रमशः २८,५०० रु० तथा ४७,५०० रु० स्वीकृत हुआ । इसमें से क्रमशः ७,८०० रु० तथा २१,०५० रु० खर्च हुये और २०,७०० रु० तथा २६,४५० रु० बाकी है ।

गृह निर्माण कार्य में कम खर्च होने के कारण गत वर्षों का अवशेष धन ४०,१०० रु० इस वर्ष खर्च किया गया । इस वर्ष जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना कार्य रूप में लाने से धनराशि क्षेत्र स्तर पर वितरित हुई और इस कारण अनुदान की स्वीकृतियां देने में भी कुछ विलम्ब हुआ ।

*१६—श्री श्यामलाल—क्या सरकार सदन की मेज पर एक प्रतिलिपि रखेगी कि कितने हरिजनों के घर व कुएं गत वर्ष बस्ती जिले में बने, किस-किस ब्लाक में कहां-कहां बने और कितने-कितने सौ रुपये के लागत के हर घर और कुएं बने ?

श्री बंशीधर पांडेय—†सूचना संलग्न है ।

श्री श्यामलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इस साल गृह-निर्माण पर ४०,१०० रुपया खर्च हुआ, तो क्या इसमें इस वर्ष का भी रुपया मिला हुआ है, क्योंकि १९६०-६१ का रुपया थोड़ा सा बकाया है ? क्या इसका स्पष्टीकरण मंत्री जी करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है इसमें १९६०-६१ का बकाया नहीं है ।

श्री श्यामलाल—यह जो ४० हजार रुपया खर्च हुआ, क्या यह अगस्त से लेकर अक्तूबर तक के बीच में खर्च हुआ और किस किस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—डिटेल्स के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रघुवीर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २६०० के करीब जो रुपया खर्च नहीं हुआ उसके क्या कारण हैं ?

---

†छापी नहीं गई है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके कारणों की जांच तो मैंने नहीं कराई है ।

वाराणसी जिले में परिवार-नियोजन योजना का कार्यान्वयन

*१७—श्री रघुनाथसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में परिवार-नियोजन योजना का लाभ अलग-अलग विकास-खंडों में १९६२ के चालू वर्ष में जनवरी से जुलाई तक कितने दम्पत्ति (पति पत्नी) पा सके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१८—श्री रघुनाथसिंह—वाराणसी के परिवार नियोजन विभाग में कितनी महिला कर्मचारी हैं और उनके सेवाकार्य की रूप-रेखा क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रघुनाथसिंह—यह सूचना कब तक मिलेगी और क्या वह सूचना सदन में दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—१५ वें दिन यह सवाल फिर आयेगा ।

[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लकड़ी पर एकपदीय बिक्रीकर लगाने की मांग

*१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फ़तेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लकड़ी व बांस के व्यापारी संघ, उत्तर प्रदेश (हापुड़) का कोई स्मृति-पत्र जंगल के पेड़ों के नीलाम पर लगे बिक्री-कर के बारे में २० अगस्त से ३१ अगस्त, १९६२ के बीच में सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं । ऐसा कोई स्मृति-पत्र कथित संघ की ओर से तो २० अगस्त से ३१ अगस्त, १९६२ के बीच में सरकार को नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु इस आशय के कुछ स्मृति पत्र कतिपय अन्य स्थानों से अवश्य प्राप्त हुये हैं, जिन पर विचार किया जायगा । जो भी निर्णय होगा सब पर समान रूप से लागू होगा ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो कतिपय स्थानों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं कि कहां कहां से हुये हैं और उनकी मुख्य मांगें क्या-क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—स्थानों के बारे में इस समय सूचना नहीं है । लेकिन मुख्य मांग यही है कि लकड़ी पर बिक्री कर एकपदीय लगा दिया जाय । उनका कहना है कि हमारे प्रदेश में लकड़ी पर एकपदीय बिक्री कर न होने के कारण वह बहुत मंहगी पड़ती है और उसका व्यापार कम होता जा रहा है, लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको । उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य में भी एकपदीय है । यही उनकी मांग है ।

श्री रामायणराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को एकपदीय बिक्री-कर कर देने में क्या कठिनाई है, जब कि विभिन्न राज्यों में है ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न सिस्टम अख्तियार किया गया है । इस तरह की मांग अक्सर होती रही है और उस पर सरकार विचार भी कर रही है । एक कमेटी भी बनाई गयी है और उसके सामने यह मामला विचाराधीन भी है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी जंगल की जो लकड़ी नीलाम होती है उस पर बिक्री कर किसके द्वारा देय है ? उसको कौन देगा ?

श्री जयराम वर्मा—जो नीलाम पर खरीदता है वह देता है ।

*२–३—श्री ऊदल—[१७ अक्तूबर १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४–५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[१६ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४१–४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन का हिसाब किताब तथा पालिकाओं में हेल्थ आफिसर

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन जिसकी सूचना विभाग को महापालिका द्वारा भी भेजी गई है वहां के हिसाब किताब की जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस विभाग में इलाहाबाद महापालिका से इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन के हिसाब किताब की जांच कराने के सम्बन्ध में कोई सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है । अतएव उसकी जांच कराने के लिये कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि किन–किन महापालिकाओं तथा पालिकाओं में एक से ज्यादा Health Officer की नियुक्ति है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केवल लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी महापालिकाओं में एक से ज्यादा (Health Officer) की नियुक्ति थी, पर अभी आगरा, कानपुर और वाराणसी के इन अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है ।

ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र

*११—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामों में परिवार नियोजन सज्जा प्रति अस्पताल कितने रुपयों की प्रति वर्ष दी गई है तथा उसका इस्तेमाल किस प्रतिशत में हो रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सरकार ने ग्रामों के परिवार नियोजन केन्द्रों को सज्जा (Equipment) के लिये ५०० रु० अनावर्तक राशि प्रति केन्द्र स्वीकृत की है । इसका लगभग १०० प्रतिशत इस्तेमाल हो जाता है ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष इससे कितने परसेंट ग्रामीण परिवारों ने लाभ उठाया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—पिछले वर्ष एक्सपेक्टेड से कितने परसेंट कम डिलीवरी हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—कन्ट्रासैप्टिव यूस का मतलब होता है आलवेज । हफ यू मिस वन्स, यूमिस इट । (If you miss once. you miss it) तो १०० परसेंट कैसे इसका यूस हुआ ? ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---सूचना की आवश्यकता है ।

*१२-श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३-श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---[१३ वें सोमवार के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४-१६-श्री महादेव (जिला फैजाबाद)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७-१८-श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९-२०-श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१-श्री विजय सिंह---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२४-श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६-श्री रघुनाथसिंह---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२८-श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-श्री हरिनाथ तिवारी---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*३०-३१-श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

समाज कल्याण कार्यों में विवाह संबंधी सुझाव

*३२-श्री रघुनाथसिंह-क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य का समाज कल्याण बोर्ड बाल विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रचलन और कुमारी लड़कियों के साथ ढलती अवस्था के पुरुषों के विवाह की रोक के लिये भी काम करता है ? यदि हां, तो उसने इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---जी नहीं । राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा ऐसा कोई कार्य-क्रम संचालित नहीं किया जा रहा है ।

*३३-श्री रघुनाथसिंह---महिलाओं के कल्याण के इस सर्वाधिक आवश्यक कार्य को ध्येय बनाकर कल्याण बोर्ड तत्पर हो जाय और यथाशीघ्र इस समाज कलंक को मिटाये क्या इसके लिये सरकार नियोजित कार्य-क्रम बना सकती है ?

श्री बंशीधर पांडेय---इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह---क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण काम को बोर्ड अपने हाथ में नहीं ले रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो हाथ में हैं उनके समाप्त होने पर लिया जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह---इस काम को क्या इसलिये महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा है कि इसके बहाने परिवार नियोजन में कुछ सहायता मिलेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में बिक्री कर का बकाया

१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ से १९६२ तक का कितना सेल्स-टैक्स बाक़ी है? इसके वसूल करने के क्या साधन उपयोग में लाये गये और अब तक वसूल नहीं किया गया, तो उसके वसूल न करने के क्या कारण हैं?

वित्तमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जिला बुलन्दशहर में १९५८ से १९६२ तक की बिक्रीकर की बकाया धनराशि ५४,८६,८९५ रु० ४६ न० पै० है। इस धनराशि में ४५,७७,८९५ रु० ९४ न० पै० की ऐसी धनराशि सम्मिलित है जो या तो सम्बन्धित व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण अथवा उनकी साधनहीनता या उनके लापता हो जाने के कारण आसानी से वसूल नहीं हो सकती और या जिसकी वसूली सक्षम (Competent) अधिकारियों द्वारा रोक दी गई है। शेष धनराशि में से ७,२२,४७२ रु० ५३ न० पै० की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। बकाया धनराशि (१,८६,५६२ रु० ९९ न० पै०) के सम्बन्ध में कर निर्धारण अभी हाल ही में हुआ है और यथासमय इसकी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जायेंगे।

२–४—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

लखनऊ जिले में कथित सहकारी संघ मोहना

५—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिलान्तर्गत सहकारी संघ मोहना द्वारा रसायनिक खाद की बिक्री के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा सहकारिता मंत्री को प्राप्त शिकायतों की जाँच दिसम्बर, १९६१ से जनवरी, १९६२ के बीच कराई गई? यदि हाँ,तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट देने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखनऊ जिले के अन्तर्गत कोई भी सहकारी संस्था, सहकारी संघ मोहना नाम की नहीं है। अतः रासायनिक खाद का इस संस्था द्वारा वितरण का प्रश्न इस जिले के लिए नहीं उठता।

६–७—श्री मतोलासिंह—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले के विकास खण्डों में हरिजन कल्याणार्थ व्यय

८—श्री रघुनाथसिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले के अलग-अलग विकास खंडों में हरिजन कल्याण सम्बन्धी निम्नलिखित कार्यों पर कितने-कितने रुपये खर्च हुये:—

(१) आवास या पुनर्वास, (२) पेय जल की व्यवस्था, (३) आर्थिक विकास के लिये सहायता, (४) अस्पृश्यता-निवारण, (५) प्राविधिक, व्यावसायिक और कुटीर-उद्योग सम्बन्धी शिक्षा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०६ पर)

९—श्री रघुनाथसिंह—हरिजन कल्याण के लिये निर्धारित धनराशि का कितना प्रतिशत खर्च नहीं किया जा सका और क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—६३ प्रतिशत धन खर्च नहीं किया जा सका जिसका कारण यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अनुसार अनुदान वितरण सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। स्वीकृत अनुदानों को समस्त छाया क्षेत्रों को उनके कार्य एवं आवश्यकतानुसार दिया जाता है और इस धन को क्षेत्रीय समितियों तथा गाँव सभाओं के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिया जाता है, जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सभी अनुदानों को अंतरिम जिला परिषद् के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिया जाता था और उस धन को हरिजन सहायक समिति की राय से व्यय किया जाता था। इस कारण अनुदानों के उपयोग में प्रारम्भ में कुछ विलम्ब हुआ।

वाराणसी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

१०—श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)—क्या स्वाथ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने व्यक्ति निम्नलिखित पद पर इस समय काम कर रहे हैं और उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के हैं?

(१) मलेरिया डाक्टर, (२) मलेरिया इन्स्पेक्टर, (३) हेल्थ विजिटर, (४) क्लर्क, (५) सुपरवाइजर, मलेरिया गैंग, (६) कम्पाउन्डर, (७) चपरासी।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले में मलेरिया उन्मूलन विभाग के कर्मचारी

११—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ में मलरिया उन्मूलन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, टी० ए०, डी० ए० तथा कार्यालय और मोटर पर (पेट्रोल आदि) प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग मदों पर कितना खर्च हुआ है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्रित की जा रही है।

१२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में मलेरिया विभाग के कितने अधिकारी, कर्मचारी किस-किस पद पर हैं और उनके मुख्य-मुख्य कार्य क्या हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

बी० एन० बी० इण्टर कालेज, मड़ियाहूं के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

१३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ में बी०एम०बी० इंटर कालेज, मड़ियाहूं, जौनपुर में पिछड़ी जाति व हरिजन छात्रों में ११वी कक्षा के किस-किस विद्यार्थी ने स्कालरशिप के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और किन-किन को वजीफा स्वीकृत हुआ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—१९६१-६२ में बी० एन० बी० इंटर कालेज, मड़ियाहूं, जौनपुर में ११वीं कक्षा के निम्नलिखित पिछड़ी जाति के व हरिजन विद्यार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये:—

अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
१—बेचू दास चमार,	१—ओम प्रकाश पटवा।
२—राम स्नेही धोबी,	
३—सहरामा चमार,	
४—जीत नारायण चमार,	

५—राम नन्दन चमार
६—हंसू राम चमार।

इनमें अनुसूचित जाति के प्रत्येक प्रार्थी को छात्रवृत्ति दी गई। पटवा (पटहार) जाति पिछड़ी जातियों की सूची में नहीं है। अतः श्री ओम प्रकाश को छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—नत्थी 'ख' में प्रश्न सं० ८ और ९ के संबंध में हमने पिछले हफ्ते दफ़ा ५२ और कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा था। ३०,००० राज्य कर्मचारियों का, जिन्हें निकाला गया था, वेतन और फंड भी अभी तक नहीं मिला है। आपने हमें आश्वासन दिया था कि दीपनारायण सिंह जी का इस प्रकार का सवाल ३ तारीख को आवेगा, उससे हमें उत्तर मिल जायगा, लेकिन यहां लिखा है कि ये प्रश्न हटा दिये गये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। मुझे सचिव यह सूचना दे रहे हैं कि दीपनारायण सिंह जी से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसके आने के बाद ये सवाल लिस्ट होंगे १७ तारीख को।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जो सदस्य निलम्बित किये गये हैं उनके विषय में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप मुझे कब आज्ञा देंगे?

श्री अध्यक्ष—नियम ५२, कार्य-स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार की सूचनायें खत्म कर लूं, तब।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति सं० एम० बी० आर/ए—एम—४५—३१२८—टी—एम/३०—ख, दिनांक २१ अगस्त, १९६२, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री पूरनलाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आई है:—

"I have the honour to inform you that Shri Puranlal, a member of the U.P. Vidhan Sabha, has today been arrested under section 7 of the Criminal Law Amendment Act at 5.30 p.m. He is at present lodged in the District Jail, Lucknow."

माननीय पूरन लाल, विधान सभा के सदस्य, गिरफ्तार कर लिये गये पहली तारीख को ५-३० बजे, क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अनुसार वह डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में बन्द हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—यह सूचना आपको कब दी गयी और गिरफ्तार वे कब हुए?

---

*छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—पहली अक्तूबर को।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरा इसके बारे में कुछ निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—बाद में कह दीजियेगा।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (भाग १)†

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से आश्वासन समिति का १३वां प्रतिवेदन (प्रथम भाग) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इस प्रतिवेदन में उन १७७ आश्वासनों का समावेश है जो विधान सभा में ६ फरवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में दिये गये थे। विचारोपरान्त समिति ने इनमें से १०७ आश्वासनों को पूर्ण माना है। समिति को यह देख कर खेद हुआ कि अवशिष्ट ७० आश्वासनों में से ६ आश्वासन ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में संबंधित विभागों ने समिति को कोई सूचना नहीं दी।

इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति को यह आभास हुआ कि जिन आश्वासनों की समिति द्वारा निर्धारित समय (तीन मास) में पूर्ति हो सकती थी, उनकी पूर्ति भी उक्त अवधि के भीतर नहीं की गई है। सदन में जिस स्पिरिट से आश्वासन दिये जाते हैं, संबंधित विभागों द्वारा उस तत्परता से उनकी पूर्ति न करना खेद का विषय है और सार्वजनिक महत्व के आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में आवश्यकता से अधिक समय लेना जनहित के उन कार्यों के प्रति उदासीनता कर परिचय देना है।

कतिपय आश्वासनों के सिलसिले में समिति ने ९ विभागाध्यक्षों की साक्ष्य ली जिससे यह अनुभव हुआ कि विभागों में आश्वासन फाइलों में दब जाती हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। स्मरण पत्रों के भेजने के बाद भी जवाब नहीं आ पाता। विभागीय सचिवों को अक्सर सारी बातें मालूम नहीं रहतीं। उन्हें अपने क्लर्कों पर ही अवलंबित रहना पड़ता है। सेक्रेटरीज को अपने विभागों के बारे में पूरा पता न था और क्लर्कों से जानकारी प्राप्त करने के लिये समिति के सामने ही उनको बुलाकर पूछना शुरू किया कि फलां आश्वासन में क्या है।

इसके अतिरिक्त सब से दुःख की बात यह है कि आश्वासन समिति ने यह तय किया था कि उसके पास जितने भी पत्रादि आयें वे हिन्दी में होने चाहिये। इसके लिये अनेकों बार लिखा गया। परन्तु इतना करने के बाद, यह बड़े दुःख का विषय है कि अब भी अनेकों विभागों से अक्सर पत्रादि गुरुंडी (अंग्रेजी) भाषा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। इसके लिये समिति ने उसकी कई बार लिखा है कि ये सब पत्रादि समिति के पास राज्यभाषा हिन्दी में ही आने चाहिये परन्तु फिर भी इसके लिये विभागों की उदासीनता उचित नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे और अन्यान्य विभागों को इस बात का आदेश देंगे कि वे आगे से इन बातों के ऊपर ध्यान रखें।

अन्त में इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहानुभूति तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जिन बातों की तरफ माननीय श्रीपालसिंह जी ने आश्वासन समिति की ओर से सदन का ध्यान आमंत्रित किया है तथा मेरा भी ध्यान आमंत्रित किया है, उन सारी बातों के सिलसिले में मैं उचित आदेश जारी करूंगा और मुझे आशा है माननीय श्रीपालसिंह जी और आश्वासन समिति को भविष्य में ऐसी शिकायत करने का अवसर न आयेगा।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास बहुत से विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनायें आयी हैं—एक माननीय शिवनाथ सिंह जी की, काशीनाथ जी की, माननीय गया प्रसाद जी और माननीय उमाशंकर जी की है। "मैं विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ६६ के खंड ३ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

कल दिनांक २६-९-१९६२ का माननीय अध्यक्ष ने माननीय उग्रसेन, नेता समाजवादी दल को इंगित किया। मुख्य मंत्री ने तत्काल ही उनके निष्कासन का प्रस्ताव न पेश कर सदन के समक्ष भाषण देना प्रारम्भ किया और इस बीच निलम्बन प्रस्ताव पारित होने के पहले मुख्य मन्त्री ने सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया।

यही प्रक्रिया माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय राधेश्याम सोशलिस्ट सदस्य के इंगित करने पर भी कार्य रूप में अपनाई। इस प्रकार उन्होंने आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। क्योंकि संसदीय पद्धति में अध्यक्ष के इंगित करने के बाद तथा नेता सदन के निष्कासन प्रस्ताव पारित होने के बीच में अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और ऐसी कार्यवाही नियमों की अवहेलना और आदरणीय सदन का अपमान है।"

मैंने सब कार्यवाही देख ली है। इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, मुझे दो घंटे का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—श्री काशी नाथ जी, सवाल यह है कि जो आप के तथ्य हैं वह हमारी प्रोसीडिंग्स से सिद्ध नहीं होते, तो फिर सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री काशीनाथ मिश्र—फैक्ट्स के बारे में ही मुझे निवेदन करना है जो बातें छूट गयी हैं उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसका कोई प्रभाव मेरे निश्चय पर नहीं पड़ेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—जो कुछ छूट गया है, उसे ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मुझे बाद में बतला दीजियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मुझे कह तो लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं।

श्री पूरनलाल की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक श्री टम्बेश्वरी प्रसाद का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है जो इस प्रकार है—

"कल सायंकाल माननीय पूरन लाल जी को विधान सभा के सदन के बाहर के बीच के फाटक के पास उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे खड़े थे और सम्भवतः इस बात का रास्ता देख रहे थे कि सदन के माननीय सदस्य जो निकलें, उनसे वह जोत कर के विरोध का आग्रह कर सकें। आपके आदेश संख्या ५६३४/२७३ (एस०)-५७ के अन्तर्गत वह सदन के परिसर में नहीं आ सकते थे परन्तु विधान सभा के बाहर उनके आने जाने में कोई बाधा नहीं थी। मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश

[श्री अध्यक्ष]
सरकार के मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री तथा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने माननीय पूरन लाल को गिरफ्तार किया, सदस्य विशेषाधिकार के एवं सदन के अपमान के प्रश्न की सूचना देता हूं। कृपया प्रस्तुत करने की आज्ञा दें।

मैं समझता हूं कि आपकी आज्ञाओं के यदि वे दी गई हों, होते हुये भी माननीय पूरन लाल जी सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी सदस्य के विशेषाधिकार एवं सदन के अपमान का प्रश्न है। मैं आपके पास निम्नलिखित प्रस्ताव भेज रहा हूं। कृपया स्वीकृति दें। मैं आपका आभारी हूंगा।"

मैंने देखा कि वे निलम्बित थे और इसलिये सदन में आने का उनको अधिकार नहीं था। ऐसी अवस्था में उनके विशेष अधिकारों का कोई अपहरण नहीं हुआ है। अगर बाहर वे अनुचित रूप से गिरफ्तार किये गये हैं, तो उसके लिये जो कानूनी कार्यवाही वे उचित समझें, कर सकते हैं।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैंने सुना है कि उनकी गिरफ्तारी आपके आदेश के अन्तर्गत हुई है। यदि उनकी गिरफ्तारी आपके आदेश से हुई तो जब वे सदन के परिसर के बाहर निकल गये थे तो ऐसा नहीं होना चाहिये था। आपके आदेश के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई, यह भी खेद का विषय है। अगर मान लिया जाय कि कोई सदस्य सदन के किसी सदस्य को रोकता भी होता तो उसे गिरफ्तार करा कर आप जेल नहीं भेज सकते थे। वह इस सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है कि उन्होंने उस सदस्य को सदन का कार्य करने से रोका इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, आज की परिस्थिति में मेरे खयाल से यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न निश्चित है क्योंकि आपकी आज्ञा उनको कमेटी वगैरह में जाकर काम करने की है। जहां तक मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न जरूर उठता है और जो तरीका आपने....

श्री अध्यक्ष—वह बाद में कह सकेंगे, इस वक्त नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है, इस पर मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

जब सदन में आने का उन्हें अधिकार नहीं था और वे परिसर के बाहर थे और पुलिस ने अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है और न सम्बन्ध है। अगर कानून के विपरीत वे गिरफ्तार हुये हैं तो वे अपनी उचित कार्यवाही कर सकते हैं। जहां तक सदन का सम्बन्ध है, कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये आज्ञा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—अब इसके सम्बन्ध में तो कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। जब मैं नियम ५२ वगैरह के बारे में खत्म कर लूंगा उसके बाद आपको सुनूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आप विशेषाधिकार का ही प्रश्न ले रहे हैं या उसे खत्म कर चुके हैं ? मैंने भी एक दिया था।

श्री अध्यक्ष—आप क्यों परेशान होते हैं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—आपने, अध्यक्ष महोदय, कल यह कहा था....

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद, प्लीज फिनिश ।

दुबौलिया बांध, गोलीकांड पर श्री नवलकिशोर द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना माननीय भानु प्रताप सिंह, माननीय विजय सिंह और माननीय काशीनाथ बहादुर पाल ने दी है । वह इस प्रकार है—

"आपको हमें यह सूचित करना है कि हम माननीय उप मंत्री श्री नवल किशोर जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करना चाहते हैं ।

१० सितम्बर को जब बस्ती जिले के दुबौलिया बांध से सम्बन्धित गोली कांड पर चर्चा चल रही थी उस समय सरकार की तरफ से बयान देते हुये माननीय उप मंत्री श्री नवल किशोर जी ने निम्नलिखित बातें कही थीं :

'एक बात और कही गयी कि गौरापार गांव में ४०–४२ सिपाही पहुंच गये । इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । मैंने कौंसल में भी कहा था कि एफ०आई०आर० में ३८ आदमियों को नामजद किया गया था जिसमें २० आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं और केवल वही आदमी गिरफ्तार किये गये हैं जिनका नाम एफ०आई०आर० में दर्ज है । मैंने उस समय भी कहा था कि जिनके नाम हैं अगर वे सरेंडर कर दें तो सब खत्म हो जायगा ।'

श्रीमन्, जिस समय उपरोक्त वक्तव्य दिया गया था उस समय भी उन ३८ व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिनके नाम एफ०आई०आर० में दर्ज थे, कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, और वक्तव्य के बाद भी उन ३८ व्यक्तियों के अतिरिक्त कई व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं । ऐसे व्यक्तियों के नाम जो एफ०आई०आर० में नामांकित नहीं थे और फिर भी गिरफ्तार हुये हैं उनका नाम नीचे दर्ज है । इस प्रकार से जो वक्तव्य माननीय नवलकिशोर जी ने दिया था, तथ्य से पर था । इस प्रकार से उन्होंने इस सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया, जो सर्वथा अनुचित है । उनके इस व्यवहार से सदन का अवमान हुआ है और विशेषाधिकार का विषय बन गया है । अतः आपसे प्रार्थना है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जाय ।

वक्तव्य के पूर्व एफ०आई०आर० में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम		वक्तव्य के पश्चात् एफ०आई०आर० में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम	
१—राम अधार पुत्र वंशराज यादव, ग्राम दीपपुर		१—रामनरायन पुत्र विरजासिंह, ग्राम गौराप	
२—दशरथ पुत्र लखन यादव	,,	२—नौकर पुत्र राम टहल	,,
३—तिलक पुत्र सरजू सैथवार	,,	३—मुसइ पुत्र भोला चमार	,,
४—चन्द्रदेव पुत्र जमुना	,,	४—गिरधारी पुत्र रघुनाथ	दीपपुर
५—गंगा राम पुत्र सहदेव लोनिया	,,	५—मंगल पुत्र कलपू	,,
६—गोविन पुत्र अयोध्या, ग्राम डिह्वा	,,	६—विशेसर चमार	डिह्वापुर
७—बुद्धू पुत्र बशीर खां	,,		

श्री भानुप्रतापसिंह—(जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं यदि आप की आज्ञा हो तो....

श्री अध्यक्ष—मैं पहले इस विषय में माननीय मंत्री जी से पूंछ लूं।

श्री भानुप्रतापसिंह—तो मुझे बाद में अवसर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

गृह उपमंत्री (श्री नवल किशोर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि उस दिन जो सूचना दी गई थी उसमें कतई कोई मन्शा हमारी किसी तथ्य को छिपाने की नहीं थी और न सदन के सामने कोई गलत बात कहने की ही थी। उस समय जो सूचना हमें उपलब्ध थी उसके ही आधार पर यहां सूचना दे दी गई थी। बाद में मालूम हुआ कि वह सूचना सही नहीं थी और यह भी सत्य मालूम होता है कि उस समय तक जो जिला अधिकारी थे उनको भी सही सूचना शायद प्राप्त नहीं हो सकी थी। अब यदि आप आज्ञा दें तो जो संशोधित सूचना है वह मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—हां, पढ़ दीजिये।

श्री नवलकिशोर—दिनांक १०-९-१९६२ को माननीय सदन में दुबौली बांध से सम्बन्धित गोली चलाने की घटना के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि "मैंने कौंसिल में भी कहा था कि एफ०आई० आर० में ३८ आदमियों को नामजद किया गया था जिनमें से २० गिरफ्तार किये जा चुके हैं और केवल वही आदमी गिरफ्तार किये गये हैं जिन के नाम एफ० आई० आर० में दर्ज हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि जिन के नाम हैं अगर वह सरेंडर कर दें तो सब खत्म हो जायगा।"

इस विषय में अब सूचना प्राप्त हुई है कि उन व्यक्तियों के अलावा जो एफ०आई०आर० में नामांकित थे, ७ व्यक्ति ४-९-१९६२ को पकड़े गये और ११ व्यक्ति जिन के नाम एफ०आई० आर० में थे, ९-९-१९६२ तक गिरफ्तार हुये। इस तरह से कुल मिलाकर १८ व्यक्ति ९-९-१९६२ तक पकड़े जा चुके थे जिन में से ११ एफ०आई०आर० में नामांकित थे और ७ एफ०आई०आर० में नामांकित नहीं थे। मुझे खेद है कि मैंने जो सूचना उस समय सदन को दी वह सही नहीं थी और मैं निवेदन करूंगा कि जो सूचना इस सम्बन्ध में पहले दी थी उसको, जो सूचना मैं अब दे रहा हूं, इस संशोधित रूप में पढ़ा जाय।

जो सूचना पहले दी गयी थी वह पहले की प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जिला अधिकारियों को भी उस समय पकड़े गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्भवतः सही सूचना प्राप्त नहीं थी। इस का कारण यह हो सकता है कि थाना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से बहुत दूर हैं तथा यातायात सम्बन्धी भी अनेक कठिनाइयां हैं और उन अधिकारियों को भी उस समय तक सही सूचना न प्राप्त हो सकी हो।

श्री भानुप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, अब क्या कहना है ?

†श्री भानुप्रतापसिंह—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह निवेदन करना है कि जिस संदर्भ में यह सूचना दी गई थी वह यह था कि इधर से यह आरोप लगाया गया था कि दारोगा

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने आतंक फैला रखा है और इंडिस्क्रिमिनेटली गिरफ्तारियां कर रहे हैं और वहां के लोग घर छोड़कर चले गये हैं और विशेषकर दरोगा की शिकायत थी कि जिसको चाहे वह गिरफ्तार कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने केवल ३८ आदमियों की गिरफ्तारी की बात कही थी जिनके नाम एफ०आई०आर० में दर्ज हैं जिनके नाम एफ०आई०आर० में हैं। खैर, मुझे खुशी है उन्होंने इस गलती को स्वीकार कर लिया है। मुझको केवल इतना ही कहना है वहां जांच होने जा रही है कमिश्नर द्वारा और स्थिति यह है जो कोई भी गवाह यह हिम्मत करता है कि गवाही देने के लिये तैयार है, जिस पर पुलिस ऐसा संदेह करती है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जिन लोगों के नाम एफ०आई० आर० में नहीं उनको केवल इस संदेह पर कि आगे चल कर कमिश्नर के यहां गवाही देंगे, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुरानी बातों को भुला भी दिया जाय तब भी मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम अब से वह इस आश्वासन को स्पष्ट रूप से दें कि उन ३८ व्यक्तियों के अलावा, या जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके अलावा कोई गिरफ्तार नहीं होगा तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

दूसरी बात यह है कि दारोगा जब तक वहां है तब तक वहां न्याय नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब उन लोगों ने गलत सूचना मंत्री जी को दी, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन उन्हें गुमराह किया और गलत बयानी करने पर मजबूर किया, कम से कम उस दरोगा को वहां से हटाया जाना चाहिये यदि सरकार चाहती है कि कमिश्नर द्वारा निष्पक्ष जांच हो।

जहां तक यह कहा गया कि सूचना जिलाधिकारियों को नहीं मिल सकी, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो सूचना मुझको मिली है वह भी जिलाधिकारियों से मिली है। यहां १० तारीख को जब बहस हुई तो हम घर गये और वहां पूछा तो जिलाधिकारियों ने ही बताया कि यह लोग गिरफ्तार हुये हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि जिलाधिकारियों के पास सूचना नहीं थी .....

श्री अध्यक्ष—वह तो सरमाइज है।

श्री भानुप्रताप सिंह—यह सरमाइज भी गलत है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं अगर निष्पक्ष जांच कराने का सरकार का उद्देश्य है तो कम से कम उस दरोगा को ट्रांसफर कर दें वहां से और इस बात का स्पष्ट आश्वासन दें कि जिनके नाम एफ० आई० आर० में हैं उनके अलावा और किसी को गिरफ्तार नहीं किया जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इसमें मैं इतना और जोड़ना चाहता हूं कि यह तो ठीक है जो भानु प्रताप सिंह जी ने कहा, परन्तु यह भी आवश्यक है कि जिन अधिकारियों ने सरकार को ऐसी मिसलीडिंग सूचना दी उनकी भी जांच होनी चाहिये और उसके लिये मैं समझता हूं सरकार क़दम उठाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की मिसलीडिंग इन्फार्मेशन सरकार के पास न आये और सरकार सही सूचना सदन को दे सके।

श्री नवलकिशोर—जहां तक सूचना का सम्बन्ध है, उसके लिये मैंने खेद प्रकट कर दिया और सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि भविष्य में जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में और भी अधिक सतर्कता से काम करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने जब इस मसले पर सवाल उठाया था तो उस समय, जो पुलिस का आतंक था, पी०ए०सी० हटा ली गई थी, लेकिन लोकल पुलिस थी, तो मैं जानना चाहता हूं क्या इस समय भी पुलिस के सिपाही वहां घूम रहे हैं और गिरफ्तारी का काम पूरा हो गया है या बाकी है क्योंकि अभी तक पुलिस वहां थी और उसका आतंक है जिससे जनता के मामूली काम बन्द हैं?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें तो परसों तक आ जाय सूचना, अगर आज ही आप दे दें। अगर इस समय पूछ लिया और वह कोई वक्तव्य दे दें...

श्री झारखंडे राय—वक्तव्य नहीं। मामूली सी बात है, हर चीज को वक्तव्य मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—उनकी पकड़ होती और फिर शिकायत होती है। अगर गृह मंत्री जो कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें।

*श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, अभी भानुप्रतापसिंह जी ने दो आश्वासनों के लिये सरकार से मांग की थी, और अगर न्याय पूर्वक जांच होने जा रही है तो हमारे ख्याल में वह मांगें आवश्यक हैं। उसके प्रति हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। हम लोग जान तो लें कि वह करने को तैयार हैं कि नहीं। मांग यह थी कि दरोगा वहां से हटाया जाय, दूसरी मांग यह थी कि इस बात का आश्वासन दे दिया जाय उस कांड के कारण कि आज से आगे लोग गिरफ्तार नहीं होंगे उनके अलावा जो हो चुके हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो विचार भानुप्रताप सिंह और राजा साहब ने व्यक्त किये हैं उनकी तरफ स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आमंत्रित किया जायगा और अगर वह आवश्यकता इस बात की समझेंगे कि वे अधिकारी जिनके विरुद्ध शिकायत की जा रही है वहां से हटना चाहिये तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रश्न पर उस दृष्टिकोण को अपनाते हुये विचार करेंगे जो दृष्टिकोण अभी सदन में व्यक्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त किया जाता है।

श्री झारखंडेराय—जो बात मैंने कही थी वह तो साफ हुई नहीं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिये। वह वहां से सम्पर्क स्थापित कर के ही बतला सकते हैं कि यह शिकायत है, उनको क्या कहना है।

श्री झारखंडेराय—मेरा अपना अन्दाज है कि जो सूचना अभी भानुप्रताप-सिंह जी ने दी थी उस पर लेटेस्ट पोजीशन सरकार को प्राप्त हो गयी होगी। मेरा सवाल उसी में जुड़ा हुआ है, तो सरकार बतला सकती है कि क्या पोजीशन है—आतंक है और पुलिस के सिपाही छुटे घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता।

नेशनल हेरल्ड के सम्पादकीय लेख में टीका के सम्बन्ध में उस पर तथा उसके सम्पादक के विरुद्ध विशेषाकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब टम्बेश्वरीप्रसाद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार की प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मेरा भी इस संबंध में है.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। मैं अपना काम कर रहा हूं, समाप्त कर लूं तब आप कह सकते हैं। आप बिना वजह बीच में इंटरप्शन करते हैं। नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है और वह भी एक एडीटोरियल के संबंध में है जो एडिटोरियल विधान सभा में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में २९ सितम्बर, १९६२ को छपा था। जहां तक समाचार-पत्रों का संबंध है उनका बड़ा भारी स्थान, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हो, हमारे जन जीवन में है। उनके अधिकार भी बहुत कुछ कानून द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विहित किये जा चुके हैं और सभी सभ्य समाजों में यह बात मानी गयी है कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिये अपने विचार व्यक्त करने की इस वजह से इजाजत दी जाती है कि वे साधारण जनसमुदाय की क्रिया प्रतिक्रियाओं को जनता के समक्ष रखें और जनता को ट्रेन भी करें उन महान सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिये जो उनके दृष्टिकोण से आवश्यक हैं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो कुछ भी मैं अपने विचार कभी कभी प्रकट करता हूं केवल विचार ही हैं। मेरी एक टीका होती है। यह न समझा जाय कि मैं कोई व्यवस्था अथवा निर्णय दे रहा हूं। लेकिन ये बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब २७ सितम्बर के सम्बन्ध में २९ सितम्बर के एडिटोरियर "डेमोक्रेसी इन ग्रेव (Democracy in grave) शीर्षक नेशनल हेराल्ड में छपा है उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुये टम्बेश्वरी प्रसाद ने कहा है नेशनल हेराल्ड पत्र के २९-९-६२ सम्पादकीय में विधान सभा कार्यवाही एवं सदस्यों के विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया एवं भाषणों की निन्दनीय रूप से टीका की गयी है एवं कार्यवाही का भी मिथ्यावर्णन है मुख्य मंत्री का गलत बयान देने के बाद से यह सदन को भर्त्सना से बच जाने के कारण यह पत्र जो कांग्रेस दल के एक मुख्य प्रचारक के रूप में काम कर रहा है और भी उच्छृंखल निन्दनीय हो गया है। इस पत्र की यह हरकत यहां तक बढ़ गयी है जिसका उल्लेख २९ सितम्बर, १९६२ के सम्पादकीय लेख की निम्नलिखित पंक्तियों से अवलोकन हो सकता है।"

पहला वाक्य जिसके सम्बन्ध में माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद को आपत्ति है वह इस प्रकार से है--

"(1) Uttar Pradesh is fast becoming the grave of democracy and may soon become the home of fascism. For some days Jan Sangh and Socialist members were distinguishing themselves in doing damage to the dignity of Legislature and thereby to its prestige.

(2) But U. P. Assembly proceedings are becoming unreadable and the behaviour of some of its members is unbearable.

(3) The opposition parties in the U. P. Assembly especially the Jan Sangh and the Socialist members are directing their efforts to the conversion not of the Government but of the electorate thereby foregoing the opportunity of pursuading Government to modify an already modified Bill."

उपरोक्त प्रकार के तथ्य न तो सही हैं और न कोई स्पष्ट घटना का वर्णन है वरन् विधान सभा की कार्यवाही की अनुचित एवं निन्दनीय टीका तथा मिथ्या कार्यवाही का प्रकाशन है।

उपरोक्त कारणों से मैं आपके द्वारा 'नेशनल हेराल्ड' पत्र के सम्पादक एवं पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं। कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की स्वीकृति दें।

इसी से सम्बन्धित माननीय काशीनाथ जी मिश्र का भी विशेषाधिकार का एक पत्र आया है।

इंगलिश दैनिक "नेशनल हेराल्ड" ने जो लखनऊ से प्रकाशित होता है और सरकारी पक्ष का प्रमुख पत्र है अपने २९ सितम्बर के सम्पादकीय लेख में इस आदरणीय सदन की कार्य प्रणाली की बुरी तरह से टिप्पणी की है। श्रीमन् की जानकारी के लिये उस लेख का एक वाक्य ही काफी होगा।

"U.P. Assembly proceedings are becoming unreadable and the behaviour of some of its members is unreadable."

यह गलत लिखा हुआ है, 'unbearable' होना चाहिये।

[श्री अध्यक्ष]

श्रीमन्, इस तरह की टीका आदरणीय सदन का अपमान और हमारी विधान सभा नियमावली की धाराओं का उल्लंघन है। साथ ही सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ के उन विधायकों के अधिकारों की भी इस लेख द्वारा अवहेलना हुई है जो २७ सितम्बर को सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हैं। अतः आपकी आज्ञा से लखनऊ के इंग्लिश दैनिक "नेशनल हेराल्ड" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।"

इन दोनों सूचनाओं के सम्बन्ध में मैं अभी कोई निर्णय नहीं कर सका हूं, न अध्ययन कर सका हूं और आवश्यकता होने पर मैं इस आदरणीय सदन से भी इस सम्बन्ध में, इसे सदन के अन्दर, परामर्श लूंगा इस वास्ते कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है विशेषकर जब कि हमारे समाचार-पत्रों से संबंधित है। जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड हमारे जन जीवन में एक बहुत ही उच्च स्थान रखता है अन्य पत्रों के साथ। तो जब इस विषय पर मुझे निर्णय करना है तो मैं दो-एक दिनों में इसको सदन में रख कर इस पर सदन के सदस्यों के विचार जानने का प्रयत्न करूंगा।

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ का समर्थन करने के बारे में आदेश के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक माननीय नरसिंह नारायण जी की विशेषाधिकार की सूचना। अभी थोड़ी देर हुई, मेरे पास आई है। इसको मैंने देखा नहीं है। पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, नेता कांग्रेस विधान मंडल दल जो इस माननीय सदन के सदस्य भी हैं, के विरुद्ध उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय, प्रदान करने की कृपा करेंगे।

विधान सभा तथा उसके समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अथवा उसके समिति व सदस्यों के हैं। अनुच्छेद १९४ (३) भारतीय संविधान।

सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है। इस प्रकार से माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने २५-९-१९६२ को विधान सभा के कांग्रेस विधान मंडल के सदस्यों के पास जो इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य हैं, एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्होंने स्पष्टतया लिखा कि जोतकर विधेयक संशोधित रूप में विधान सभा में पेश होगा और प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य है कि इस विधेयक का समर्थन करे। इस प्रकार का कार्य माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने सदन तथा उनके सदस्यों के बीच भ्रम पैदा किया और गलत ढंग से दबाव डाल-कर उनके विचार स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न किया। अतः सदन और सदस्यों के नियमों की अवहेलना की। २५-९-१९६२ के परिपत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।"

अब प्रतिलिपि पढ़े देता हूं।

"उत्तर प्रदेश, विधान मंडल कांग्रेस दल, ८ विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक २५-९-६२

विधान सभा के समस्त कांग्रेस दल के सदस्यों की सेवा में,

प्रिय साथी,

उत्तर प्रदेश भूमि जोत कर विधेयक की कांग्रेस विधान मंडल दल ने अंतिम रूप से कल २४ सितम्बर, १९६२ को स्वीकृति दे दी है और अब यह विधेयक संशोधित रूप में सदन के विचारार्थ दिनांक २६ या २७ सितम्बर, १९६२ को पेश होगा। इस विधेयक का समर्थन करना दल के प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य है।

आशा है कि दल के समस्त सदस्य सदन में उपस्थित रह कर इस विधेयक का समर्थन करेंगे।'

आपका,
(चन्द्रभानु गुप्त)
नेता

इसको मुझे अभी देखना और समझना है। इसको मैं बाद में तय करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं जिन्हें आपने अभी पढ़ कर सदन को सुनाये। अब वे सदन की प्रौपर्टी हो गये। या तो आप उनको पढ़ते नहीं। इसकी आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि प्राइमाफेसी हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैंने सूचना दे दी है। पता नहीं किस तरह से आपत्ति उठाई जाती है। आपको मालूम हो गया कि इस तरह की बात आ गई है। आप मुझे परामर्श दे सकते हैं या तो सदन में या कक्ष में।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, क्या आप बाद में सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय कल्पनाथसिंह और बांकेलाल की सूचना स्वीकार की है।

मेरे पास दो सूचनायें आयी हैं। एक तो इस सम्बन्ध में है कि जो यात्री कर पांच पैसे लगाया गया है वह बहुत ज्यादा वसूल किया जा रहा है। इसको मैं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर के पास भेज रहा हूं सूचना के लिये, उचित कार्यवाही के लिए। वक्तव्य के लिए नहीं भेज रहा हूं।

एक माननीय सिंचाई मन्त्री के पास भेज रहा हूं। कुछ अव्यवस्थाएं, लखपतराम जी ने बतायी हैं। वह मैं माननीय सिंचाई मंत्री के पास भेज रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय कल्पनाथसिंह की सूचना स्वीकार की है। वह इस प्रकार है—

"गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क मजदूरों का गत जुलाई मास का हजारों रुपया बाकी पड़ा हुआ है। इन कई हजार मजदूरों को मजदूरी आज तक नहीं बंट पायी है। इन बेचारे बाढ़ पीड़ितों को उनकी मजदूरी भी इस भयंकर बाढ़ या उसके बाद नहीं मिल पायी। सरकार और अधिकारियों की सीधे जिम्मेदारी है, कि वे मजदूरी को बटवाएं किन्तु सरकार ने अभी तक इस मजदूरी को बंटवाये इस काम में लगे हुए सभापतियों को पैसा देकर उनको उनके उत्तरदायित्व से मुक्त करने तथा मजदूरों को निश्चित समय पर पैसा देने का अपना उत्तरदायित्व भी न निभा सकी है। इस परिस्थिति में जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में व्यापक असंतोष, रोष, एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है।"

इसे मैंने माननीय सिंचाई मंत्री के पास भेज दिया है। सिंचाई मंत्री इस पर कब वक्त दे सकेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—मैं यह कोशिश करूंगा कि परसों जवाब मंगा लूं, लेकिन परसों न आ पाया तो जब दोबारा सदन बैठेगा तब वक्तव्य दूंगा।

श्री अध्यक्ष—कोशिश करके परसों ले आइयेगा।

कतिपय सदस्यों के निलम्बन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न आप के सम्मुख उठाना है। वह यह है कि आपके सदन से जितने माननीय सदस्य निलम्बित हुए हैं, उन सब को जो नोटिस गया है वह यह गया है कि उनको एक मास के लिए निलम्बित किया जाता है। आपकी प्रक्रिया नियमावली में 'मास' की डैफिनीशन कहीं नहीं है, कि एक मास क्या होगा। जनरल क्लाजेज ऐक्ट में मंथ की डेफिनीशन दी हुई है— "month means month according to British calendars" अगर इसके अनुसार रिकान किया जाय तो सभी सदस्यों का जो एक मास का निलम्बन था वह मास ३० सितम्बर को खत्म हो गया, और उनका निलम्बन समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्रीमन्, इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—जब-जब एक मास का प्रश्न आता है तो उसका मतलब यह होता है कि एक मास जिसको अंग्रेजी तरीके से कैलकुलेट किया जाय। मास का यह मतलब नहीं होता कि जो महीना चल रहा है उसका अवशिष्ट हिस्सा। जहां-जहां प्राविजन है, एक महीना, दो महीने, एक साल, का, उसके लिये तरीका बतलाया गया है कि अगर पहली तारीख को निलम्बन हुआ है तो एक महीना दूसरे महीने की पहली तारीख को समाप्ति पर आयेगा, १० तारीख को किया गया है तो एक महीना, दूसरे महीने की १० तारीख को आयेगा। जनसंघ में काफ़ी अच्छे वकील हैं। वह स्वयं जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल मैंने आपसे चेम्बर में निवेदन किया था आपने व्यवस्था दे दी और वाक आउट करने के कारण मेरी बात रह गयी। नियम २९९ का जो (२) है उसमें साफ़ लिखा है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर जाने के आदेश के लिये दिये जाने पर उसका पालन न करे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से स्पष्ट है कि आपने माननीय लखी सिंह को और माननीय नाथूराम जी को उप-नियम (१) के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं दिया कि वह बाहर जायं, इसलिये जब तक आप वह आदेश न दें और जब तक वह उसके पालन से इनकार न करें तब तक प्रक्रिया नियमावली के नियमों के अन्तर्गत उन्हें निलम्बित नहीं कर सकते। कृपा कर आप कार्यवाही मंगा कर देख लें और यह जो अव्यवस्थितता हुई है उस को दूर करें। निलम्बन की स्थिति मैं बता दूं। आपने कहा है कि माननीय नाथूराम जी कहते हैं कि मुझ को इंगित किया जाय, मैं इनको इंगित करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा कर के बैठें। पहले मैं इसको देख लूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न इसी सम्बन्ध में आपके कमरे में दिया था....

श्री नेकराम शर्मा—मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न इसी सम्बन्ध में है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मुझसे जो व्यवस्था का प्रश्न मेरे कमरे में बतलाया गया था उसको मैंने कहा था कि आप इसे हाउस में बतला दें। अगर आप का भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमरे में आकर बतलायें।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है.....

श्री अध्यक्ष—नहीं, मैं नहीं एलाऊ कर रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री नेकराम शर्मा के फिर कुछ कहने का आग्रह करने पर)

माननीय नेकराम जी, आप कृपया सदन के बाहर जायं।

(व्यवधान)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैं एक बात कह रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं .....

श्री झारखंडेराय—आप मेरी बात सुन तो लीजिए।.....

श्री अध्यक्ष—देखिए, व्यवस्था का प्रश्न जो कार्यवाही सदन में हो रही हो, उसके सम्बन्ध में उठ सकता है। इस समय कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। मद ८ मैं ले लूं उस समय आपको जो कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न तो उसी सम्बन्ध में उठ सकता है जो कि कार्य सदन के विचाराधीन हो। इस वक्त कोई कार्य नहीं है।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न जो है वह जनरल तौर का है और आपके इस खास ऐटीट्यूड के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—वह ऐटीट्यूड जो कुछ है उसके बारे में आप कमरे में कह सकते हैं।

श्री झारखंडेराय—नहीं, कमरे में नहीं, यहीं बात होगी।

श्री अध्यक्ष—देखिये, वह तो आप मेरे कमरे में कर सकते हैं। हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं।

†श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मेरा एक अनुरोध आप सुन लें। माननीय नेकराम जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अब आपने उन्हें सुना नहीं कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है और आप ने यह कहा कि आप मेरे कक्ष में आ करके उस व्यवस्था के प्रश्न को बतायें। मैं समझता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न जो सदन में तत्काल कार्यवाही चल रही हो, अगर उसमें सदन के नियमों का कोई उल्लंघन हो रहा हो या संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो उस सम्बन्ध में उठाया जा सकता है और जब तक कि उसके ऊपर आप निर्णय न कर लें और अपनी व्यवस्था न दे दें तब तक आगे कार्यवाही नहीं चल सकती। अब आप कहते हैं कि कक्ष में आकर व्यवस्था का प्रश्न उठाइये। मैं समझता हूं कि यह जो आप ने व्यवस्था दे दी और यह जो आप ने आदेश दिया है, यह मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि इससे सदन के नियमों का पालन नहीं हो सकता और इससे किसी भी व्यक्ति जो अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं रह जाती, अगर आपके इस आदेश का पालन किया जायगा। फिर आप ने गुस्से में कहा कि सदन का त्याग कर दें। (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात सुन लीजिये, फिर कहिए। आप ने बहुत जल्दी में यह कहा कि आप सदन का त्याग कर दें। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर अगर आप थोड़ा संयम से जिसको कहते हैं उससे काम नहीं लेंगे और धैर्य से सुनेंगे नहीं, तो जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें बहुत बड़ा व्यवधान उपस्थित होगा और उसके चलने में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ेगी। कोई भी

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

माननीय सदस्य अपने विचारों को सदन में नहीं रख सकेगा। इसलिये मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको आप सुनने के बाद, चाहे भले ही उसको रूल आउट कर दें, यह दूसरी बात है, लेकिन पहले आप उनको सुन लें। हो सकता है कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने जो बात आप के कक्ष में कही वह कुछ और रही हो और माननीय नेकराम शर्मा किसी दूसरे प्रश्न को उठाना चाहते हों। इसलिए मेरा सादर अनुरोध है कि उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनकर उस पर आप अपना निर्णय दें। वरना बड़ी दिक्कत पड़ेगी, यहां कार्यवाही के चलने में।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया इस सम्बन्ध में नियम ३०० और ३०१ देख लें। जो नियम हैं उनका पालन करना आवश्यक है।

श्री झारखंडेराय—नियमों की बात तो आप पढ़ देंगे। आप वकील हैं, जानते होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सर्वव्यापी ब्रह्म तो नहीं हैं कि जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी मेरे मन में है, उसे आप ने सुना नहीं और वह आपने समझ लिया। यह कैसे होगा और कब तक चलेगा?

श्री अध्यक्ष—मैं नियम बता दूं—औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय (१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिन से सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(२) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। अब इसे मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—नियम ३०० से साफ हो जाता है कि किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—अंग्रेजी में पढ़ने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष—इसलिये कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ कर उसका मतलब निकाल लूं। (व्यवधान) आप लोग जरा शान्त रहें। इसमें कहते हैं :—

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment : "

अब जो कार्यवाही सदन के समक्ष हो उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। इसके आगे है– "परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि यह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो।" यह अंग्रेजी में यूं है:—

"Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House."

तो अब यह मेरे विवेक पर निर्भर है कि मैं कोई औचित्य प्रश्न चाहूं तो उठाने की इजाजत दे सकता हूं। अब जरा कृपा कर ३०० का (६) देखें :

(६) कोई सदस्य—

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेगा ।

अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहे हैं । एक बात समाप्त हो गयी, और मैं दूसरी कोई कार्यवाही करने जा रहा हूं और इस बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठ रहा है । तो इस तरह के तो ४३१ प्रश्न उठ सकते हैं । यदि जो कार्यवाही सदन में न चल रही हो उस सम्बध में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना है तो उस के लिये आप कक्ष में आइये । (व्यवधान) अब जरा मैं नियम ३०१ पढ़ दूं ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---इसी विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---धारा ३०० जो है...

श्री अध्यक्ष---इस समय मैं पढ़ रहा हूं । अब बैठिये ।

"ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो---जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिस मे संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे । "

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली का कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें ।

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order, shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

तो आप देखें कि इतनी व्यवस्थायें हैं, जिसके अन्तर्गत कुछ आना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर चाहता हूं कि इस सवाल के ऊपर आज कुछ मामला तय हो जाय क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है और उलझाव है । हमें यह तय करना है कि हम प्वाइन्ट आफ आर्डर कब उठा सकते हैं और कब नहीं उठा सकते हैं । माननीय नेकराम जी शर्मा ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था वह उस विषय के संबंध में था जो कि श्री टंग्रेश्वरी प्रसाद ने आपके सामने पेश किया था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है । आपने माननीय नेकराम शर्मा को उनकी बात कहने की इजाजत नहीं दी और कहा कि बैठ जाओ । आपने उनकी बात सुनी तक नहीं और कह दिया कि यह प्वाइन्ट आफ आर्डर गलत है । इसलिये मैं चाहता हूं कि कुछ सीमायें तय हो जायें । यह जरूरी है । यह सीमा नहीं है कि आपने बगैर प्वाइंट आफ आर्डर सुने हुए ही कह दिया कि मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं और बैठ जाइये । यह कहां तक उचित है ?

[श्री जेड० ए० अहमद]

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। यह तो आप जानते ही हैं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब माननीय नेकराम शर्मा अपना प्वाइन्ट आफ आर्डर रख रहे थे, उस वक्त आपने कहा कि हाउस से निकल जाओ। तो मैं उसको समझ नहीं सकता कि किस बात पर आपने यह कह दिया। वह तो सिर्फ दरख्वास्त कर रहे थे कि मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये और आपने ऐसा कह दिया। यदि जरा जरा सी बात पर हाउस से निकाला जायेगा या कहा जायेगा कि निकल जाओ, तो फिर जनाब हम को भी सोचना पड़ेगा कि हम भी क्या रवैया अख्तियार करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--मैंने माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी से स्पष्ट कहा कि पहले जो वाकयात आप बयान कर रहे हैं वह सही हैं या नहीं, पहले मैं उनको देख लेना चाहता हूं। उसके बाद यह प्वाइंट आता है। इसलिये मैं पहले फैक्ट्स असरटेन कर लेना चाहूंगा। मैंने उनसे कहा कि जब फैक्ट्स ही असरटेन्ड नहीं हैं तब प्वाइंट आफ आर्डर कैसे होगा। इसलिये प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता। परन्तु उन्होंने कहा कि हम प्वाइंट आफ आर्डर जरूर रखेंगे। मैंने फिर कहा कि मेरी बात समझ लीजिये मैं यह कह रहा हूं कि प्वाइंट आफ आर्डर उस वक्त कान्सीडर होगा जब मैं फैक्ट्स असरटेन कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव--अध्यक्ष महोदय, रूल ३०० को आप देखें .....।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना हूं ...

श्री अध्यक्ष--आप पहले बैठ जायें, मैंने माननीय चन्द्रजीत जी को इजाजत दी है।

*श्री चन्द्रजीत यादव--अध्यक्ष महोदय, आपने कई धाराओं का जिक्र किया लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं केवल नियम ३०० की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जिसमें लिखा है--

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

श्री चन्द्रबली सिंह--यहां पर मैकमिलन और कैनेडी की औलादें नहीं हैं, नियम को हिन्दी में पढ़ना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव--दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न सदन के सामने हो उस पर उठाया जा सकता है। श्रीमन्, सदन के लिये जो नियम बनाये गये हों उनका या संविधान के किसी अनुच्छेद का भंग हो रहा हो तो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--आप गलती कर रहे हैं, संविधान का वह अनुच्छेद जो सदन की प्रक्रिया से संबंधित हो।

श्री चन्द्रजीत यादव--वही श्रीमन्, जो उसको नियंत्रित करते हैं अगर उन्हीं का उल्लंघन हो रहा हो तो वह प्रश्न उठाया जा सकता है। माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने कहा कि निलम्बन के जो नियम प्रक्रिया नियमावली में दिये गये हैं उनका भंग हुआ है, पालन नहीं हुआ है। उनको इस बात का अधिकार था कि वे इस प्रकार का प्रश्न उठाते। श्रीमन्, कई माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य सदन की सेवा से वंचित कर दिये गये हैं। उनके संबंध में नियमों के उल्लंघन की बात जब सदन में लायी जाती है तो आपको उस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। आपने कहा कि मैं कल उसको देखूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि मैं पहले तथ्यों को वेरीफाई कर लूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—वह ठीक है, किन्तु इस प्रकार के तथ्य कि कई सदस्य सदन की सेवा से वंचित किये गये हों, मैं समझता हूं कि आपको सदन का सारा कार्य बन्द करके उसको पहले देखना चाहिये था। इसी संबंध में माननीय नेकराम शर्मा अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता थे। आप फैक्ट्स को वेरी फाई करने के बाद व्यवस्था देते, मगर उनको सुन लेते कि वे क्या कहना चाहते थे। एक ही विषय पर ४ आदमी ४ तरह से प्वाइंट आफ आर्डर उठा सकते हैं। आप उनको सुनकर रद्द कर सकते हैं। अगर उनको बगैर सुने आप रद्द कर देंगे तो फिर हम कैसे सदन के अन्दर काम कर सकेंगे? इसलिये आप माननीय नेकराम जी को सुनने की इजाजत दें।

*श्री काशीनाथ मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ३०० की व्याख्या जो दुर्गादास जी ने की है, जिसको बंगाल असेम्बली ने भी माना है वह यह है कि प्वाइंट आफ आर्डर किसी भी वक्त उठाया जा सकता है जब कि सदन की कार्यवाही चल रही हो। हाउस आफ कामन्स में तो डिवीजन के वक्त भी प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है लेकिन यहां कम से कम अपाको अन्य अवसरों पर तो उसको उठाने की इजाजत देनी चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हो गयी हैं कि जिन्होंने उलझाव पैदा कर दिया है। श्रीमन्, यह तो हम सब समझते हैं कि नियमों के अन्तर्गत ही कार्य चलाया जा सकता है और जैसा आपने उस दिन कहा था कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की है। आपके उस वाक्य को मैं मानता हूं। उसी के आधार पर मैं, श्रीमन् से बहुत विनम्र और करबद्ध निवेदन करता हूं कि श्रीमन् भी इसमें हमारी सहायता करें जिससे सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। नियमों का पालन और इन्टरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा हेयर लाइन इसप्लिटिंग है परन्तु उसमें मनुष्य की भावनाओं का भी समावेश होना चाहिये।

अभी श्रीमन् ने आवेश में आकर माननीय नेकराम जी से कहा कि सदन छोड़ कर चले जाओ और उनकी बात भी आपने सुनने का कष्ट नहीं किया। यह सही है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब मनुष्य को धैर्य के साथ उनको सुनना चाहिये, यह बात दूसरी है कि नियमतः आप उनको वूलआउट कर दें और आपकी वूलिंग हम मानने को तैयार हैं मगर आप हमारी बात को सुन लें। कभी कभी हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन-सी आपने ओपीनियन जाहिर की है और कौन सी वूलिंग दी है क्योंकि कभी कभी आप कहते हैं कि वह मैंने अपनी ओपीनियन जाहिर की थी, जैसा कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने कहा था। कभी आप कहते हैं कि अभी मैंने निर्णय नहीं दिया, आप मेरे कक्ष में आकर बातें कर लें। यानी पहले यहां सदन में बात हो और फिर कक्ष में हो। या आप फिर ऐसा नियम बना दीजिये कि सभी बातें कक्ष में ही हों। यह मैं मानता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से कुछ बातें कक्ष में होनी चाहिये लेकिन जो बातें सदन में उठायी जायं उनका उत्तर सदन में ही दिया जाना चाहिये।

मुझसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वे समझ नहीं पाते हैं कि बिना उनकी बात सुने [illegible] किस आधार पर बैठा दिया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की मिसअन्डर-

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

स्टैंडिंग जो आपस में हो रही है, वह न हो। मैं समझता हूं कि इस सदन का कार्य तभी सुचारु रूप से चल सकता है जब श्रीमन्, हमें धैर्य के साथ सुनें।

एक बात का मुझे और आश्चर्य हुआ, यद्यपि उसका जिक्र आज नहीं हुआ परन्तु एक बार श्रीमन् ने किसी विषय पर रूलिंग देते हुए कहा था कि लोगों का दृष्टिकोण स्टालिंग टैक्टिक्स है। इस प्रकार पीठासीन व्यक्ति की ओर से नीयत पर वार किया जाना, मैं समझता हूं, अत्यन्त दुःखद है। इसलिये मैं श्रीमन् से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार नीयत का प्रश्न आना उचित नहीं है।

पुनः बड़ी नम्रता के साथ मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनें और उसके बाद उसकी इजाजत देना या उसको रूल आउट करना, यह आपका काम है। मेरा आपसे यह आग्रह अवश्य है कि आप हमको सुनने में सरोष न हों।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन के सामने आ गया वास्तव में बहुत मौलिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों में कुछ दिनों से ऐसी बात पैदा हो रही है कि हम लोगों को अपने अधिकारों की पूर्ति में बड़ी बाधा पड़ रही है। मैं जानना हूं, जैसा कि आपने कहा—विरोधी दल और सदन के नेता ही यहां का कार्य संचालन करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि प्रदेश का हर सदस्य समझता है कि मैं भी यहां एक अदना हस्ती रखता हूं। श्रीमन्, बात बिलकुल साफ है कि सरकारी पक्ष तो अपने बहुमत के बल पर चलता है। आज विरोधी दल का भी एक कर्त्तव्य है और प्रजातंत्र में विशेष कर्त्तव्य है और उस कर्त्तव्य का पालन हम तभी कर सकते हैं जबकि नियमों का ठीक से पालन किया जाय, विशेष रूप से प्रक्रिया नियमावली इसका आधार है। जब हम देखते हैं कि अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि मनुष्य होने के नाते एक बेचैनी और बौखलाहट पैदा होती है। मैं नहीं कहता कि सारे नियम या उसके एक एक लफ्ज को पढ़ना जरूरी है लेकिन अगर कोई सदस्य कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता है तो बिना उसके कुछ कहे और बिना उसे सुने आप कैसे बतला सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है या वह किसी कार्यक्रम के बारे में ही आपसे पूछना चाहता है? क्योंकि नियमों के जरिये ही विरोधी दल के सदस्य अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं और करते हैं। और कुछ मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस कुर्सी से जो भी आपका निर्णय होगा वह हमें शिरोधार्य होगा लेकिन हमारा कर्त्तव्य और अधिकार है कि हम सदन के सामने कुछ निवेदन करें। इस सम्बन्ध में मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठावें और कुछ कहने के लिये खड़ा हो, तो बिना सुने आपको नहीं कहना चाहिये कि आप बैठ जायं। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में जेड० ए० अहमद साहब ने कह दिया। विरोधी दल को इस सम्बन्ध में और ज्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, यह एक बड़ा ही अहम सवाल है जिसके सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हाउस आफ कामन्स में जहां की पार्लियामेंटरी पद्धति हमारे यहां लागू है, हमारा सारा कांस्टीट्यूशन और हमारी प्रक्रिया नियमावली हाउस आफ कामन्स से ही प्रभावित होकर बनी है। तो मैं आपके समक्ष हाउस आफ कामन्स में प्वायंट आफ आर्डर के सम्बन्ध में क्या नियम है, रखना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसहाय जी, यहां प्रिंसिपल का कोई सवाल नहीं है, इसमें हमारा आपका कोई मतभेद नहीं है ।

श्री भगवान सहाय—मेरी बात आप सुन तो लें ।

"POINT OF ORDER——

Any Member of Parliament can and should bring to the Speaker's immediate notice any instance of what he considers a breach of order or a transgression of any written or unwritten law of the House, and he may also ask for the guidance and assistance of the Chair regarding any obscurities in procedure. A member is entitled, in such cases only, to interrupt a debate by rising and saying, "On a point of Order, Mr. Speaker," and then to lay the point in question conscisely before him, although there is often some doubt among members as to what exactly constitutes a point of order, and thereply is quite frequently, "That is not a point of order." To raise a point of order during a division (q.v) a member must be seated and covered."

श्री अध्यक्ष—मैं इस चीज को मानता हूं ।

श्री भगवानसहाय—यह बड़ा ही अहम सवाल है और जब तक प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं तय होता, मैं समझता हूं कि हाउस की कार्यवाही चलाना ही बिलकुल बेकार है। अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर सदन के सामने लाना चाहता है.....

श्री अध्यक्ष—आपकी बात मैंने सुन ली । आप कहते हैं कि अगर इस प्रकार का विषय सदन के सामने आवें तो मैं सारे फैक्ट्स को एसर्ट कर लूं और तब किसी सदस्य को इंगित करना ठीक होगा ।

श्री भगवानसहाय—मेरी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें । कुंवर श्रीपार्लसिंह जी, आपको क्या कहना है ?

***कुंवर श्रीपार्लसिंह** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही अहम सवाल है और वह यह कि इस हाउस की मर्यादा का सवाल है । मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज करना चाहता हूं आपको अपना टैम्पर लूज करने का कोई राइट नहीं है । अगर कोई सदस्य सदन में खड़ा होकर अपनी कोई बात कहना चाहे और उसे बिना सुने हुए ही कि वह क्या कहना चाहता है इस तरह से आपका बौखलाना और टेम्पर लूज करना उचित नहीं है ।....

श्री अध्यक्ष—यह तो डाक्टर साहब कह चुके हैं, इसके अलावा आपको क्या कहना है ? इस तरीके से बात करना ठीक नहीं है ।

कुंवर श्रीपार्लसिंह—इसके अलावा मुझ एक ओरिजनल बात कहनी है कि आपकी आज्ञायें जो होती है, उनमें से किस आज्ञा को हम समझें कि यह आज्ञा है और किन आज्ञाओं को समझें कि यह मजाक है ? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें क्योंकि आपने माननीय नेकराम शर्मा से सदन छोड़ने के लिये कहा लेकिन वह सदन में अब भी बैठे हैं । हम कैसे समझें कि कौन सी आज्ञा आप की मजाक है और कौन सी वास्तव में आज्ञा है और किस मूड और शब्दों में आपकी आज्ञा को हम मजाक समझें और किस मूड और शब्दों में आपकी आज्ञा को सीरियसली आज्ञा समझें?

श्री अध्यक्ष—अब यह विषय समाप्त ।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

आप सब बैठें, अब वह विषय समाप्त हो गया ।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मेरा निवेदन आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, सदन के विचार इस संबंध में मैंने सुन लिये, इनको मैं ध्यान में रखूंगा ।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, इसका एक पहलू और है उसको भी आप सुन लें और ध्यान में रखें ....

श्री अध्यक्ष—मैं सेन्स को समझ गया हूं, उसका मैं आदर करूंगा ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा को आपने जो सदन से निकल जाने की आज्ञा दी है आप उसे वापस कर लें ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—अध्यक्ष महोदय, १३ व १४ सितम्बर, १९६२ को विधान सभा में हुये बाढ़ पर वादविवाद के समय उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिले में हुई क्षति तथा पहुंचाई गई सहायता का एक विवरण-पत्र माननीय सदस्यों की मेजों पर रखा गया था तब से प्रदेश के कुछ भागों में अत्यधिक वर्षा हुई है तथा कुछ भागों में पुनः बाढ़ आई ।

कुछ माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिसें भेज कर शासन का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित किया है । इन माननीय सदस्यों के नाम तथा जिन जिलों के संबंध में वे अतिरिक्त सूचना चाहते थे, वह इस प्रकार है :

क्रम सं०	जिले का नाम	माननीय सदस्यों के नाम
१	सहारनपुर ..	.. सर्वश्री रामचन्द्र विकल, ब्रह्मदत्त मायर, रामकिशोर
२	मुजफ्फरनगर ..	.. श्री रामचन्द्र विकल
३	मेरठ ..	.. श्री रामचन्द्र विकल
४	बुलन्दशहर ..	.. श्री रामचन्द्र विकल
५	अलीगढ़ ..	.. श्री रामचन्द्र विकल
६	मथुरा ..	.. श्री राधेश्याम शर्मा
७	मैनपुरी ..	.. श्री बृजेश्वर सहाय
८	कानपुर ..	.. सर्वश्री शिवनाथ सिंह, रामसुन्दर पांडेय और दौलतलाल
९	फतेहपुर ..	.. सर्वश्री बंशीलाल, दीप नारायण सिंह और मैनेजर सिंह
१०	इलाहाबाद ..	.. सर्वश्री बंशीलाल, दीप नारायण और मैनेजर सिंह
११	जालौन ..	.. श्री लखीसिंह

क्रम सं०	जिले का नाम		माननीय सदस्यों के नाम
१२	जौनपुर	..	.. श्री केशरीप्रसाद पांडेय
१३	बलिया	..	.. सर्वश्री बंशीलाल, दीपनारायण और मैनेजरसिंह
१४	वाराणसी	..	.. सर्व श्री उमाशंकर तिवारी, रतीपाल, हिम्मतसिंह, तमेश्वरप्रसाद और जगन्नाथ
१५	देवरिया	..	.. श्री चन्द्रबली सिंह
१६	लखनऊ	..	.. सर्वश्री हिम्मतसिंह, तमेश्वरप्रसाद, जगन्नाथ, रामसुन्दर पांडेय और दौलतलाल
१७	आजमगढ़	..	.. सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय और दौलतलाल
१८	सुल्तानपुर	..	.. श्री अब्दुल समी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रामबली मिश्र ने सुल्तानपुर के संबंध में तथा सर्वश्री राजेन्द्र-सिंह चौहान एवं लोकपाल सिंह के एटा जिले के संबंध में नोटिसें केवल १ अक्तूबर, १९६२ को प्राप्त हुई हैं। संबंधित जिला अधिकारियों से माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों के संबंध में वांछित सूचना शासन को भेजने के लिये कहा गया है और आवश्यक जांच-पड़ताल हो रही है।

उपरोक्त जिलों में १४ सितम्बर, १९६२ के पश्चात् बाढ़ द्वारा हुई हानि की स्थिति निम्न प्रकार है :

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है कि आप ने आदेश दिया कि श्री नेकराम शर्मा सदन छोड़ें, लेकिन वह पधार रहे हैं...

श्री अध्यक्ष—अगर मुझे इन्सिस्ट करना होता तो मैं कहता, अब वह मेरी सहमति से बैठे हैं। आप बैठ जायं।

श्री श्यामलाल—वह आप की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं।

सहारनपुर

श्री बृजबिहारी—२० सितम्बर को पहाड़ियों, तराई क्षेत्र की भारी वर्षा तथा उसी दिन की स्थानीय अतिवृष्टि के कारण यमुना नदी में बाढ़ आई जो दो दिन तक रही तथा जिससे सदर व नकौर तहसीलें प्रभावित हुईं।

बाढ़ से तहसील नकौर के १२० गांव तथा तहसील सदर के २० गांव प्रभावित हुये। तहसील नकौर के ३६२ मकानों को क्षति पहुंची तथा ४४,२४१ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। सदर तहसील में ४८८ एकड़ भूमि प्रभावित हुई।

नकौर तहसील में मक्का, बाजरा, धान, ज्वार, उर्द, चरी तथा कपास की फसलों को रुपये में २५ से ५० नये पैसे तक की क्षति हुई तथा सदर तहसील में बाद की खरीफ की फसल को १० नये पैसे की क्षति हुई। तहसील नकौर के सरसपुर जाट गांव की आबादी को थौनिक और छाजों सहसपुर गांवों की ऊंची भूमि पर पहुंचा दिया गया है। जीवन की आवश्यक वस्तुयें जैसे—चना, गुड़ तथा मिट्टी का तेल जरूरतमंद तथा निर्धन मनुष्यों में बांटी गयी। किसी स्थान से पानी भरे रहने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

[श्री बृजबिहारी]

[मुजफ्फरनगर

२१ तथा २२ सितम्बर को लगातार विस्तृत क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। सलोनी, यमुना की कथा और खोखरी शाखाओं में तथा गंगा नदी में बाढ़ आई। सदर, कैराना तथा जानसठ तहसीलें प्रभावित हुईं। कैराना तहसील के ६५ गांव तथा २०,००० एकड़ भूमि प्रभावित हुई। ४५ मकानों को क्षति पहुंची तथा ५ झोपड़ियां बह गई। २ मनुष्यों और ३ जानवरों की जानें गई तथा ज्वार, बाजरा और मक्का आदि को रुपये में ५० से ७५ नये पैसे की अनुमानित क्षति हुई। सदर तहसील में ११ गांव प्रभावित हुये तथा खरीफ की फसल को रुपये में १२ नये पैसे से २० नये पैसे तक की क्षति पहुंची।

कैराना तहसील में झुनझुना-करटू सड़क में अहमदगढ़ नामक स्थान पर लगभग ५ फीट चौड़ी दरार पड़ गई जिससे यातायात में व्यतिक्रम हुआ। जानसठ तहसील में भी कुछ कच्ची सड़कें जलमग्न रहीं। बिजली भी केवल कुछ घंटों के लिये बन्द हो गई। खुरगैन के समीप कठा पर का पुल क्षतिग्रस्त हुआ। आवश्यक सहायता के कार्य अपनाये गये।

मेरठ

१३ सितम्बर से २२ सितम्बर तक रोज लगातार वर्षा हुई जो बाद में २८ सितम्बर तक चलती रही। स्थानीय वृष्टि तथा नदी के ऊपर के स्थानों में अत्यधिक वर्षा के कारण यमुना में बाढ़ आई। यमुना नदी की बाढ़ से बागपत तहसील के ३३ ग्राम तथा गाजियाबाद तहसील के १५ गांव जिनका कुल क्षेत्रफल २७६४२ एकड़ हैं प्रभावित हुये हैं। ४६० मकान क्षति ग्रस्त तथा नष्ट हुये हैं। एक व्यक्ति तथा दो पशुओं की मृत्यु हुई। मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना तथा अन्य फसलों को रुपये में ०.३७ से ८० नये पैसे तक की क्षति हुई। यातायात तथा बिजली की लाइनों में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ।

शाहदरा-सहारनपुर सड़क ४ फर्लांग तक दो दिन तक जलमग्न रही। नदी के किनारे वाले गांव के निवासियों को नाव के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित व्यक्तियों में चना, गुड़ तथा मिट्टी का तेल इत्यादि बांटा गया।

बुलन्दशहर

ऊपरी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हिंडन तथा यमुना नदी में २४ सितम्बर से बाढ़ आ गयी है किन्तु अब ये नदियां घट रही हैं। इससे सिकन्दराबाद तथा खुर्जा तहसीलें प्रभावित हुई हैं। सिकन्दराबाद के ८४ गांव तथा खुरजा के १४ गांव प्रभावित हुये हैं। सिकन्दराबाद में १०३ घर तथा तहसील खुरजा में २९ मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं। इन तहसीलों में क्रमशः २२,००० एकड़ तथा ४५० एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। बाजरा, ज्वार तथा मक्के की फसल को रुपये में .५० से .७५ नये पैसे तक क्षति पहुंची है जब कि गन्ने को .२५ नये पैसे की क्षति हुई है। कोन्डली में कुन्दुरा सड़क में दरारें पड़ गयी थीं।

बाढ़ग्रस्त तथा जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक सामग्री दी गयी। अहेतुक सहायता दी जा रही है।

अलीगढ़

१५ सितम्बर से समय समय पर वर्षा हुई। यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से नदी का पानी बढ़ जाने के कारण २६ और २७ सितम्बर की रात में खैर तहसील के २१ ग्रामों के चारों ओर के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया। २४,६२० एकड़ भूमि तथा २०,५३५ मनुष्य प्रभावित हुये। ६३ कच्चे व पक्के मकान क्षति ग्रस्त हुये। खरीफ की फसल को अत्यधिक क्षति पहुंची। नरकान, शेरपुर, धरबार, समारपुर, लालपुर, गिरधरपुर तथा मिलक गांव जलप्लावित हुये। सुरक्षा कार्य शुरू किये गये एवं सहायता पहुंचायी गई।

समुचित चिकित्सा सहायता का प्रबंध किया गया तथा स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है। पीड़ितों में जीवनोपयोगी सामग्री बांटी गई ।

मथुरा

यमुना नदी में बाढ़ आ रही है तथा २९ सितम्बर को नदी का जल स्तर खतरे के बिन्दु से ढाई फुट ऊपर होने की सूचना थी। माट तहसील के २२ गांव तथा छाता तहसील के ३४ गांव प्रभावित हुये। इन तहसीलों में क्रमशः २४२ एकड़ और ८,१८० एकड़ भूमि प्रभावित हुई। छाता तहसील का बाबूगढ़ गांव पानी से घिर गया और उसके निवासियों को वहां से हटाया गया है। बाबूगढ़, छिनपुरिया तथा कोटलाअलीपुर में नावें चल रही हैं। ३३ गांवों में भी पानी जमा होने की सूचना है। फसलों को रुपये में .२५ नये पैसे से .८७ नये पैसे तक की क्षति हुई है। ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना इत्यादि फसलों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। छाता तहसील के ५५ मकान बाढ़ से प्रभावित हुये ।

मैनपुरी

मैनपुर, शिकोहाबाद, भोगांव, जसराना और करहल तहसीलों में सितम्बर, १९६२ के दूसरे पखवारे में भारी वर्षा हुई। शिकोहाबाद तहसील के ८३ गांवों में तथा भोगांव तहसील के ५ गांवों में पानी जमा हुआ। कोई भी मकान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट नहीं हुआ। कोई भी मनुष्य या पशु जीवन की हानि नहीं हुई ।

प्रभावित क्षेत्र मामूली ही हैं और स्थानीय निरीक्षण भी चल रहा है। भोगांव तहसील के कुछ गांवों में धान, ज्वार व बाजरा की फसलों को रुपये में .५० नये पैसे तक की हानि हुई। मक्का की फसल को रुपये में .६२ नये पैसे की हानि हुई। मूंगफली को रुपये में .७५ नये पैसे तथा गन्ने की फसल को .३७ नये पैसे की हानि हुई। तहसील शिकोहाबाद में हानि मामूली ही रही।

कहीं भी सड़क पुलिया या किनारे नहीं टूटे हैं। सिवाय इसके कि बेलोन व अमरैध गांवों से पानी की निकासी के लिये सड़क व नहर काटी गयी। यातायात तथा बिजली की सप्लाई में कोई भी व्यक्तिक्रम नहीं हुआ।

प्रभावित क्षेत्रों के अधिक भाग के जल की निकासी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है। अन्य क्षेत्रों में जल की निकासी के लिये आगे प्रयत्न जारी है।

कानपुर

यद्यपि सितम्बर के द्वितीय पक्ष में लगातार तथा घोर वर्षा नहीं हुई तब भी तहसील सदर में गंगा नदी बढ़ कर ३७२ फीट की ऊंचाई तक पहुंची और १७ गांवों को प्रभावित किया। एक नाले के सहारे गंगा का पानी ईश्वरी ग्राम में पैठ गया जिससे १० झोपड़ी प्रभावित हुई। आबादी का कोई अन्य भाग प्रभावित नहीं हुआ। २९१ एकड़ फसल का क्षेत्र प्रभावित हुआ। ज्वार बाजरा, अरहर, धान, गन्ना आदि फसलों को अनुमानित क्षति रुपये में २५ से ३७ नये पैसे तक है।

भोगनीपुर तहसील में यमुना नदी में भी बाढ़ आयी जिससे १४ गांव तथा १५० एकड़ भूमि प्रभावित हुई और रुपये में १२ से ५० नये पैसे तक फसलों की क्षति पहुंची।

फतेहपुर

जिले में सितम्बर के दूसरे पखवारे में अतिवृष्टि हुई। इस पखवारे की कुल वर्षा का योग ११.८२ इंच है। किसी नदी में भी बाढ़ नहीं थी किन्तु निचले क्षेत्र पानी के जमाव से प्रभावित हुये। कुल मिलाकर तहसील बिंदकी के ११५ गांव और तहसील खागा के १६ गांव प्रभावित हुये जिनमें १३,८१२ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। किन्तु केवल बिंदकी तहसील के ५४ गांवों में

[श्री बृजबिहारी]

३०५१ एकड़ क्षेत्र में अगहनी तथा क्वारी धान, बाजरा, ज्वार व उर्द की फसलों को रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक की हानि पहुंची। अन्य प्रभावित गांवों में फसलों को नाममात्र की हानि हुई। ३५ जलप्लावित गांवों में १०३ मकान क्षति ग्रस्त हुये। मानव व पशु जीवन की हानि नहीं हुई।

(इस समय १२ बज कर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

इलाहाबाद

जिले में २२ सितम्बर से २५ सितम्बर, १९६२ तक अतिवृष्टि हुई।

गंगा, यमुना तथा टोंस नदियों में बाढ़ आयी। गंगा नदी का उच्चतम जलस्तर २७६.५ फीट रहा जब कि खतरे का बिन्दु २७८ फीट है। यमुना नदी का उच्चतम जलस्तर २७५ फीट तक गया। इलाहाबाद नगर के निचले क्षेत्र तथा कछार क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुये। लगभग १७,६२३ एकड़ भूमि वर्षा तथा बाढ़ के जल से डूबी रही।

श्री काशीनाथ मिश्र—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बृजबिहारी—बातें होंगी तो कैसे सुनाई देगा ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे राजस्व मंत्री की यह पद्धति रही है कि बाढ़ के विषय में अपना बयान छपवा कर पहले से बांट दिया करते थे लेकिन इस बार उसे नहीं बंटवाया है। उसके मिल जाने से ज्यादा सहूलियत होती। खाली रिपोर्ट पढ़ देने से क्या फायदा है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा मैं यह कोशिश करता था कि एक वक्तव्य छाप कर माननीय सदस्यों के बीच में बंटवा दिया करता था। कल इत्तिफ़ाक़ से गांधी जयन्ती थी और सेक्रेटेरियट बन्द था। इस वजह से छप नहीं सका। यही वजह हुई कि मैं इस वक्तव्य को छपवा कर माननीय सदस्यों के बीच में वितरित नहीं करा सका।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—आप कृपा कर आदेश दे दें कि यह वक्तव्य छप कर कल या परसों मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी कल या परसों छपवा कर दे सकेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री बृजबिहारी—२५७ घर जो मुख्यतः कच्चे थे गिर गये तथा ८९४ घर अंशतः क्षतिग्रस्त हुये।

किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई परन्तु ८९४ पशु तहसील सोरो के कछार क्षेत्र में चरते समय गंगा नदी की आई भयानक लहर में बह गये जिनमें से १६७ को पुनः मिल जाने की सूचना प्राप्त हुई तथा शेष को ढूंढ़ने का प्रयत्न जारी है।

फूलपुर, सीरो एवं करछना तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हुईं। कछार क्षेत्र में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, अरहर तथा धान की फसलें प्रभावित हुईं। शहर में जमा हुआ पानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, फायर ब्रिगेड तथा नगर महापालिका के पम्पों (नलों) द्वारा निकाला गया।

जिला बाढ़ सहायता योजना कार्यान्वित की गई एवं सभी बाढ़ सहायता केन्द्र सुरक्षा तथा सहायता कार्यों के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दिये गये थे। जहां आवश्यक हुआ चना, गुड़, नमक तथा मिट्टी का तेल बाटा गया। नगर के तटवर्ती भागों में नावों का प्रबंध कर दिया गया था। चारे का प्रबंध भी किया गया।

जालौन

यमुना नदी में बाढ़ आई परन्तु ग्राम ऊंची भूमि पर बसे होने के कारण किसी प्रकार की की हानि नहीं हुई। नदी में पानी का स्तर अब उतर गया है। बाढ़ या वर्षा के कारण कोई हानि नहीं हुई।

वाराणसी

२२ सितम्बर से २५ सितम्बर, सन् १९६२ तक लगातार अतिवृष्टि हुई। ज्ञानपुर में २४ सितम्बर, को अधिक वर्षा हुई। अत्यधिक वर्षा से विशेषतया ज्ञानपुर तहसील में तथा सदर तहसील के कुछ भागों में अत्यधिक जलप्लावन हो गया।

अहरौरा बांध से पानी छोड़े जाने तथा गदई और चन्द्रप्रभा नदियों में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण तहसील चन्दौली में स्थिति अधिक गंभीर हो गई। गंगा, गोमती तथा वरुणा नदियां अभी तक बाढ़ पर हैं पर चन्द्रप्रभा शांत हो चुकी है।

जिले की चारों तहसीलें अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुईं। गदई नदी का मार्ग ५,६ मील तक अवरुद्ध होने के कारण जलस्तर तेजी से घट नहीं सका है और इस कारण चन्दौली तहसील में जल प्लावन की स्थिति अधिक दिनों तक बनी रहने की संभावना है। तहसीलों में प्रभावित ग्रामों की संख्या निम्न है:—

तहसील चन्दौली ३५४, ज्ञानपुर १,२३०, वाराणसी २६३, चकिया ४।

१८५१ गांवों में धान, बाजरा, उर्द, गन्ना, अरहर तथा सनई की फसलों को रुपये में ५० नये पैसे या इससे अधिक क्षति हुई। "ताल" क्षेत्र में विशेषकर "समदहा" ताल द्वारा जल प्लावित क्षेत्र में, धान की फसल को ७५ नये पैसे के ऊपर क्षति हुई।

क्षतिग्रस्त तथा ध्वस्त मकानों की तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है:—

तहसील सदर ५०, चन्दौली ४५, चकिया १७, ज्ञानपुर ५६।

६,२३,५१३ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई जनहानि नहीं हुई, न कोई मवेशी मरा।

मुगलसराय—चकिया सड़क, मिर्जापुर-जौनपुर सड़क तथा भदोही-शिवदासपुर सड़क टूट गई और आवागमन में व्यतिक्रम हुआ। प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण जिलाधीश तथा अन्य जिला अधिकारियों द्वारा किया गया। चना, मिट्टी का तेल इत्यादि आवश्यक वस्तुयें प्रभावित ग्रामों में बाटी गईं। गरीब और जरूरतमन्द लोगों में अहेतुक सहायता भी वितरित की गई। सरकारी बकाया की वसूली भी १५ नवम्बर, १९६२ तक के लिये रोक दी गई।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, अब समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर अभी ज्यादा हो तो फिर बाद में जारी रखेंगे।

श्री बृजबिहारी—जी हां, अभी तो काफी है।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब १ बज गया है, हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

जौनपुर

श्री बृजबिहारी—उपाध्यक्ष महोदय, जौनपुर के बारे में मैं बताने जा रहा था कि सितम्बर के दूसरे पखवारे में विशेषतया २३ व २४ सितम्बर को भारी वर्षा हुई। गोमती, सई तथा पीली नदियों में बाढ़ है और वे बढ़ रही हैं। जिले की सभी तहसीलें प्रभावित हुई हैं। ४२० गांव तथा ६७,१५२ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। ४६ गांव जल प्लावित हैं। ३६६ मकान क्षतिग्रस्त हुये, ७३ नष्ट हुये। ४ पशुओं की मृत्यु मकान गिरने के कारण हुई। बाजरा, ज्वार, अरहर तथा क्वारी धान की फसलों को ५० से ६२ नये पैसे की क्षति हुई है। जौनपुर–मिर्जापुर सड़क में दरारें पड़ गईं। यातायात एक सप्ताह तक स्थगित रहा। जौनपुर प्रतापगढ़ सड़क जलमग्न है।

२४ सितम्बर, १९६२ को ८ घंटे तक अतिवृष्टि के कारण शहर में बिजली सप्लाई में व्यतिक्रम हुआ। शहर के कुछ क्षेत्र जलप्लावित हुये हैं और कुछ पुल और नाले क्षतिग्रस्त हो गये। आवश्यकतानुसार सहायता कार्य किये गये। अनाज, नमक व मिट्टी का तेल इत्यादि पानी से घिरे गांवों में बांटे गये।

बलिया

सितम्बर, १९६२ के दूसरे पखवारे में इस जिले में अधिक वर्षा ५.६१ इंच हुई। गंगा तथा घाघरा नदी में बाढ़ आई। २७–९–६२ को गंगा नदी का जल स्तर खतरे के बिन्दु से से १.८० फीट ऊपर था और २८–९–६२ से नदी धीमे-धीमे घट रही है। घाघरा नदी धीरे-धीरे घट रही है और अभी खतरे के बिन्दु से ३ इंच नीचे है।

इस बाढ़ तथा अतिवृष्टि से २६१ ग्रामों में ५५,००० एकड़ भूमि तथा ७०,००० व्यक्ति प्रभावित हुये। बलिया तहसील में ६० घरों पर आंशिक रूप से तथा ११० घरों पर पूर्णतया क्षति पहुंची है। अभी तक मनुष्य तथा पशु जीवन के हानि की कोई सूचना नहीं है। सड़कें व पुलिया आदि नहीं टूटीं। आवागमन तथा विद्युत् के साधनों में कोई रुकावट नहीं हुई। फसलों को ५० नये पैसे से १०० नये पैसे तक की क्षति पहुंची है।

मालगुजारी तथा अन्य पावनों की वसूली स्थगित कर दी गई है। सुरक्षा तथा सहायता कार्यों के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई है। गरीब तथा जरूरतमन्दों को नकद व वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता वितरित की गई।

आजमगढ़

घाघरा तथा टोंस नदियां ६ दिन तक मध्यम बाढ़ में रहीं और अब वे घट रही हैं। ३३८ गांवों में ६०,००० एकड़ भूमि तथा ४४,००० व्यक्ति प्रभावित हुये। सितम्बर, १९६२ में उस माह की औसत वर्षा की लगभग दूनी वर्षा हुई।

धान, गन्ना व अरहर आदि की क्षति का अनुमान १२ नये पैसे से लेकर ५० नये पैसे तक का है। ३६४ घर जिनका मूल्य ८०,००० रुपया होगा या तो क्षतिग्रस्त हुये या नष्ट हो गये हैं। आवागमन अथवा बिजली के संचार साधनों में रुकावट की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अभी तक कोई जीव हानि की सूचना नहीं है। प्रभावित व्यक्तियों को अरक्षित स्थानों से हटाने और गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई।

देवरिया

सितम्बर के दूसरे पखवारे में ४.३९ इंच वर्षा हुई। जिले की सभी नदियों में दिनांक ३०–७–६२ से बाढ़ रही है और उनके स्तर अभी भी खतरे के बिन्दु से ऊपर हैं। अभी तक १५५६ गाँव, ४,११,७०३ एकड़ भूमि व ५,२७,१८८ व्यक्ति प्रभावित हुये हैं। २६१ गाँव जल प्लावित हो गये हैं, २९,९८८ मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं जिनका अनुमानित मूल्य ५१ लाख रुपया है।

१० व्यक्तियों की मृत्यु हुई (८ दुर्घटना वश डूबने से तथा २ मकान गिरने से)। एक पशु की भी मृत्यु हुई । मोटे तौर पर फसलों को रुपये में ३७ से १०० नये पैसे तक की हानि का अनुमान है । वास्तविक हानि बाढ़ उतर जाने के पश्चात् आंकी जा सकेगी। १८ सड़कों, २ बाँधों तथा २ पुलों में दरारें पड़ गई हैं । सभी पक्की सड़कों पर आवागमन पुनः चालू हो गया है । बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में १६१ सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दी गई हैं ।

जरूरतमंद तथा निर्धन व्यक्तियों में नकद तथा सामान के रूप में अहेतुक सहायता, गृह निर्माण सहायता तथा तकाबी बाँटी गई ।

लखनऊ

सितम्बर २४ से २६ तक तीन दिन व्यापक वर्षा हुई । लगातार वर्षा के कारण नगर के रामनगर (आलमबाग और ऐशबाग) क्षेत्रों में जल प्लावन हो गया । नगर महापालिका द्वारा लगाये पानी के पम्पों द्वारा पानी का निकास किया गया। गिरे मकानों और आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त मकानों, जिनको नगर महापालिका को गिराना पड़ा, की कुल संख्या ५८ है । देहात के क्षेत्रों में २५० कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए । गोमती नदी का स्तर ३५६.१५ फीट तक ही चढ़ा जिससे न तो बाढ़ योजना लागू करने की और न अन्य सहायता कार्यों को करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई ।

सुल्तानपुर

१५ सितम्बर से २६ सितम्बर तक की अवधि में अनवरत घोर वर्षा के साथ-साथ तेज हवा भी चलती रही । गोमती नदी में बाढ़ रही।

तहसील सदर, अमेठी, कादीपुर तथा मुसाफिरखाना प्रभावित हुए । बाढ़ से २३८ गाँव और पानी के जमाव से ६५६ ग्राम प्रभावित हुए । १,६२,३२१ एकड़ क्षेत्र प्रभावित रहा ।

अगहनी तथा क्वारी धान, ज्वार, अरहर, मक्का, गन्ना, चरी, बाजरा तथा सनई की फसल को रुपये में ५० नये पैसे से अधिक की क्षति हुई है ।

कूरेभार तथा चौरी बाजार रेलवे स्टेशनों के बीच ६२ नम्बर की पुलिया पर रेलवे लाइन टूट गयी ।

सुल्तानपुर-फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ रोड तथा कूरेभार बाजार और रेलवे स्टेशनों के बीच की सड़क टूटी है ।

अविलम्ब कार्यवाही करने के फलस्वरूप आवागमन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई । केवल एक दिन ८ घंटे के लिये बिजली के संचार साधनों में खराबी हो गयी थी ।

३२१ मकान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गये हैं ।

२६८२ व्यक्ति या १८६२ पशु सुरक्षित स्थानों पर हटाये गये । पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये समुचित व्यवस्था की गयी। लगान तथा अन्य सरकारी पावनों की वसूली १५ नवम्बर, १६६२ तक के लिये रोक दी गयी है ।

*श्री शिवेन्द्रप्रताप—श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। अभी जब मैं आ रहा था लंच रिसेस के बाद, तो जो मेन गेट है वहां पर एक हाई पुलिस आफिसर ने मुझसे कहा कि यह पब्लिक प्लेस नहीं है—I will most kindly request you to leave this place. अगर वह पब्लिक प्लेस नहीं है तो हम आ ही नहीं सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—किस जगह ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—जो आपका पोर्टिको है मेन गेट का ।

मैं अपना प्रिविलेज मोशन दे दूंगा । दो मिनट पहले की बात है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अभी जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट पढ़ा उसमें यह बता दिया कि चना, तेल और नमक बाटा गया परन्तु जौनपुर में जो ४२० गाँवों का वर्णन किया है उन्होंने वह रिपोर्ट भी वैसी ही दी है । उसमें मैं बता सकता हूं—महमदपुर, समदपुर, कलन्दरपुर, सुल्तानपुर, बीरोजपुर, क्या इन गाँवों से कोई ऐसी शिकायत आयी है कि वहाँ सरकारी सहायता उचित मात्रा में जो प्रभावित हुए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करवायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने अभी जो कहा है इसको सूचना मान कर क्या मंत्री महोदय, इसकी जाँच करवायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लिख कर दे दीजिये, तो ज्यादा आसानी होगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने बार-बार यहाँ आपत्ति उठायी है कि जो बात सदन में कही जाती है, जिम्मेदारी के साथ कही जाती है, और प्रोसीडिंग्स में लिखी जाती है । फिर लिख दीजिये, इसके क्या अर्थ हैं ? मैं शिकायत गंभीरता से कर रहा हूं । लिख कर नहीं दूंगा । सदन में कहा गया है, उस पर लिख कर माँगा जाना, मैं समझता हूं कि सदन का अपमान है इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में जाँच करायें और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अर्ज किया उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमको ज्यादा सहूलियत होगी । अगर आप मुझे सहूलियत पहुंचाना चाहते हैं तो आप लिखकर भेज दें । इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है । जैसा अक्सर लिख दिया करते हैं, वैसी ही इसको भी लिख कर भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई अपमान की बात नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है, इसलिये इस पर आप अपनी कोई व्यवस्था न दें । जब तक उनका निर्णय नहीं हो जाता मैं लिख कर नहीं दूंगा । लेकिन यह बात बिलकुल सही है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं । मुझे बड़ा दुख है कि ३० तारीख को इस मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्य वहाँ उपस्थित थे और शहर तथा उससे लगा हुआ जो देहात का हिस्सा है, उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को उन्होंने जाकर देखने का कष्ट नहीं किया ।

क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि शहर के जो लो लाइंग मुहल्ले हैं जैसे जहाँगीराबाद की हरिजन आबादी है, जोगियापुर है, बलुआघाट है इनमें फसल की भीषण क्षति हुई है और अभी भी पानी वहाँ लगा हुआ है और उसके परिणामस्वरूप सरकार ने उनको क्या सहायता दी है, क्या राहत दी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश के डिस्पोजल पर रुपया रख दिया जाता है, जो वह समझते हैं वह करते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार के पास जिलाधीश महोदय ने अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि जिन मुहल्लों के नाम मैंने बताये हैं उनमें क्या सहायता दी गई है ? आखिर यह सहायता की रिपोर्ट जो आपने दी है वह जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर ही तो दी होगी, तो क्या उसम इसके डीटेल्स नहीं आये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा ख्याल यह है कि कोई डिटेल ऐसा नहीं आया है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जो दस आदमी मरे हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नाम मुझे नहीं मालूम । मुझे खेद है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में पिछली बाढ़ की रिपोर्ट के अलावा और कितने गाँव इस बाढ़ से अफेक्टेड हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो सूचना हमें मिली थी उसी के आधार पर मैंने १३–१४ तारीख के पहले स्टेटमेंट दिया था गोरखपुर के बारे में । जहाँ तक मेरा ख्याल है इस वक्तव्य में गोरखपुर का जिक्र नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अभी भी गोरखपुर जिले की नदियों की बाढ़ जारी है और आ रही है तो क्या कारण है कि इस रिपोर्ट में गोरखपुर जिले के बारे में कोई रपट नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चूंकि जिलाधीश ने नहीं लिखा है और हम तो उसी के आधार पर कह सकते हैं, वही हमारे इन्फार्मेशन का सोर्स है और फिर उसके बारे में कोई प्रश्न भी नहीं था । जिन जिलों का दिया गया है उनके बारे में माननीय सदस्यों ने नोटिसेज दिये थे, इसलिये उनका जिक्र है और गोरखपुर के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिये उसका जिक्र नहीं है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा की बाढ़ दोहरीघाट के पास जो कटान कर रही है जिसके कारण कि दोहरीघाट पम्प कैनाल का हेड खतरे में पड़ने जा रहा है, जिसकी ओर कि मैंने भी अपने भाषण और सवालों में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है, उसके बारे में उस कटान की रोकथाम के लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है ताकि हेड की रक्षा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसके बारे में तो इर्रीगेशन विभाग जवाब दे सकता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने अभी जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि जौनपुर में गोमती, बरना और सई अब भी बाढ़ पर हैं और उसकी वजह से जो लो लाइंग क्षेत्र है गाँवों का वह अब भी जलमग्न है वहाँ पर स्थिति अब भी खराब है, तो माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ की स्थिति पर काबू पाने के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या किया, क्या वहाँ के रहने वाले लोगों को, चना दियासलाई वगैरह के अलावा कोई आर्थिक सहायता और वहाँ के जानवरों के लिये चारे का प्रबन्ध किया गया या अभी भी ऐसा नहीं हो पाया और एक बात और कहनी है, दूसरी चीज यह कि इस समय जाड़े के दिन आ रहे हैं और बहुत से मकान गिर गये हैं, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, तो उनके लिये कोई तात्कालिक सहायता देने की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीशों को यह आदेश है कि वह चारे का स्टाक कर लें और वह कंसेशन रेट पर लोगों को दिया जाय । उनको यह भी आदेश हैं कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सहायता दी जाय और हाउस सब्सीडी भी दी जाय ।

श्री झारखंडेराय---मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मंत्री जी ने दिया है कि उसका जवाब सिंचाई मंत्री जी देंगे । मेरा ख्याल है कि सिंचाई मंत्री जी यहां मौजूद हैं और डेढ़ मील का जो बीच है दोहरी घाट कैनाल का, और उसका हेड इन डेंजर हो रहा है और कट सकता है, उसकी ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । तो माननीय मंत्री जी क्या उसकी जांच-पड़ताल कर के उस नुकसान को रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, झारखंडे राय जी ने इस मसले की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया था और उसी रोज मैंने दोनों बातों के लिये अपने चीफ इंजीनियर को लिख दिया था कि दोहरी घाट गांव के पीछे जो कटाव हो रहा है और आगे जा कर उससे जो खतरा है उसके बारे में लिख दिया था और कह दिया है कि उसका जरूरी इंतजाम किया जाय । लेकिन चूंकि थोड़े दिन पहले की ही यह बात है इसलिये अभी तक उस बारे में कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आयी है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या सरकार का ध्यान गोमती नदी द्वारा जौनपुर शहर के खालिसपुर ग्राम में जो कटाव हो रहा है और अहमदपुर गांव में जो नया नाला बन गया है उस ओर गया है ? यदि हां तो उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इन नालों के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय जे० पी० मिश्र जी कह रहे थे कि आप जरा उधर देखिये और वह फिर अपील कर रहे हैं । अगर यही बात मैं करूं तो आप कहेंगे "निलंबित" ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---राजस्व मंत्री इस बात को देखते हुए कि जहां बाढ़ आयी है वहां भीषण मलेरिया फैला है और उससे लोग आतंकित हैं उसकी रोकथाम के लिये कोई विशेष प्रबंध करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो लाख रुपया डाइरेक्टर मेडिकल-हेल्थ को दे दिया गया है इसका इन्तजाम करने के लिये और वह इन्तजाम कर रहे हैं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में बदलापुर ब्लाक में सबसे अधिक गांव गोमती से जलमग्न हुए हैं तो क्या वहां के लिये गांव ऊंचे करने के लिये कोई रुपया नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वहां के लिये कोई विशेष प्रबंध करने की वह कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, तमाम जिलाधीशों को हिदायत कर दी गयी है कि वह ऐसी एक लिस्ट सरकार के पास भेजें कि जिसमें जिन गांवों को ऊंचा करने की जरूरत हो उनके नाम हों और उनमें से जिनके लिये वह प्रायरिटी चाहते हों उनके नाम भी लिख कर भेजें ।

श्री माताप्रसाद---क्या राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछली बाढ़ में केवल ३ गांवों को छूट की गयी थी जब कि २ दर्जन गांव डूबे हुए थे । इस समय भी वह गांव बिल्कुल जलमग्न हैं । तो उन दो दर्जन गांवों को क्या वह लगान में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, कायदे के अनुसार दी जायगी ।

वक्तव्य

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि आजमगढ़ जिले में घाघरा की बाढ़ है और वहां की रिपोर्ट मंगाई गयी, जब कि गोरखपुर भी ठीक घाघरा के उत्तर की तरफ आबाद है और वहां भी घाघरा और राप्ती की बाढ़ से परेशानी हुई है । तो क्या कारण है माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर जिले की रिपोर्ट मंगाने का कष्ट नहीं किया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने उस जिले के बारे में हमको नोटिस नहीं थी जवाब देने के लिये, इसलिये नहीं मंगाई ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अभी-अभी बाढ़ के बारे में रिपोर्ट आपने पेश की है और जिसमें प्रदेश के अन्य जिलों में बाढ़ से हुई काफी क्षति के ऊपर प्रकाश डाला गया है । तो क्या वे यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उन जिलों में वास्तव में कितने की क्षति हुई है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—श्रीमन्, नोटिस मिलेगा तो हुकुम की तामील होगी ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कहां-कहां पशुओं की मृत्यु हुई है और जो ६१ मकान गिरे हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं, वह किन तहसीलों में हैं और किन गांवों में हैं, उनकी सूची देने की क्या वे कृपा करेंगे ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—यह डिटेल मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में बलिया-बैरिया बांध के दक्षिण की तरफ करीब पौने दो लाख की आबादी है । बाढ़ के दिनों में पूरी आबादी बाढ़ से शराबोर हो जाती है । तो माननीय मंत्री जी कौन-सी व्यवस्था कर रहे हैं उस आबादी को बचाने के लिये । वे कौन-सी व्यवस्था अपनाने जा रहे हैं ? जिससे गांव की आबादी की रक्षा हो सके ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—श्रीमन्, हम तो जब सैलाब आता है तो मदद-इमदाद करते हैं और यही हमारे सुपुर्द भी है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलाने का कष्ट करेंगे कि मड़ियाहू में प्रति वर्ष वाटर लागिंग की वजह से एक बड़ी विकट समस्या हो जाती है । क्या वे वहां के जिला अधिकारी को इस बात का आदेश देंगे कि अन्य लोगों से और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं से मिल कर कोई ठोस कदम उठाया जाय और साथ ही साथ यह भी बतायेंगे कि जहां हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है और फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां पर विद्यार्थियों की ६ महीने की फीस की माफी का भी क्या वे आदेश देंगे ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—श्रीमन्, ६ महीने की बात नहीं है, लेकिन आज ही कल में आर्डर फीस की माफी के फ्लड ऐफेक्टेड एरिया के लिये जारी हो जायेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव—वाटर लागिंग की समस्या के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया । मैं यह भी पूछ रहा हूं कि वाटर लागिंग की समस्या के निवारण के लिये कोई आदेश मंत्री जी देंगे कि अन्य लोगों या सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस समस्या का हल हो सके ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, वाटर लागिंग के बारे में हमारे यहां २ कायदे हैं। एक तो यह है कि अगर कोई नाला ५ मील से ज्यादा बनने वाला है तो हमारा सिंचाई मुहकमा उसको बनाता है और अगर कोई कम है तो उस मसले को डेवलपमेंट आफिसर को रिफर कर देना चाहिये। तो वह रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट के मुताबिक जमीन एक्वायर कर लिया करता है और कभी रिक्वीजिशन भी कर लिया करता है और उसके जरिये से ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी से वह काम कराया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया वह मैं सुन नहीं पाया। अगर आप नागवार न समझें और मुझे डिटेल लिख कर दें तो कल ही मैं उसको लिख दूं कि उसका इंतजाम किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि गोरखपुर जिले में टेड़िया नाला बांध जो दोहरी घाट नहर के ठीक सामने बना हुआ है उस पर कटाव हो रहा है। तो अब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस कटाव को रोकने के लिये ?

श्री राममूर्ति—यह तो मैं नहीं कह सकता कि कोई प्रार्थना-पत्र आया या नहीं, लेकिन माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन देता हूं कि जब भी कभी कोई प्रार्थना-पत्र मेरे पास आता है मैं उस पर जल्दी से जल्दी ऐक्शन लेने के लिये आदेश दे देता हूं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी जिन जिलों में सूखे की बाढ़ आई है उन जिलों के लिये भी सहायता आदि देने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां सूखा है, उनकी भी खबर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मथुरा जिले की छाता तहसील में गर्की की जो बड़ी समस्या है, जिस पर माननीय राधेश्याम जी ने दफा ५२ का प्रस्ताव भी उठाया था, जहां हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गयी है, क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि वहां के लिये कौन-सी योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—वैसे तो मथुरा जिले के अन्दर कई ड्रेन्स बनायी गयी हैं, लेकिन जिस एरिया का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसके विषय में मैं इस समय नहीं कह सकता, अगर वे लिख कर देंगे तो देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह विषय समाप्त हुआ।

एक सदस्य—आप जिनको जानते हैं उनको पुकार लेते हैं, जिनको नहीं पहचानते उनको मौका ही नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जितना हो सका मैंने समय दिया, आप कृपया विराजिये।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—जौनपुर में तमाम सड़क बाढ़ से कट गयी है.....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—अब इस पर और विवाद नहीं होगा, यह समाप्त हो गया।

विधान सभा के सदस्य, श्री पूरनलाल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ११३ के अन्तर्गत कार्य-स्थगन हेतु प्रस्ताव

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, नियम ११३ के अन्तर्गत जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उस पर आप अपनी रूलिंग देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता । यह अनुचित बात होगी कि रोज-रोज इस तरह के प्रस्ताव आयें । मैं इसको रूल आउट करता हूं ।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद—रोज-रोज प्रस्ताव आते हैं, यह कहना तो अनुचित है, श्रीमन्, इस तरह से तो प्रस्ताव देने का अधिकार भी हमारा अनुचित होगा....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया विराजिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है, पर मैं यह निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस कर रही है, उस पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है । अभी माननीय शिवेन्द्रप्रताप जी ने बताया कि किस तरह से पुलिस लोगों को घसीटती है । अब उसकी चर्चा के लिये अगर कार्य-स्थगन प्रस्ताव हम न दें, तो कौन-सा उसके लिये हमारे पास मार्ग है जिसके द्वारा यहां उसकी चर्चा हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष—इस समय नहीं आ सकता, नियम ५७ के अन्दर आ सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—तो उसे नियम ५७ के अन्तर्गत ही समझ लीजिये ।

†उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष—श्री कृष्णानन्द राय....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैंने एक प्वाइन्ट आफ आर्डर की लिखित सूचना दी है, मेरा कहना है कि इस विधेयक पर, जिस पर वादविवाद जारी है, वाद-विवाद नहीं हो सकता, यह मेरा कंटेन्शन है । पहले आप मुझे सुन लें, उसके बाद जैसा आप समझें, करें ।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आप एक प्रिविलेज का सवाल उठा चुके हैं, वह कल आयेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा नम्र निवेदन है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न है, वह अलहैदा है, लेकिन मेरा यह प्रश्न एक मौलिक प्रश्न है । इस पर पहले आप मेरे विचार सुन लें । कोई रूलिंग उसके ऊपर आप न दें, वह तो हमें स्वीकार होगी ही ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने संशोधन रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इसके माने हैं कि आपने इस बिल के प्रिन्सिपल को तो मान ही लिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप मेरा प्रोपोजीशन तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय मैंने माननीय कृष्णानन्द राय जी को बुला लिया है । इस समय आप बैठें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—यह विधेयक जो अन्डर डिसक्शन है, उसके बारे में मेरा यह कंटेशन है कि उस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता, उसी के बारे में प्वाइन्ट आफ आर्डर में उठाना चाहता हूं । मैं क्या कहना चाहता हूं, कृपया पहले आप उसको तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—जिस समय यह विधेयक पेश हुआ था, उस वक्त तो आपने यह प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश नहीं किया । इस समय श्री कृष्णानन्द राय जी की स्पीच जारी है, अगर आप प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं तो केवल उस स्पीच के बारे में ही उठा सकते हैं ।

---

† १ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से ।

* ४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जो बिल ग्रन्डर डिस्कशन है, उसी के बारे में मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, इसलिये इससे सम्बन्धित ही प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि इस विधेयक पर यहां विचार हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय तो इस विधेयक पर विचार हो रहा है। उसके सिलसिले में एक स्पीच हो रही ह तो केवल आप उस स्पीच के सम्बन्ध में ही प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं। अगर आपका ऐसा प्वाइन्ट आफ आर्डर होगा तो मैं अवश्य सुनूंगा। माननीय कृष्णानन्दराय जी की जो स्पीच है उसके बारे में अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो आप कहें। विधेयक तो शुरू हो चुका है, उसके सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था के प्रश्न थे, वे भी तय हो चुके हैं। अब जो भी व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है तो वह वर्तमान स्पीच के बारे में उठ सकता है और मैं उसको सुन सकता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप मुझे सुन तो लें। मेरा यह एक वैधानिक प्रश्न है कि इस विधेयक पर सदन में विचार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप मेरी बात सुनिये या मैं आपकी बात सुनूं? आप पहले मुझे सुन लें, पहले व्यवस्था न दें। यह मेरा हक है कि मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर को रेज करूं। मेरा कहना है कि इस प्रकार का प्वाइन्ट आफ आर्डर जब तक इस बिल पर विचार हो रहा है, कभी भी उठ सकता है। इस बिल पर इस सदन में विचार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी बहस में तो आप स्वयं भाग ले चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या हुआ। यह तो किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय इस स्तर पर कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी आप कोई व्यवस्था न दें, आप मुझे पहले अपने विचारों को रखने दें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अनुचित वक्तव्य नहीं सुनूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस प्रकार से जनतंत्र कैसे चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—आप उस स्पीच के बारे में कहें तो ठीक है लेकिन आप तो विधेयक के बारे में कह रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, जरा सुन लें। मैं इस विधान की किताब को क्या करूं? यह संविधान की किताब है। एक सदस्य किसी भी स्टेज पर कंस्टीटयूशनल प्वाइंट उठा सकता है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, तो आप मुझे कृपया नियम बतावें।

श्री उपाध्यक्ष—स्पीच के बीच में नहीं उठा सकते हैं। नियम फिर बता दिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—१ सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, २०० लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आप आज्ञा देते नहीं हैं। फाटक के सामने आपकी आज्ञा से हमें गालियां दी जायं और जूते पड़ें, तो हम क्या करें?

श्री उपाध्यक्ष—जो रूलिंग दे दी है उसके विरुद्ध आप कुछ न कहें। स्पीच के बीच में कुछ नहीं हो सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या स्पीच के बाद आप सुनेंगे? मैं कब खड़ा होऊं? या आप मुझे नियम बतावें। नियम की अनभिज्ञता से इस सदन का कार्य कैसे चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ।

श्री काशीनाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, वैधानिक प्रश्न तो जब भी किसी सदस्य के दिमाग में सूझे तभी उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मुझे बहुत दुःख है कि मेरा वैधानिक प्रश्न सुनने की कौन कहे, मेरे हकूक जो सदन में हैं और जिनकी मान और मर्यादा की रक्षा के आप प्रहरी हैं, आप उनके अनुसार मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इस के विरोध में अपने समस्त साथियों के साथ ५ मिनट के लिये सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, संविधान की जिस धारा के अनुसार माननीय नरसिंहनारायण जी कल बोल रहे थे, हमें आशा है कि वही धारा हमको भी सपोर्ट करती है कि हम भी इस विवाद में भाग ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता माननीय दुबे जी सदन से चले गये हैं। (विरोधी दल के नेता के आने पर) वह आ गये हैं, मेरा सौभाग्य है। इस बिल के विवाद में विरोधी दल के नेता माननीय दुबे जी ने विरोध पक्ष के तर्क को बहुत ऊंचा करने के लिये, सम्भवतः हिमालय की ऊंचाई तक ले जाने के लिये, एक बड़ा कैपिटल प्रश्न उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि इस समय जबकि हमारे देश और प्रदेश की सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण हो रहा है उस समय यह सरकार लैण्ड टैक्स लगा कर इस प्रदेश में अशान्ति उत्पन्न कर रही है और जनता का मारेल गिरा रही है, जनता का नैतिक पतन कर रही है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं माननीय दुबे जी कि क्या कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि चीन ने आक्रमण हिन्दुस्तान पर किया क्यों है? मेरा यह दृढ़ विश्वास है,और हमारे विश्वास को हिन्दुस्तान के बहुत ही मान्य राजनीतिक और अर्थ-शास्त्री स्वीकार करते हैं, कि हिन्दुस्तान में जो आज प्लानिंग चल रही है, डैमोक्रेटिक और शान्तिपूर्ण ढंग से नियोजन के द्वारा हिन्दुस्तान अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा करने का प्रयास कर रहा है, उससे चीन को भय है कि यदि हिन्दुस्तान अपनी प्लानिंग में सफल हो गया तो एशिया और अफ्रीका के समस्त पिछड़े हुए देश हिन्दुस्तान को अगुवा मानने लगेंगे और चीन और रूस का दर्शन, उनकी फिलासफी, असफल होगी। अगर माननीय दुबे जी इस प्लानिंग के फाइनेंस करने के लिये रिसोर्सेज पैदा करने में बाधा डालते हैं तो चीन के आक्रमण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता एक ऐसी पार्टी के हैं जिसका कोई आर्थिक और राजनैतिक दर्शन ही नहीं है। इसके किसी इतिहास का हमें पता नहीं है। लेकिन मैं माननीय दुबे जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान की परम्परा का बहुत नाम लेते हैं। उसके इतिहास की बहुत दुहाई देते हैं। भारत के अतीत इतिहास को देखने का हमने भी प्रयास किया है।

बुद्ध भगवान के ज़माने में जौनपुर और गोरखपुर के इलाके में गणतन्त्रीय राज्य चला करता था। एक बार महात्मा बुद्ध के गणतंत्रीय राज्य पर विदेशी आक्रमण का भय पैदा हुआ। कुछ तत्कालीन सभासद् भगवान बुद्ध के पास गये। उन्होंने कहा कि हमारे गणतंत्र पर आतंक छा गया है। धम्पद में एक कहानी है, दुबे जी चाहेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब तक गणतंत्र के सभासद अपने सभा-भवन में नियमित ढंग से चलेंगे और नियमों का पालन करते रहेंगे, अपने देश के नेतृत्व में आस्था रखेंगे, तब तक तुम्हारे गणतंत्र को कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता है। गणतंत्र के दुश्मन नियमों के न पालन में हुआ करते हैं। श्रीमन्, इस सदन में और बाहर जिस प्रकार इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

बिल के सम्बन्ध में माननीय दुबे जी ने गणतंत्र और प्रजातंत्र के सभी नियमों का उल्लंघन किया है और इस विधेयक का विरोध किया है, यह हमारे देश और प्रदेश की डेमोक्रेसी को कमजोर बनाने वाला है। यदि चीन के आक्रमण का कोई भय है तो वह उनके इस रवैये से प्रोत्साहन पावेगा।

मैं बधाई देना चाहता हूं विरोधी दलों के नेताओं को, चाहे वह दुबे जी हों, माननीय गेंदासिंह जी हों, माननीय झारखंडेराय जी हों, माननीय राजेन्द्रप्रताप सिंह जी हों या डाक्टर अहमद साहेब हों, कि उन्होंने हमारे प्लानिंग का समर्थन तो किया। इतना जरूर है कि अपने सभी साथियों को वे अपने विचारों से सहमत नहीं करा पा रहे हैं और उनके पीछे बैठने वाले तो कभी-कभी प्लानिंग का भी विरोध करने लगते हैं, लेकिन नेतागण जरूर प्लान का समर्थन करते हैं। परन्तु जहां तक साधनों का सम्बन्ध है, वहां उन्हें विरोध है। माननीय चन्द्रजीत यादव जी मौजूद नहीं हैं। एक दिन उन्होंने एक फ्रेज कहा था कि साधनों का संकट, क्राइसेस आफ रिसोर्सेज, हमारे प्रदेश में है, प्लानिंग के विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। श्रीमन्, बजट अधिवेशन से आज तक मैं विरोधी दलों के नेताओं के भाषणों को, उनमें जो उन्होंने विवेचन किया है, उन्हें बड़े गौर से सुनता आया हूं। ४, ५ विकल्प ये लोग उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि अगर उनके विकल्प मान लिये जायं तो साधन उपलब्ध हो सकते हैं। एक दिन माननीय झारखंडेराय जी ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का विशाल नाम लेकर यहां घोषणा की थी कि उनकी पार्टी की घोषित नीति है कि विदेशी पूंजी का हस्तगत करके हिन्दुस्तान में प्लानिंग की जाय गेंदासिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करके प्लानिंग पूरी की जाय और जनसंघ के नेता माननीय दुबे जी कहा करते हैं कि प्लान में वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, मितव्ययिता करके प्लान को चलाया जाय। सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो ५ मिनट के लिये सदन छोड़कर चले गये हैं लेकिन आमतौर से वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये चार विकल्प हैं और उनके पास उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की प्लानिंग को चलाने के लिये।

श्रीमन्, थोड़ा सा मैं क्राइसिस आफ रिसोर्सेज के ऊपर भी इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह साबित हो गया और यदि यह भ्रम विरोधी दल के आदरणीय सदस्यों के मन में रह गया कि प्लान के लिये हम लोग विकल्प करते हैं सदन में लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है तो जनता में एक भ्रम फैलेगा और वे कहेंगे कि प्लानिंग के विरुद्ध हम तो नहीं हैं, हम चाहते हैं कि प्लानिंग हो लेकिन सरकार जानबूझ कर टैक्स लगा रही है। मैं चाहता हूं कि यदि वे ईमानदारी से इस पर सोचेंगे तो मैं उनके विकल्पों की विवेचना करना चाहता हूं ताकि किसी के मन में ऐसी भ्रमात्मक बातें न रहें।

विदेशी पूंजी के हस्तगत करने का जहां तक प्रश्न है, यह हमारे सदन का विषय नहीं है, केन्द्रीय सरकार का विषय है लेकिन थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि हमारे सदन का विषय है क्योंकि प्लान चाहे उत्तर प्रदेश का हो या देश का हो वह प्लान ही है, तो इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि ७,५०० करोड़ की हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। एक बार हिन्दुस्तान की विदेशी पूंजी को आप छुयेंगे तो स्पष्ट है कि उसके बाद कोई विदेशी पूंजी चाहे लोन की शक्ल में, चाहे मदद की शक्ल में, नहीं आवेगी। क्योंकि एक बार आपकी नीति स्पष्ट हो जायगी तो कोई विदेशी राष्ट्र आपके राष्ट्र में अपनी पूंजी लगाना नहीं पसन्द करेगा। जहां तक यह नीति है कि विदेशी पूंजी हस्तगत की जाय, वहां ७,५०० करोड़ में से २,३०० करोड़ फारेन से आयेगा और १,७०० करोड़ इन्टरनल टैक्सेशन से रेज किया जायगा। अब अगर माननीय झारखंडे राय जी के अनुसार विदेशी पूंजी के हस्तगत की नीति को मानते हैं तो यह तो प्लान में २,३०० करोड़ रुपये की कटौती की जाय या २,३०० + १,७०० करोड़ = ४,००० करोड़ रुपये का टैक्सेशन देश के अन्दर ही रेज किया जाय। १,७०० करोड़ में तो इतनी हो हल्ला मचाया जा रहा है और अगर कहीं ४,००० करोड़ रुपया इन्टरनल टैक्सेशन से रेज किया जायगा तब हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी, इसे आप सोच और समझ सकते हैं। मैं

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय झारखंडे राय जी को बतला दूं कि आज जो हिन्दुस्तान में विदेशी पूंजी आ रही है वह केवल रुपये और ऋण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिये नहीं आ रही है बल्कि विदेशी पूंजी के साथ विदेशी विशेषज्ञ भी आते हैं। अभी आपने सुना होगा कि बाम्बे के पास ट्राम्बे में कनाडा के सहयोग से एक अणुविक भट्ठी बन रही है जिससे हिन्दुस्तान इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकता है और उसके लिये कनाडा भी अपनी पूंजी लगा रहा है। तो क्या आप के विकल्प के अनुसार हम कनाडा से पूंजी लेना छोड़ दें जिसकी वजह से वह भट्ठी वहां न बन सके? मेरे खयाल से यह बिल्कुल अव्यावहारिक है।

अब मैं माननीय गेंदासिंह जी के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर आता हूं। दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइवेट एजेन्सीज ने करीब ४,९०० करोड़ रुपया इस क्षेत्र में इनवेस्ट किया और तीसरे प्लान में यू० पी० के अन्दर प्राइवेट एजेन्सीज ने करीब १,१२५ करोड़ रुपया लगाया। केवल ५०० करोड़ रुपया गवर्नमेंट की पूंजी लगी। श्रीमन्, जब एक मर्तबा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ले लिया जायगा, उसके बाद आप यह कल्पना करते हैं कि १,१२५ करोड़ रुपया जो प्राइवेट पार्टी का लगा हुआ है, यू० पी० के चीनी कारखानों में, उसके स्रोत को बन्द कर दिया जाय? इसके बाद आप चुप नहीं बैठ सकेंगे बल्कि पूंजी पूंजी का राष्ट्रीयकरण करने के बाद आप समस्त उत्तर प्रदेश के साधनों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण का एक क्रम होता है और उसके ऊपर लाभ लेने पर अनेक क्रम आते जाते हैं। वैसे राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कांग्रेस सरकार भी नहीं है क्योंकि उसने भी अपना ध्येय सोशलिज्म को रखा है और इसीलिये विद्युत की बहुत-सी कम्पनियों व सड़कों का यू० पी० में राष्ट्रीयकरण किया गया है। जल्दी-जल्दी राष्ट्रीयकरण की—जिसे स्वीपिंग नेशनलाइजेशन कहते हैं, रूस की भी नीति नहीं थी जनकी पंचवर्षीय योजना चलाने के पूर्व और हमारी समझ में माननीय झारखंडेराय, माननीय जेड० ए० अहमद साहब, व माननीय गेंदा सिंह जी लेनिन को काफी क्रान्तिकारी समझते हैं, जहां तक कि सोशलिज्म का प्रश्न है, लेनिन साहब का भी विचार था कि राष्ट्रीयकरण बहुत ही शीघ्रता से करना श्रेयस्कर न होगा और रूस में भी राष्ट्रीयकरण का क्रम किस तरह से अपनाया गया उसके बारे में भी मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह एक पुस्तक है 'सोवियट एकनामिक डेवलपमेंट सिन्स १९१७। एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर में लेनिन के एक उद्धरण को इसमें इस तरह से कोट किया गया है और माननीय गेंदासिंह जी सुनें कि लेनिन ने नेशनेलाइजेशन के विषय में क्या कहा है। वह कहते हैं कि—

"You want your factory nationalised, Well and good, we have the decree ready and can sign it in a moment. But tell me, can you take the organization into your own hands? Do you know how and what you produce? And do you know the relations between your product and the Russian and International market? And inevitably it transpired that they knew nothing. There was nothing written about such matters in the Bolshevik textbooks, or even in those of the Mensheviks."

लेनिन की उक्ति थी कि जब-जब भी मजदूर मेरे पास इस विषय को लेकर आये तो मैंने उनसे यही पहले पूछा कि क्या तुम कारखाने को स्वयं चला सकोगे लेकिन यह चीज कहीं भी बालशेविक या मेंनशेविक किताबों में नहीं लिखी हुई है। इस तरह से उनकी भी यही राय थी कि राष्ट्रीयकरण एक स्वीपिंग स्टेप की तरह नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा सवाल यह हो सकता है कि जब उनकी यह राय थी तो उन्होंने फिर अपने यहां राष्ट्रीयकरण को क्यों अपनाया। इस विषय में भी मैं एक वाक्य पढ़ दूं उससे साफ हो जायगा।

"Where there was sabotage from owners or managerial staff or chaos resulting from the sectional activities of the factory committees, there was now no alternative for the central government than to declare the enterprise nationalised and to send down a representative from the centre, armed with powers to restore a degree of order and to harness production to some central programme."

[श्री कृष्णानन्द राय]

लेनिन साहब ने स्पष्टतः बताया है कि एज ए स्वीपिंग स्टेप राष्ट्रीयकरण का कार्य नहीं किया जा सकता। यहां पर कम्युनिस्ट दल के नेता श्री जेड० ए० अहमद और श्री झारखंडे राय मौजूद हैं। लेनिन खुद नहीं चाहते थे कि रूस का प्लानिंग इस तरह से हो, वह समस्त साधनों को एकत्रित कर के और एक मिक्स्ड एकनामी के तौर पर वहां की राष्ट्रीयकरण की पालिसी को चलाना चाहते थे लेकिन जो जर्मनी आदि रण उद्धत देशों की पालिसी थी उसके कारण उनको यह स्टेप राष्ट्रीयकरण का लेना पड़ा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज देश में वह परिस्थिति है और क्या यहां पर कारखानेदार हमारी प्लान्स को सेबोटाज कर रहे हैं और क्या यहां के लोग पूंजी पर हावी हो गये हैं और इस योग्य हो गये हैं मजदूर कि वह इस भार को सम्हाल सकें? क्या यहां भी कोई इन्टरवेन्शन हो रहा है? यहां पर कोई वार प्लानिंग नहीं हो रही है, एक पीसफुल प्लान है और उसमें स्वीपिंग राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं है।

अब चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण का जो प्रश्न है अगर वह यहां बेकार साबित हों और उनके उत्पादन में रुकावट का अन्देशा हो जाय तो हो सकता है कि ऐसा फैसला करें लेकिन इस प्लानिंग के लिये कोई भी जनका स्वीपिंग राष्ट्रीकरण नहीं हो सकता।

अब भ्रष्टाचार और वेस्टेज को रोकने की बात कही जाती है। बात ठीक है, वह रुकना चाहिये लेकिन किसी की भी पालिसी उसके समर्थन की नहीं हो सकती और कोई नहीं कहता कि हम भ्रष्टाचार और वेस्टेज को चलाना चाहते हैं लेकिन यदि आप सचमुच इसे प्लानिंग के लिये रिसोर्सेज पैदा करने के क्रम में हम केवल इस की मुखालफत इसलिये करें कि इसमें भ्रष्टाचार है। अच्छा होता यदि विरोधी दल के समस्त नेता घोषणा करते कि वह प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं और प्लान के लिये रिसोर्सेज पैदा करने के क्रम को सपोर्ट करते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और वेस्टेज रुके। ऐसा होता तो एक अच्छी घोषणा होती और सरकार भी समझती कि आप की मदद ली जाय। यदि अपनी नीति से ही यह सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही है।

जहां तक एरियर्स की चर्चा की गयी है उसके सम्बन्ध में इतना निवेदन करूं कि जहां तक इन्कम टैक्स के एरियर्स का सम्बन्ध है वह तो इस सदन की सीमा के बाहर है।

श्री बलवान्तसिंह (जिला कानपुर)—क्या आपने किसी भी मिल मालिक को भ्रष्टाचार के लिये गिरफ्तार किया है? आज भ्रष्टाचार रेगुलर है, एक-एक चीज के अन्दर समाज में भ्रष्टाचार हो गया है और सरकार बेबस हो कर कहती है कि भ्रष्टाचार का क्या करें।

श्री कृष्णानन्द राय—बहुत सुन्दर प्रश्न आपने उठाया है।

श्री झारखंडेराय—आपने अपनी स्पीच में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है कि दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक ऐसा प्लान जिसमें समाज के मुट्ठी भर आदमी धनी होते हैं और अधिकांश लोग गरीब होते हैं और दूसरा ऐसा प्लान होता है जिसमें अधिकांश जनता की मुसीबतें रोज-रोज बेहतर हो रही हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि सचमुच प्लान में भ्रष्टाचार और वेस्टेज ह तो आदरणीय सदस्य प्लान के खिलाफ न होकर प्लान के रिसोर्सेज के लिये नहीं खिलाफ हैं तो यह स्पष्ट घोषणा करें कि हम लोग प्लान के समर्थक हैं और चाहते हैं कि प्लान के लिये रिसोर्सेज ढूंढे जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—हम तो इस सरकार के प्लान के ही विरोधी हैं और स्पष्ट कहते हैं कि इस प्लान से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—आप नहीं थे, मैंने तो पहले ही आपकी पार्टी के बारे में जिक्र किया था।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार इस प्रकार टोकना यह ठीक नहीं। मेरी प्रार्थना यह है कि सभी लोग दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनें और खास तौर से जब उनको प्राम्प्ट किया जाता है और उसका जवाब दिया जाता है तो कौन-सी बेजा बात की जा रही है।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्लानिंग का जो इतिहास है वह कोई इस दुनिया में पुराना नहीं है। श्रीमन्, चीन और रूस में प्लानिंग हुई और उन्होंने अपने रिसोर्सेज की क्राइसिस का समाधान किया इस तरह से कि जितने भी उत्पादन के साधन थे उन सबका राष्ट्रीयकरण कर लिया लेकिन हिन्दुस्तान में जो प्लानिंग हो रही है वह बिल्कुल एक नये किस्म की प्लानिंग हो रही है जिसमें कि उत्पादन के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण आरम्भ में ही नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्पादन के साधनों से ही, कुछ टैक्सेशन के द्वारा और कुछ फिजिकल पालिसी के जरिये रुपया पैसा प्राप्त करके यह प्लानिंग की जा रही है। अतः यदि सचमुच प्लानिंग के समर्थक हैं और उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर उसका आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्लानिंग के लिये जो साधन एकत्र किये जा रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से उसका भी आपको समर्थन करना होगा। यह दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत आप कहीं पर विरोध कर सकते हैं।

माननीय झारखंडे राय जी ने एक दिन यह कहा था कि यह भूमि भवन तथा जोत-कर विधेयक जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। ठंडे दिल से सोचा जाय तो यह जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, जनता के पिछड़ेपन के खिलाफ युद्ध की घोषणा है और इस युद्ध में हम सब अवश्य सफल होंगे।

अब श्रीमन्, प्रश्न यह पैदा होता है कि यह जोत पर कर लग रहा है इसका कुछ औचित्य है या नहीं। एक तो यह आरोप किया जाता है कि जमींदारी उन्मूलन के समय सरकार ने ४० वर्ष का टारगेट किया था कि मालगुजारी नहीं बढ़ायी जायगी। वैसे टेक्निकल तरीके से माल-गुजारी बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है जोत-कर में लेकिन इसी सदन में १९५७ में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वृहत् जोत-कर स्वीकार किया गया था। उस समय भी सरकार ने कुछ कैपिटल वैल्यू और कुछ मालगुजारी के मल्टीपिल्स पर टैक्सेशन २० करोड़ क लगाया था तो उस समय कोई ऐसे संकल्प या कांट्रेक्ट की कठिनाई नहीं आयी। तो आज उस पुराने प्रश्न को इस विधेयक के समय पेश करना कोई औचित्य नहीं रखता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स जो था मन्त्री जी से पूछें, कितना वसूल कर सके, कितना पाये?

श्री कृष्णानन्दराय—मैं यह कह रहा था कि इस सदन में हम एक चर्चा सुना करते हैं चौधरी चरण सिंह के विचारों के बारे में, और हमारे सदन में वह खेतिहरों के बारे में एक विशेषज्ञ माने जाते हैं, मुझे प्रसन्नता है विरोधी दल के लोग उनको विशेषज्ञ मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो मैं थोड़े से उनके विचार इस बात के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जोत पर किसी प्रकार का टैक्स लगाना उचित है कि नहीं। विधान सभा की १९ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही के पृष्ठ २४६ को देखें जिसमें वृहत जोत-कर विधेयक के सम्बन्ध में एक संशोधन का विरोध करते हुए माननीय चरणसिंह ने यह कहा था :

> "अब यह कि साहब नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स पर ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है, यह ख्याल गलत है। नान-ऐग्रीकल्चरल इन्कम पर जो टैक्स के आंकड़े गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं उसमें २०,००० से ४०,००० रु० तक की आमदनी वालों को ३० नये पैसे, ४० से ४५ हजार तक की इन्कम वालों को ४० नये पैसे टैक्स देना पड़ता है।

[श्री कृष्णानन्द राय]

४५ से ५० हजार वालों को ५० नये पैसे, ५० से ६० हजार तक को ५५ नये पैसे, ६० से ७० हजार वालों को ६० नये पैसे, इस तरह से आगे ७५,००० पर ६५ नये पैसे, ८०,००० पर ७० नये पैसे। ८५ हजार से जहाँ ऊपर है उनको ८० नये पैसे। तो यह बात नहीं है कि उन पर टैक्स कम है। दुनिया भर में ग्रेजुएटेड टैक्स लिया जाता है, चाहे ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हों या नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हों और जितना ज्यादा बढ़े हैं उनको ज्यादा देना पड़ता है। तो गैर-जराअती इन्कम पर बड़ा हैवी टैक्सेशन है। जो उसूल दुनिया भर में नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये माना जाता है वही हमारे देश में भी माना जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स से हम क्यों न टैक्स लें?"

इसलिये मैं कह रहा था कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स से टैक्स लेने का सिद्धांत बहुत दिनों से सदन में मान्यता प्राप्त रहा है और उसी सिद्धांत पर प्रस्तुत जोत-कर विधेयक पेश किया गया है जो मध्यम जोत-कर विधेयक कहा जा सकता है।.....

श्री ऊदल—३,६०० रुपये से ऊपर आमदनी वाले जो किसान थे उनके लिये कहा था।

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय ऊदल जी, मैंने यह नहीं कहा कि माननीय चरणसिंह जी ने इस विधेयक के बारे में यह कहा है। मैंने यह कहा कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स पर टैक्स लगाना कोई अनैतिक नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिये उनकी राय कही।

एक सदस्य—चौधरी साहब की बात कह रहे हैं या अपनी कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जैसे आप कोट करते हैं वैसे ही वह भी कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—मैं यही कह रहा था जो बृहत जोत-कर [विधेयक ,१९५७ में स्वीकृत हुआ वह ३० एकड़ से ऊपर वालों के लिये था। यह विधेयक मध्यम जोत-कर समझ लीजिये जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री ने घोषित किया है कि ८ एकड़ तक वालों को मुक्त करने जा रहे हैं, अतः यह समस्त किसानों पर नहीं लगेगा। इसीलिये मैंने उस उक्ति को कहा है कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स पर टैक्स लगाया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—अभी तक कोई ऐसा संशोधन नहीं आया, घोषणा से ही पर्याप्त नहीं होगा।

श्री रघुवीर—अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, न कोई अमेंडमेंट आया है लिहाजा इस पर बहस करना उचित नहीं होगा कि ८ एकड़ छोड़ दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह सरकार की घोषणा है ऐसा उन्होंने बतलाया है।

श्री रघुवीर—इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—राजस्व मन्त्री ने घोषणा कर दी है इसे वह कोट कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय सदस्य माननीय हुकुमसिंह की इस घोषणा की चर्चा इसलिये नहीं करने देना चाहते कि ये लोग इस बात को साबित करना चाहते हैं कि इन लोगों के विरोध के फलस्वरूप और सड़कों पर जो जलूस निकाले हैं, कुछ गरीब आदमियों को ला कर प्रदर्शन किया है फाटक पर, इस सबकी वजह से ८ एकड़ से उनकी मुक्ति हो गयी है। लेकिन इस ८ एकड़ से मुक्ति इसलिये दी जा रही है कि यह सरकार इस करके प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी पार्टी और कैबिनेट में सलाह मशिवरा करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है और जिस तरह से माननीय राजस्व मन्त्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसी तरह से उन्होंने यह घोषणा की है कि ८ एकड़

तक की जोत वाले किसान पर यह जोत कर नहीं लगेगा। यदि विरोधी दल के सदस्य इस घोषणा से प्रसन्न हैं तो भले ही वह थोड़ा श्रेय लें लें इसे छुड़ाने में, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इस पर बाद विवाद में अधिक समय वे न लें।

राजा साहब मनकापुर और जौनपुर गरीबों का नाम अब ८ एकड़ छूटने के बाद भी लेते हैं तो अवश्य लें और इस विधेयक का विरोध करें। उनको हक है। वह भी गरीब हो गये हैं जमींदारी उन्मूलन के बाद और उन पर भी कर लगेगा लेकिन प्रजा समाजवादी, समाजवादी और कम्युनिस्ट दल के लोग जिन गरीबों के नाम पर बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, गोंडा और बहराइच में जलूस निकाला करते हैं, इस विधेयक के मातहत माननीय हुकुमसिंह जी की घोषणा के बाद उन पर टक्स नहीं लगने जा रहा है। हाँ देहातों में घूम-घूम कर वह यह प्रचार कर सकते हैं कि तुम पर टैक्स लगने जा रहा है और उन बेचारों को धूप में यहां ला कर परेशान कर सकते हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद गरीबों का नाम लेना उ को शोभा नहीं देता, वैसे विरोधी होने के नाते वे विरोध करें तो हमें कोई एतराज भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार उठ कर टोकना बीच में यह कोई सदन का कायदा नहीं है। इस तरह की चीजें शोभा नहीं देतीं।

श्री कृष्णानन्द राय—जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की रिपोर्ट का माननीय सदस्यों के सम्मुख थोड़ा-सा अंश रखना चाहता हूं। जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है ८ एकड़ का उसके बाद यह विधेयक जो है इतना इन्नोसेंट हो जाता है कि मेरी समझ में माननीय झारखंडे राय इसका समर्थन करेंगे ही इस रिपोर्ट को देखने के बाद। रिपोर्ट आफ दि जमींदारी एबालिशन कमेटी, वाल्यूम १ के पृष्ठ २४ और २५ पर 'साइज आफ होल्डिंग्स इन यू० पी०' दिया हुआ है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के एक-एक, दो-दो जनपदों को लेकर जो होल्डिंग्स का ऐवरेज है वह दिया हुआ है। एक है परसन्स होल्डिंग्स लेस दैन १० एकर्स और दूसरा है परसन्स होल्डिंग लेस दैन ६ एकर्स। तो १० और ६ के जोड़ का आधा, यानी ८ एकड़ की छूट के बाद किस एरिया में कितनी छूट हो जायगी, जरा यह देखिये। बिजनौर में १० एकड़ या उससे नीचे की जोत वाले खेतिहरों का औसत ८७.४५ प्रतिशत है, बस्ती में ९७.००, बन्द एक तहसील है उसमें ८०.०० प्रतिशत है, सीतापुर में ९२.०० प्रतिशत है और गाजीपुर में ९४.७२ प्रतिशत है और जो ६ एकड़ से कम के काश्तकार हैं उनका औसत बिजनौर में ७२.३९, बस्ती में ९१.३०, बन्द में ६०.५८, सीतापुर में ७९.२९ और गाजीपुर में ८७.८२ प्रतितश है। इसके अलावा जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट निकलने के बाद से जोतें और छोटी हुई हैं, बड़ी नहीं हुई हैं। ८ एकड़ की छूट के बाद कम से कम पूर्वी जनपदों में तो निश्चित रूप से—मैं थोड़ी कम ही संख्या बताना चाहता हूं—करीब ८०-८५ प्रतिशत तक किसान इस विधेयक द्वारा लगने वाले टैक्स से छूट जायंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह कह रहे हैं कि ८ एकड़ का संशोधन हो जाने पर छूट जायंगे। तो क्या कोई अनिश्चित बात, जिसका कोई निश्चय न हो, यहां कही जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष— उन्होंने यह बताया कि माननीय माल मन्त्री ने अभी यह घोषणा कर दी है।]

कुंवर श्रीपालसिंह—जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें चूंकि यह चीज कहीं नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—माल मन्त्री पहले कह चुके हैं कि इतने तक छूट दी जायगी। इसलिये उसको लक्ष्य कर के वे कह रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, वाकयात को सदन में शोरगुल मचा कर दबाया नहीं जा सकता। प्रदेश की जनता और राजनीतिक दलों के लोगों को यह पता है कि इस प्रदेश और देश की कांग्रेस का किसानों से बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा है और इतना नजदीक का सम्बन्ध होते हुए किसानों की स्थिति से कांग्रेस सदैव परिचित रही है और इसीलिये जब साधारण रूप से यह बिल आया तो उसमें एक एकड़ तक की छूट की चर्चा थी मगर वह प्रश्न एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर यहां तक कि पंडित नेहरू,लालबहादुर जी शास्त्री,प्रदेशीय कांग्रेस पार्टी और कैबिनेट, इन सब ने किसानों की स्थिति को दृष्टि में रख कर उस पर विचार किया। और कांग्रेस का चूंकि किसानों से सीधा सम्बन्ध है इसलिये वह स्वयं इस निश्चय पर पहुंची कि ८ एकड़ तक छूट दी जाय। इस निश्चय पर पहुंचने का कारण यह था कि बहुत दिनों से वह मान्यता चली आ रही थी कि ६–८ एकड़ तक की जोत अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जाय तो ६–८–१० एकड़ के बीच में ही विद्वानों का मत घूमता रहा है। ऐसी स्थिति में इस बात का शोरगुल मचाकर जो सड़कों पर जलूस निकालते हैं और किसानों को लेकर निकालते हैं यह ठीक नहीं है क्योंकि कांग्रेस का यह फैसला है कि ८ एकड़ तक छूट है।

(माननीय झारखंडेराय जी के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय झारखंडेराय जी, इस तरह से बार-बार खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है।

श्री ऊदल—कांग्रेस ने यह कहा था कि ६ एकड़ तक लगान नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप कई दफा खड़े हो चुके हैं। यह कोई तरीका नहीं है कि एक स्पीच के बीच में ५० दफा खड़ा हुआ जाय। बिला वजह शोर नहीं कर सकते हैं। यह असेम्बली है।

श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, वह लोग जो शोरगुल मचा रहे हैं वह हमारी इस चीज को साबित कर रहे हैं कि इस बिल को वे जो राजनीतिक हथकंडा बनाना चाहते थे और पोलिटिकल दृष्टि से इसका एक्सप्लायटेशन करना चाहते थे, उससे उनके पैर खिसक चुके हैं और वे समझते हैं कि इसका समर्थन करना होगा। अतः श्रीमन्, जब मैं निवेदन करता हूं तो यह शोरगुल मचाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपनी बात कहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—जी हां, ८ एकड़ की छूट के बाद यह विधेयक बिल्कुल इन्नोसेंट हो गया है और ७०–७५ प्रतिशत किसान छूट गये हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि यदि ये प्रदेश की योजनाओं के समर्थक नहीं हैं तो स्पष्ट घोषणा कर दें कि आप नहीं चाहते हैं कि अपने देश और प्रदेश में प्लानिंग की तथा आर्थिक व्यवस्था सुलझाई जाय। श्रीमन्, जब कोई टैक्सेशन का विधेयक आता है तो चर्चा की जाती है कि जनता का मत जानने के लिये भेज दिया जाय। लेकिन यह कभी नहीं कहते कि जनता का मत जानने का प्रयास किया जाय कि वह नियोजन को चाहती है या नहीं। आज जहां तक प्लानिंग का सिलसिला है यह जनता के मस्तिष्क और हृदय में घर कर गया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की जनता अपने प्रतिनिधियों से या सरकार से मांग न करती हो कि हमारे क्षेत्र में सड़क बनवा दी जाय, अस्पताल बनवा दिया जाय, ट्यूबवेल बनवा दिया जाय। अतः विरोधी दल के नेता भी यह मांग करते हैं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें पूरी छूट है। चाहे कोई कितनी देर तक बोलता रहे।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें दो-दो घंटे तक आपके साथी बोल चुके हैं।

श्री नौरंगलाल—क्या हमें भी ऐसे ही मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, सबको मिलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के लोग आज संकट में पड़ गये हैं क्योंकि जनता अंगड़ाई ले रही है और उनसे ट्यूबवेल के लिये, सड़कों के लिये, पाठशाला के लिये तथा गांव के नव-निर्माण के लिये मांग करती है। इसलिये ये लोग अपने क्षेत्र में कह आते हैं कि हम प्रयास करेंगे। इसलिये इनका नैतिक साहस नहीं होता है कि सदन में या जनता के प्लेटफार्म पर कहें कि जो नियोजन का काम चल रहा है उससे हमें विरोध है। लेकिन वे सोचते हैं कि अगर हम सरकार के कार्यक्रम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें विरोध करने के लिये कुछ नहीं रह जायगा। इसलिये ये प्लानिंग का तो सपोर्ट करते हैं लेकिन उसके लिये साधनों का विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग में जहां चीन और रूस की पद्धति नहीं अपनाई जा रही है, जहां समस्त साधनों का केन्द्रीयकरण नहीं किया जा रहा है वहां ऐसी स्थिति में सिवाय टैक्सेशन के और कौन-सा साधन हो सकता है।

श्रीमन्, मैं कहने जा रहा हूं कि आप देश के और प्रदेश के इतिहास के मोड़ पर खड़े हुए हैं और यदि माननीय सदस्य इसको नहीं समझेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये लोग सोचते हैं कि टैक्स लगाने से सरकार की बदनामी होती है और जितना ही हम विरोध करेंगे उतनी ही ख्याति प्राप्त करेंगे। जब-जब किसी पार्टी ने इसको गलत समझा है तो यह जनता को अपनी ओर नहीं कर पाई है। दुनिया के राष्ट्रों का आर्थिक विकास का इतिहास बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है। दो-ढाई वर्ष पहले दुनिया के प्रगतिशील देशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास किया है। यह आरोप लगाया जाता है कि प्लानिंग के नाम पर जनता पर टैक्सेशन लादा जाता है और टैक्स द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जाता है। अगर टैक्सेशन होगा तो जनता का उत्पीड़न होगा लेकिन कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता था कि दुनिया के राष्ट्रों का आर्थिक विकास दो तरीके से हुआ है। उन दोनों तरीकों से जनता का जो उत्पीड़न हुआ है वह हिन्दुस्तान में प्लानिंग के समय में जो उत्पीड़न हुआ है, उससे बहुत ज्यादा था। पहले प्रकार से इंग्लैंड और अमेरिका ने आर्थिक विकास किया। अमेरिका और इंग्लैंड में जो आर्थिक विकास हुआ वह साम्राज्यवादी तरीकों से हुआ। साम्राज्यवाद के द्वारा उन्हें जो एशिया और अफ्रीका के मार्केट मिले, उनका उन्होंने शोषण किया और उसी रुपये को लेकर उन्होंने अपना आर्थिक विकास किया।

आज हिन्दुस्तान के सामने वह ऐतिहासिक मौका नहीं है न उसकी नैतिकता इसको गवारा कर सकती है कि वह अपना साम्राज्य बढ़ा कर अपना आर्थिक विकास करे। रूस और चीन के अन्दर जो आर्थिक विकास हुआ, वहां एक विशेष परिस्थिति में हुआ। दुनिया का कोई भी राष्ट्र रूस को मदद नहीं कर रहा था। रूस के आदमी वायलेंट ऐक्टिविटीज में लगे हुए थे। इसलिये उनको फैसला करना पड़ा और उन्होंने वहां के सभी उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके अपनी प्लानिंग कर डाली। बड़ा आश्चर्य होता है। बड़ी-बड़ी राष्ट्रीयकरण की बातें कही जाती हैं कि मिलों पर कब्जा कर लो। कब्जा करना तो आसान है लेकिन एक बार मिलों पर कब्जा करने के बाद आप इस प्रक्रिया को रोक नहीं पायेंगे। फिर पूंजी पर कब्जा करना पड़ेगा, खेती पर कब्जा करना पड़ेगा। जिस समय आप कहते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों पर कब्जा कर लो, उस समय आप बड़े समाजवादी हो जाते हैं लेकिन जब विकास के नाम पर रुपये में एक दो आने टैक्स के लिए मांगा जाता है तो इतना हल्ला मचाते हैं। हिन्दुस्तान में जो नियोजन चल रहा है वह दुनिया के आर्थिक विकास में बिल्कुल नयी चीज़ हैं। इतिहास के पृष्ठों से इस प्रकार के प्लानिंग और डेवलपमेंट का सपोर्ट न तो साम्राज्यवादी तरीके से होता है, और न तो टोटैलिटेरियन सिस्टम से सपोर्ट होता है। ऐसी विशाल टाइप की प्लानिंग हो रही है। हो सकता है कि कहीं पर गलती हो। बहुत-सी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक आवश्यकता है। अगर प्रदेश और देश के पिछड़ेपन को दूर करना है तो कोई और चारा नहीं है सिवा इसके कि प्लान को सपोर्ट करें। और प्लान को सपोर्ट करने के लिये रिसोर्सेज पैदा करने के लिये टैक्सेशन करें। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि यह बिल अमेंडमेंट के बाद इतना इन्नोसेंट हो गया है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा सोचें तो इसका समर्थन ही करेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने जो सूबे में स्थिति उत्पन्न की है पिछले १५ वर्षों के भीतर कभी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो लोग भी जमीन पर पैर रख कर चलते हैं उन्हें समझना चाहिये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य में एक भूकम्प आया हुआ है। केवल यह कह देने से कि सड़कों पर नारे लगाने वाले बेकार लोग हैं उनको बहका कर ले आया जाता है, मैं समझता हूं कि जरा माननीय कृष्णानन्द राय जी जैसे आदमियों को समझ कर यह बात इस्तेमाल करनी चाहिये।

माननीय कृष्णानन्द राय जी कह सकते हैं कि सड़कों पर जिन लोगों ने आकर नारे लगाये वह तो अहमक थे लेकिन माननीय कृष्णानन्द राय जी की बगल में बैठने वाले जब माननीय कृष्णानन्द राय के इस विधेयक को फाड़ के फेंकने की बात कहते हैं तो उनको क्या आप कहते हैं ? भगवान करे, आप अपने सभी भाइयों को अहमक कहना छोड़ दें। (व्यवधान) आपने कहा है। आप सोचें इस बात को .....

श्री कृष्णानन्द राय—हमने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, नहीं, यह नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि मैं तो जरा मोटी बात समझता हूं। बारीक बात समझने वालों के लिये बहुत है वह। और अब मैं मान गया कि उन्होंने नहीं कहा और उन लोगों की तरफ से आवाज आ रही है जो उसी तरीके से अपने को समझते हैं जैसा कि मैंने कहा, इसलिये वह विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह विधेयक हमको कहां ले जायगा। जहां मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूं वहीं दूसरी तरफ मैं इस प्रदेश की जनता को बधाई भी देना चाहता हूं। यह पहला मौका है कि जब सरकार को अपने फैसले से हटना पड़ा है और उस जनमत में इतनी ताकत थी कि उसके सामने आपको झुकना पड़ा है। (व्यवधान) अच्छा, आप जनमत के सामने नहीं झुकते हैं यह मैं कहूं तो आप प्रसन्न होंगे और माननीय दाऊदयाल जी और प्रसन्न होंगे। आप किसके सामने झुकते हैं, वह भगवान जानता है और आप भी जानते हैं। आप झुकते हैं उद्योगपतियों के सामने, आप झुकते हैं चीन के सामने, आप झुकते हैं दूसरे लोगों के सामने जिनके हाथ में तलवार है, और जिसके हाथ में चांदी है, और दूसरों के सामने आप नहीं झुक सकते। मैं तो कहना चाहता था कि आप पब्लिक ओपिनियन के सामने झुकते हैं। आपने उत्तम काम किया। आप इनकार करते हैं इससे। आप अपनी तारीफ इसमें समझते हैं तो आप अपनी तारीफ समझा करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज ही नहीं, कभी और आगे भी आपको समझना पड़ेगा और अगर आप नहीं समझेंगे तो जो दुनिया की गति होती है पावर में आने वालों की, वही गति आपकी भी होगी। अंग्रेजों ने बुद्धिमानी से अगर काम लिया होता तो शायद कुछ दिन और रह सकते थे, लेकिन बुद्धिमानी से काम नहीं लिया। मैं आपसे भी कहता हूं कि बुद्धिमानी से काम कृपा करके लीजिये और हमको कोई इस बात की चिन्ता नहीं है कि आप वहां बैठे रहें। हम तो, आप जानते हैं इस फिक्र में हैं कि हमारे हाथ में ताकत आवे। लेकिन अगर हमारे हाथ में ताकत न आवे तो हम यह नहीं चाहते हैं कि मुल्क जहन्नुम में चला जाय। हम चाहते हैं कि आप मुल्क में ऐसी नीतियों को चलायें कि जिससे इस मुल्क में प्रजातांत्रिक पद्धति पनपे। प्रजातांत्रिक पद्धति का हवन हो जाय, यह हम नहीं चाहते, इसलिये हम चाहते हैं कि आप अब भी सोचें और इस बिधेयक को, अब हमारा तो अमेंडमेंट है कि जनमत को भेजा जाय, लेकिन जितने अमेंडमेंट हमारे हैं छठों, सातों, उन अमेंडमेंट्स को देख लीजिये, तो उसके माने यह होते हैं कि इस विधेयक को किसी हालत में भी अमल में नहीं आना चाहिये, तो मैं आपसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि १९६५-६६ में हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी। कोई आदमी जो मतवाला होता है वह नहीं समझता है कि समय की क्या मांग है। १९४६ में आप पावर में आये और १९६६ तक २० साल हो जायेंगे। तो अगर कोई २० साल में भी बालिग नहीं होता है तो उसको जो कहा जायगा वही हाल आपका होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरा वह अधिकृत विवरण आ गया है और आप उस को देख लें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैं उसको देख लूंगा।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा है जिससे कि ग्रामीण जनता का सम्बन्ध है। इससे पहले कि मैं विधेयक पर कुछ कहना शुरू करूं, एक बात कहना आवश्यक समझता हूं कि मुझे श्री गेंदासिंह जी के भाषण से बड़ी ही निराशा हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप लोग कृपया बीच में मत बोलें और शांत रहें।

श्री जगवीर सिंह—श्रीमन्, मुझे श्री गेंदा सिंह जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और मैं समझता था कि वे कुछ बहुत ही आवश्यक बातें जो इस विधेयक में नहीं आई हैं उनको कह देंगे। पता नहीं उन्होंने जानबूझ कर नहीं कहा, उनके पास समय नहीं था या वे कहना नहीं चाहते थे। यह वह स्वयं जानें, किन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई और मैं आपको, यदि हो सका तो, इसका कारण भी बतलाऊंगा।

श्रीमन्, यदि इस बिल को देखा जाय और इस टैक्स के लगने के कारण देखे जायें तो इसमें लिखा है कि—

"For purposes of planned development and to encourage the evolution of a single tenure system of peasant proprietorship in Uttar Pradesh."

श्रीमन्, उनके दो उद्देश्य मालूम होते हैं, विधेयक को पढ़ने से। एक तो यह कि प्लाण्ड डेवलपमेंट और दूसरा सिंगिल पीजेंट प्रोप्राइटरशिप। इस बिल को पढ़ने के बाद मैं यह नहीं समझ पाया कि किस प्रकार से इस टैक्स से सिंगिल पीजेंट प्रोप्राइटरशिप हमारे प्रदेश में आ सकेगी। इसलिये इस बात को यहीं छोड़े देता हूं और दूसरी को लेता हूं। प्लाण्ड डेवलपमेंट हमारे प्रदेश का हो। मैं यह चाहता हूं कि गरीब और गरीब न हो, गरीब और अमीर का अन्तर न बढ़े। हमारे प्रदेश में दोनों का अन्तर कम हो जाना चाहिये। हमारे प्रदेश में ज्यादा सड़कें, ज्यादा स्कूल बनें। जितने तरीकों से प्लाण्ड डेवलपमेंट हो सकता है वह किया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि दो रायें नहीं हो सकतीं। हमारे प्रदेश को गरीबी की दलदल से निकलना है और प्रदेश में खुशहाली बढ़ानी है। हर किसी को हमको खुशहाल बनाना है। प्लाण्ड डेवलपमेंट के सही अर्थ यही हैं और हमको इसको करना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब यहां पर कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि प्लानिंग बेकार की चीज है और उससे कोई खुशहाली नहीं आ सकती है और हम गरीबी की जंजीरों से नहीं निकल सकते हैं। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। हर पिछड़े हुये देश में प्लानिंग की इतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि किसी और चीज की हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात नहीं कहता, लेकिन यह सही है कि प्लानिंग अगर आवश्यक है तो पैसे की आवश्यकता होगी। सवाल अब यह आता है कि पैसा कहां से आये और किसस आये। पैसा आये, इसमें दो राय नहीं हो सकती है, पैसा कहां से आये इसमें दो राय हो सकती है। कुछ मित्र शहर की बात करते हैं, कुछ देहात की बात करते हैं, मैं शहरी नहीं हूं, देहाती हूं। अध्यक्ष जी, मैं गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में अखिल

[श्री गेंदासिंह]

में, तो उन्होंने यह कहा कि यू० पी० गवर्नमेंट बहुत ही बहादुर गवर्नमेंट है और जितना रुपया ५ वर्षों के लिये था वह अभी इकट्ठा कर लिया है । मैं फिर वही कहूंगा कि आप बड़े घरों की तरफ जाते हैं तो वहां आप चूक जाते हैं, डर जाते हैं और शायद मुरव्वत कर जाते हैं । मालूम नहीं क्या बात है । लेकिन आप जब वहां से आते हैं तो एक हुकुम लेकर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में तुमको इतना रेज करना होगा । मैं उसके लिये भी तैयार हूं । मैं समझता हूं कि उसके लिये हमारे इधर के साथी भी तैयार होंगे और उधर के लोग भी मेरी बात की एक बड़ी संख्या में ताईद करेंगे । आपके थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह बात स्पष्ट कही गई है कि अगर ५०० करोड़ रुपया और होता तो हमारे देश और प्रदेश के सारे नौजवान लोग जो बेकार हैं और जिनकी संख्या ३१ लाख है, उनको रोजगार दिया जा सकता था । यह असंभव नहीं है । मैं आपसे कहता हूं कि आप हिसाब लगाइये कि ७५ अरब रुपये में से आपका शेयर यदि मिल जाय तो क्या हमको टैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी ? हमारा भाग एक बटा ६ होता है । पहली योजना और दूसरी योजना को जाने दीजिये । अगर तीसरी योजना में ही हमारे साथ इन्साफ हो जाता तो १२ अरब से ज्यादा रकम मिलनी चाहिये थी । परन्तु हमको केवल ५ अरब ही मिला और ७ अरब काट लिया गया । यह रकम यदि हमको मिल जाती तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आपको आज टैक्स लगाने की आवश्यकता ही न पड़ती । आपकी आज जनता में जयजयकार होती और यह सब गिरफ्तारियां होने की जरूरत ही नहीं थी । न कोई सत्याग्रह करता और न इतनी बात की नौबत ही आती । जो आप का शेयर १२ अरब का होता था उसमें से आप ५ अरब लेकर चले और आपने कहा कि १०० करोड़ और ले आयेंगे । जब हम आपको रास्ता बताते हैं, तो आप नाराज होते हैं, माननीय कृष्णानन्द राय जैसा समझदार आदमी भी यह उपदेश देता है कि शुगर इंडस्ट्री की चर्चा मत करो।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—यह बात मेरी समझ में आई ।

श्री गेंदासिंह—आपकी समझ में सब आता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त श्री जयप्रकाशनारायण और पं० जवाहरलाल नेहरू में बात चल रही थी मुझको रिपोर्ट से पता चला और उसमें लिखा हुआ था कि यह शुगर इंडस्ट्रीज ओवर ड्यू हो गयी हैं नेशनलाइजेशन के लिये । माननीय जयप्रकाशनारायण जी की अक्ल को और नेहरू जी की अक्ल को माननीय कृष्णानन्द राय जी न समझे और आप न समझे तो उसको मैं थोड़े ही समझाऊंगा। उसी चीज को मैं भी सोचता हूं । श्रीमन्, २९ जिलों का इसका संगठन है और एक करोड़ से अधिक किसान इसमें इन्वालब्ड हैं । २० लाख के करीब की मेम्बरशिप कोआपरेटिव यूनियन फेडरेशन की है जिसके सर्वे सर्वा यही बने हुये हैं। कोआपरेटिव फेडरेशन है लेकिन उसकी सर्वे सर्वा यह सरकार ही है ।

कुछ फिगर्स मैं जुलाई की जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया के बुलेटिन है, उसमें से देना चाहता हूं । यह सरकार किसानों की बहुत हमदर्द बनती है, यह सरकार जरा देख उन आंकड़ों को । अगर १९५१–५२ की कीमतों को १०० मान लिया जाय तो मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि १९५१–५२ में चावल की कीमत १०४ थी, यह इन्डेक्स नम्बर है वह मई, १९६२ में १०९ हो गयी । गेहूं की कीमत जो ९४ थी वह ८९ हो गयी, चीनी की कीमत १९५१–५२ में ही, जो १०४ थी वह मई, १९६२ में १३१ हो गयी, गुड़ जो उस समय १३६ पर था वह अब आपके राज्य में १२९ है, उधर चीनी तो १०४ से १३१ हो गयी इधर गुड़ जो १३६ था, १२९ हो गया । गन्ने के दाम १११ थे वह अब दाऊदयाल जी के समय में, मई, ६२ में १०२ रह गये । तो अब जरा इस पर गौर करने की जरूरत है . . . .

श्री नवलकिशोर—गन्ना बढ़ता जाता है ।

श्री गेंदासिंह—गन्ना कहां बढ़ता है ? जहां १००,२०० एकड़ के फार्म हैं, जो सिर्फ गन्ना ही बोते हैं, वहां बढ़ा है ।

श्री नवलकिशोर—वे लोग आपके पास ही बैठे हैं ।

श्री गेंदासिंह—मैं माननीय नवलकिशोर जी से कहना चाहता हूं कि वह बतायें हम किस गिनती में हैं किछा फार्म में ? पिछले १० वर्षों की आप उस फार्म की फिगर्स दें कि कितना कितना गन्ना आपने बोया और सारे स्टेट फार्म्स आपने इसलिये रखे हैं कि उसमें सिर्फ बीज पैदा करें और उस बीज को पैदा कर के लोग मल्टिप्लाई करें, तो क्या आपने गन्ना के बीज के लिये भी एक्सपेरिमेंटल फार्म्स रखे हैं ? आखिर आप वहां क्यों ज्यादा गन्ना बढ़ाते जाते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा उनसे मेहरबानी करके पूछें कि यह ज्यादती होगी और हाउस में बैठ कर टोकेंगे और जवाब देंगे नहीं तो .....

श्री उपाध्यक्ष—दोनों तरफ से कोई किसी को टोके नहीं । मेरा मतलब यह है कि दोनों तरफ शांति रहे और बहस होती जाय ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, गन्ने की बात कहने पर मैं बदनाम होता हूं कि मैं हरदम गन्ना, शक्कर और चीनी की बात कहा करता हूं । अब मैं गन्ने के अलावा दूसरी चीज पर आता हूं ।

रुई भी तो आप इस प्रदेश में पैदा करते हैं, जूट भी तो आप यहां पैदा करते हैं, उनकी हालत आज क्या है, उसे भी आप जरा देख लें । कच्ची रुई की कीमत जहां सन् १९५१ में १२८ थी वह मई, ६२ में घट कर ११२ हो गयी । इसी तरह से कच्चे जूट की कीमत जहां सन् १९५१ में २२० थी वह मई, सन् १९६२ में १४० हो गयी और, श्रीमन्, जिस रुई से कपड़ा बनता है उस कपड़े की कीमत जहां सन् १९५१ में १०८ थी, वह मई, १९६२ में बढ़ कर १२९ हो गयी । कोयले की कीमत जहां सन् १९५१ में १०० थी, मई, १९६२ में वह कीमत १४५ हो गयी । अब हमारी समझ में बात नहीं आती कि किसके हक में यह चीज जा रही है । कोई हिसाब-किताब आपका है, कोई कैलकुलेशन है ? कोई संख्या वगैरह आपके संख्या विभाग के पास है जिसके ऊपर हम लाखों रुपया सालाना खर्च करते हैं ? यह क्या कि आपने डंडा उठा कर कहा कि मोटी-मोटी गर्दन वालों को पकड़ो ? मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिये और उत्तर प्रदेश जैसी सरकार के लिये जहां आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपना मामला समझाना चाहिये । यह मैं नहीं समझता कि माननीय कृष्णानन्द राय जी जो गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं, कैसे इस मामले को समझा सकेंगे । माननीय दाऊदयाल जी, माननीय बनारसीदास जी जरा हाउस को समझा दें । सारे हिन्दुस्तान का अगर खाका मैं आपके सामने रखूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का खाका तो इसमें है नहीं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि १,००१ कम्पनियों के मुनाफे की छानबीन रिजर्व बैंक पिछले कई वर्षों की कर रहा है और रिजर्व बैंक की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स की लेटेस्ट बुलेटिन निकली है उसके अनुसार १९५९ में जहां इन १,००१ कम्पनीज का मुनाफा १६३ करोड़ था वह १९६० में १८८ करोड़ हो गया । अगर उसके और पीछे सन् १९५५ में जायं तो वह मुनाफा ११८ करोड़ ५२ लाख था जो बढ़ कर सन् १९६२ में १८८ करोड़ हो गया ।

श्रीमन्, अब किसानों की हालत, जिससे हम पैसा मांगने जा रहे हैं ? इंडस्ट्री वालों से हम पैसा नहीं मांगते हैं क्योंकि इस तबके से पैसा मांगने की हमारी हिम्मत नहीं है मेरा कहना है कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कीजिये । माननीय कृष्णानन्दराय जी जरा सुनें कि वह मैं क्यों कहता हूं । इसलिये कहता हूं कि २० लाख किसानों के परिवार जो प्रदेश के कोने-कोने में फैले हुए हैं और मर-मर कर गन्ना पैदा करते हैं, इन्होंने उसके पसीने की कमाई को लूटा है । यहां सब विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों से मैं एक बात कहना चाहता हूं और बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि सरल भाषा ही मैं जानता हूं, कि कच्चा माल पैदा करने-वाला जब किसी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के पास जायगा तो वे कच्चे माल पैदा करने वाले को एक्सप्लाइट किये बिना रह नहीं सकते ।

[श्री गेंदासिंह]

आप यहां किसान जगत की रक्षा करने के लिये बैठे हुये हैं। आपका जो पहली, दूसरी और तीसरी योजना का इलेक्शन मैनीफेस्टो है उस पर अगर आप नजर डालें और केवल उसके आप आब्जेक्टिव को ही पढ़ लें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि शुगर इंडस्ट्री को आप जब तक नेशनलाइज नहीं कर लेंगे तब तक आप इनकम की इक्वेलिटी को दूर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार को धन की आवश्यकता होगी, उसके लिये वह उन लोगों के पास जायगी जिन लोगों के पास धन नहीं होगा। इससे जिसकी आपने कसम खाई है, इनईक्वालिटी को दूर करने की वह विषमता और बढ़ेगी और आपकी वह कसम टूट जायगी। शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के माने यह होंगे कि किसानों की हमदर्दी होगी। यह मैं आपको वोट कैचिंग डिवाइस नहीं बता रहा हूं। यह इसलिये कह रहा हूं कि उससे किसानों को कुछ रुपया अधिक मिलेगा। अगर किसान उस मिल का मालिक होगा, आप उनको कोआपरेटिव में ले जाइये, जैसा कि बाम्बे–महाराष्ट्र में है। किसानों के पास उसकी आय आयेगी और चार पैसा उसके पास ज्यादा होगा। तब आप उससे जो डिमांड करेंगे, वह आपकी कोई नामुनासिब बात न होगी। अगर कोआपरेटिव सेक्टर में उसको आप नहीं ले जाना चाहते तो आप उसको अपने हाथ में ले लीजिये। मैं कहता हूं कि उनको कैम्पेन्सेशन देने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां कहा गया कि १ अरब रुपया कैम्पेन्सेशन देना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को ऐसी हलकी बात हर्गिज नहीं कहनी चाहिये थी। विभागीय कर्मचारी किस हिसाब से समझते हैं कि १ अरब रुपया उनको देना होगा। अभी २–३ साल पहले ३ फक्ट्री नीलाम हुई थीं। २५ लाख रुपये से ऊपर कोई भी नीलाम नहीं हुई। फिर आज आप कैसे कहते हैं कि १ अरब रुपया उनको देना होगा? क्या एक-एक फैक्ट्री को आप डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया देंगे? माननीय मुख्य मंत्री जी को तो इतना समय है नहीं; मैं माननीय दाऊदयाल जी से कहूंगा कि वे कृपा करके इस बात को समझें कि वाकई इनकी मालियत क्या है। जब फैक्ट्री वाले कहते हैं कि उनकी फैक्ट्री चल नहीं रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है, दक्षिण वालों की वजह से यहां वे बहुत परेशान हैं,तो फिर क्यों नहीं कहते कि कृपा करके चले जाइये? जब मुनाफा ही नहीं है तो फिर कम्पेन्सेशन का सवाल ही कहां पैदा होता है? अगर आप चाहते ही हैं तो कुछ दे दिला कर छुट्टी कीजिये। आप हमारे वादे को कोई कीमत न दें लेकिन आप कुछ एक्सपर्ट लोगों को बिठायें और मालूम करायें कि अगर शुगर फैक्टरीज को पब्लिक सेक्टर म लिया जाय तो कितना धन आपको मिलेगा। माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि तुमने कभी आवाज नहीं उठाई जबकि प्लान पर बहस हो रही थी। मैं उनकी जानकारी में और सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग डाक्टर सम्पूर्णानन्द जो यहां के पहले मुख्य मंत्री थे उनकी सदारत में हुई थी, तारीख तो मुझे याद नहीं और वह मीटिंग तृतीय प्लान पर विचार करने के लिये रायल होटल में बुलाई गई थी। मैंने वहां प्रस्ताव रखा था कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में कन्द्र की सरकार से कहा जाय कि वह उसका तृतीय प्लान में राष्ट्रीयकरण कर ले और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने इस बात का एलान वहाँ किया उस मीटिंग के चेयरमैन की हैसियत से कि इस प्रश्न पर एक कमेटी बिठाई जायगी और वह कमेटी इस बात को देखेगी कि इसमें क्या आर्थिक कठिनाइयां हैं और ऐसा करने से क्या सहूलियत मिल सकती हैं और उसके बाद इस विषय में केन्द्र से सिफारिश की जायगी। यह उनका वादा है, प्लानिंग बोर्ड आपने बनाया है उसका यह फैसला है और उन का चेयरमैन की हैसियत से एक एलान है। इस तरह की कमेटी बैठे और आप केन्द्र को लिखें और केन्द्र उसको न माने तब फिर मजबूरन आप इस प्रदेश से कहते कि कपड़े लत्ते बेचकर दो और चमड़ी उधेड़ कर आप लोगों से लेते लेकिन कब इस बात की चर्चा हुई? जमीन जोतने वाले जो पहले से ही गरीब हैं और सूबे के किसानों से उनकी चमड़ी उधेड़ कर टैक्स लगाया जायगा? कहां इस बात की चर्चा हुई और किस एलेक्शन मैनिफेस्टो में कहां इसका जिक्र है? और किसने किस मीटिंग में चर्चा की कि किसानों पर कर बढ़ाया जायगा? आप बतायें तो हम सुनने और समझने को तैयार हैं। आप ने ऐसी बात कभी नहीं कही, अगर कही ही होती तो यहां का नतीजा दूसरा ही होता। आपने तो उन गरीब किसानों से कहा कि तुम्हें आगे बढ़ाना है,विषमता को कम करना है,गरीब को

ऊंचा उठाना है और धनी को नीचे खिसकाना है। अगर आप कहते हैं कि हमने बढ़ाने की बात किसान को समझा दी थी तो आप गलत कहते हैं और या आप की याददाश्त खराब हो गई है आप उसको फिर से ताजा कीजिये। दूसरे प्रदेशों के कर का बहाना लिया जाता है कि अन्य प्रदेश भी किसानों पर कर लगाने जा रहे हैं। आप गौर करें कि श्री जे० सी० कुमारप्पा साहब आप के और हमारे सब के आदरणीय रहे थे, जहां तक एकनामिक्स का प्रश्न है उनकी योग्यता से कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं आपके सामने उनके ही फिगर रख रहा हूं। कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट के पन्ना १४ पर यह दिया है। उन्होंने कहा है कि आसाम में दस एकड़ से ऊपर के किसान १२.६ हैं, बम्बई और गुजरात डिस्ट्रिक्ट, दक्खिन और कर्नाटक में क्रमशः २४.५, ४४.७ और ४६.९ है। अब समझ लें कि आधे के करीब महाराष्ट्र में हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में १६.६, मध्य प्रदेश में ३० प्रतिशत, उड़ीसा में १० प्रतिशत, मदरास में ११ प्रतिशत और यू० पी० में केवल ६ प्रतिशत।

अगर आप ऐसा समझते हैं कि कोई जमीन जिसके ऊपर लार्ज होल्डिंग टैक्स आपने लगाया था और ज्यादा जमीन वालों से आप लेना चाहते थे। इस पर आप गौर करें, माननीय कृष्णानन्द जी और दूसरे भाई गौर करें जब दूसरे स्टेट्स में सिर्फ ६ परसेंट १० एकड़ या १० एकड़ से ऊपर के किसान हैं और और प्रदेशों में जिनमें बम्बई में तो आधी है, और इसी तरह से किसी में १६, किसी में कुछ और किसी में कुछ तो उसमें कुछ हैसियत तो देने की तो बढ़ेगी। फिर लैंड रेवैन्यू के विषय में माननीय बलजीत सिंह ने क्या कह दिया और डाक्टर वीर बहादुर ने क्या कह दिया? अब उस बात को छोड़ दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी नोट कर लें कि वह खड़े हों तो जवाब दें, माननीय राजस्व मंत्री या कोई स्टेटिस्टिक्स को जानने वाले जवाब दें कि सारे भारत में कितनी जोती हुई जमीन काश्तकार के पास है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ३२ करोड़ एकड़ जमीन सारे भारतवर्ष में काश्तकार के पास है और मालगुजारी उसकी या तो ९८ करोड़, या १ अरब और १०२ करोड़ से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं है। यह मुझे भिन्न-भिन्न कागजात से मालूम हुआ है। अब हिसाब लगायें कि १०२ करोड़, ३२ करोड़ एकड़ पर, क्या हिसाब बैठता है। तो ५ रुपये या साढ़े ५ रुपये फी एकड़ ऐवरेज मालगुजारी है। माननीय नवलकिशोर जी सिर हिला रहे हैं। अगर वह खड़े हों तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं उसे छोड़ भी दूं तो इस प्रदेश की साढ़े ४ या ५ करोड़ एकड़ जोती हुई जमीन हमारे सूबे के काश्तकार पर है। एक्जेक्ट फिगर्स तो भानु प्रतापसिंह जी जब बोलेंगे तो देंगे, मैं तो अन्दाज बतला रहा हूं। इस जमीन पर आप कितनी मालगुजारी लेते हैं? सवा २३ करोड़ रुपये आप लैंड रेवैन्यू इस वक्त वसूल कर रहे हैं जो जमींदारी अबालिशन से पहले ७ या सवा ७ करोड़ ही आती थी। तो यह क्या भाव अब पड़ा? चाहे छोटे, चाहे बड़े काश्तकारों को देखिये, सारे भारतवर्ष में आपकी मालगुजारी सब से ज्यादा है। माननीय मिश्र जी जोड़ लें। आप कोई और फिगर ढूंढ़ कर बता देंगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन इस वक्त जो फिगर्स हैं वह ऐसी ही हैं।

इसके अलावा, जरा माननीय राममूर्ति जी भी गौर करें कि क्या वह सारे हिन्दुस्तान से ऊंची दर सिंचाई की लेते हैं या नहीं। सारे भारत में आपको कितना रुपया सिंचाई पर मिलता है और उत्तर प्रदेश में कितना रुपया मिलता है। मैं आपकी जानकारी का तो कोई फायदा उठाना नहीं चाहता। लेकिन जो भी फिगर्स हमारे पास हैं उनसे यह कहा जा सकता है कि सब से ऊंची रेट उत्तर प्रदेश में है।

चतुर्भुज जी शर्मा नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि कोआपरेटिव के कर्जे के लिये सूद की दर ९ फी सदी से कम करने में हमारा काम नहीं चलेगा।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

रिजर्व बैंक को तो ढाई रुपया सैकड़ा देंगे लेकिन किसानों को वही रुपया ९ रुपये सैकड़ा पर मिलेगा और उसी के साथ जरा गौर कीजिये कि जब कोई इंडस्ट्रियल कारपोरेशन और इंडस्ट्रियल कन्सर्न को कर्जा देना हो तो उस कर्जे के सूद की दर क्या होगी। क्या ९ परसेंट है?

[श्री गेंदासिंह]

मैं माननीय फूलसिंह जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे जरा इस बात को ग़ौर करें वे किसानों के हमदर्द हैं, वे मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, उनको राममूर्ति जी अपनी तरफ़ मुख़ातिब कराये हुये हैं, मैं उनको अपनी तरफ़ मुख़ातिब करना चाहता हूं, वे कृपा कर के देख लें कि इंडस्ट्रियल परपज के लिये जब कर्जा दिया जाता है तो कितने कम सूद पर दिया जाता है और झोपड़ी वालों को कितनी ज्यादा दर पर कर्जा मिलता है। अगर महलों में पानी ले जाना हो तो किस दर पर मिलता है और अगर हमें कहीं नालियों में पानी ले जाना होता है तो किस दर पर मिलता है। बिजली के बारे में तो कुछ तर्क हो सकता है और वह तर्क समझा जा सकता है। मगर हम कहते हैं कि अगर आपने इंडस्ट्री लगा ही ली और उसके बाद बहुत-सा माल भी तैयार कर लिया लेकिन वह माल कन्ज्यूम कौन करेगा, इस तरफ़ आपका ध्यान नहीं है। आप समझते हैं कि किसानों के घर से पैसा निकाला जा सकता है लेकिन जरा आप अपने दिल को टटोल कर देखें। माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय बृजबिहारी जी, ये दोनों रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, वे जरा अपना दिल टटोल कर देखें। मैं अपनी बहस जल्दी ख़त्म करने के लिये कह रहा हूं कि हर चीज में आप उससे ज्यादा लेना चाहते हैं। उसका उत्पादन कितना है? हम मानते हैं कि पिछले दस वर्षों में आपने इतनी मेहनत की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन पिछले दस वर्षों में आपने क्या किया सिवाय इसके कि सारा हिसाब घपले में है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट का हाल यह है कि बेचारे ने कुछ सही लिखने की कोशिश की, बनाते बनाते भी सही लिखा गया और सब लिखने के बाद मैं आप से जानना चाहता हूं और अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर मैं भंडाफोड़ करूंगा कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार प्लानिंग के क्षेत्र में नहीं आयी तब तक हमारी नेशनल इन्कम कितनी बढ़ी और जब से आपके ऊपर प्लानिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट का पैरा आ गया—१९५१ से १९६१ तक—तब तक आपकी कितनी नेशनल इन्कम बढ़ी? मैं नेशनल इन्कम की बात पूछता हूं, पर कैपिटा इन्कम की नहीं क्योंकि उसमें तो आप कह देंगे कि बच्चे ज्यादा हो गये। (हंसी) आपको यह मानना पड़ेगा कि या तो आपने फंड्स का मिसयूज किया या खर्च ही नहीं किया और अगर खर्च किया तो बहुत बुरी तरह से खर्च किया, दोस्ताने में खर्च कर दिया, शर्मा हुजूरी में खर्च कर दिया, ठीक से खर्च नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि दोनों बातें सही हैं। शर्मा हुजूरी में खर्च हुआ और खर्च होने में अगर आप पता लगायें, कि ३१ मार्च को कितना खर्च होता है प्लानिंग विभाग में। माननीय नवल किशोर जी मदद करेंगे, मैं आप से कह रहा हूं लखनऊ में ३१ मार्च को कितना रुपया प्लानिंग विभाग में खर्च होता है जरा इसका हिसाब जान लीजिये। लाखों रुपया पर्सनल लेजर में बी० डी० ओ० के नाम डाल दिया गया, लखनऊ का नाम इसलिये ले रहा हूं कि नाक के नीचे बाल की तरह लखनऊ है। रुपया खर्च नहीं हुआ क्योंकि कुएं नहीं खोदे गये, सड़क, पुलिया नहीं बनीं, ईंट नहीं खरीदी गईं, लेकिन गांव सभा के नाम वह रुपया पर्सनल लेजर में चला गया और कारगुजारी में यह दिखाना है कि रुपया खर्च हुआ। इन सब कुकर्मों के करने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि १९६१–६२ का जो प्लानिंग का वर्ष रहा है उसमें कितना रुपया आपको मिला और कितना खर्च किया। मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं इतना रुपया बाक़ी पड़ा हुआ है कि उसको ठीक से इस्तेमाल कर सकें तो इस तरह के टैक्सेशन की जरूरत होगी। हरगिज नहीं होगी। जो रुपया आप इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं वह खर्च कर भी पायेंगे या नहीं ताकत है। मैं समझता हूं कि जब आप खर्चे का हिसाब नहीं दे सकते तो सरकार को पैसा मांगने का कोई हक़ नहीं है। अकल तो आप खर्च नहीं कर सकते हैं और करते भी हैं तो बेढंगा खर्च करते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन मैं तो कहता हूं आप खर्च ही नहीं करते हैं तथा १९६५–६६ तक आप इस रुपये को खर्च नहीं कर सकते हैं। वरना १९६१–६२ का खर्च बताइये प्लानिंग पर कितना खर्च हुआ। क्या दिक्कत है बताने में? ३१ मार्च का पूरा साल बीत गया आज ३ अक्तूबर है, मार्च और अक्तूबर के बीच में आपका हिसाब तैयार नहीं हो सका। इस लिये नहीं तैयार हो सका क्योंकि वह रुपया यूटीलाइज नहीं हुआ। अगर हो जाता तो हिसाब भी तैयार हो जाता।

मैं माननीय दाऊदयाल जी से कहना चाहता हूं। जो केन डेवलपमेंट काउन्सिल बनी हुई है जरा पता लगायें, ३१ मार्च को कितना रुपया कुंआ बनाने के लिये चला गया पर्सनल लेजर में। एक, दो के नहीं, हर केन काउन्सिल में ऐसा है। आप हमें आडिट करने दीजिये देखिये, क्या गलतियां निकलती हैं। १९५९ के बाद किसी गांव सभा का आडिट आज तक नहीं हुआ। क्या वजह है? और अगर आडिट हुआ है तो बतायें। इसको भी छोड़िये, जो आपकी पी० ए० सी० है और दूसरी कमेटीज हैं जो आडिट करती हैं तथा वह जो रोना रोकर रिपोर्ट देती हैं वे हमारे सामने आती हैं। लेकिन यह सब रुपया इकट्ठा करके आप कहां ले जायंगे? आप के पास मशीनरी नहीं है, आप उस रुपये को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं न तो आपके पास मशीनरी है और न जरूरत ही है और अगर यह दोनों बात न मानें तो सरकार की ज्यादती है और आप यह रुपया उन लोगों से वसूल करने जा रहे हैं जिनके पास नहीं है, जिनको आपने कुछ दिया नहीं।

मैं दलील के साथ कहना चाहता हूं, सेन्टीमेंट्स के आधार पर नहीं कह रहा हूं, जमीन जोतने वालों को आपने अभी तक कुछ नहीं दिया। अगर आपका यह खयाल था कि ८ एकड़ से ऊपर जमीन जोतने वाले को कुछ दे दिया है तो लार्ज होल्डिंग टैक्स क्यों हटाया गया? फिर यह बिल ले आने में कितनी अवधि बीती? उस लार्ज होल्डिंग टैक्स को आप जारी रखते तो कितने करोड़ रुपये उससे मिलते? माननीय हुकुमसिंह जी इस वक्त नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त सीलिंग का बिल पेश था उस वक्त माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि १२ एकड़ कर दीजिये। सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि १२ एकड़ कर दीजिये। हम जरा मुलायम हैं हमने कहा कि २० एकड़ कर दीजिये और किसी ने कहा कि ३० एकड़ कर दीजिये। कहा गया कि इसमें गुजारा नहीं होगा। जवाब दिया गया है क्या चाहते हो? गांव को दरिद्र बना देना चाहते हो? गांव के लड़कों को पढ़ाना नहीं चाहते हो। इंजीनियर और डाक्टर नहीं बनने देना चाहते हो? हार गये हम लोग और ४० से ९६ एकड़ तक की सीलिंग हो गयी। उसमें प्लानिंग कमीशन के बुजुर्गों को नहीं पूछा। प्लानिंग कमीशन वाले रोते रह गये। तो ४० से ९६ एकड़ करने के बाद आज आप कहते हैं ८ एकड़ से ज्यादा जिसके पास है उसके पास कुछ है, निकालो उससे। मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं है। आप सोचते हैं कि बड़े धनी हो गये और कुछ हमारे बुजुर्गों को यह गलतफहमी हुई कि उनकी मीटिंग्स में जो आते हैं वे सब सफेद कुर्ता डाटे और धोती पहने आते हैं। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि ऐसे लोगों को गलतफहमी नहीं होगी जो पैदल चलते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी सभायें होती हैं उनका इन्तजाम करने वाला कौन होता है? चीफ मिनिस्टर की सभा का इन्तजाम करने वाला मुरादाबाद में दाऊदयाल खन्ना जी होंगे, ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर और एस० पी० होगा। आपको भी अगर कहीं पहचानता न हो तो धक्के देकर आपको बाहर कर दिया जायगा। ऐसा हुआ है। तो ऐसी सभाओं में सफेद पोश लोग पहुंच पाते हैं। अंग्रेजों की अमन सभाओं में जाते थे वही सब मिनिस्टरों की सभाओं में आते हैं, मजाल है न आयें। ऐसा खयाल है उनका कि सारे देश में जितने जमीन जोतने वाले हैं सब सम्पन्न हो गये। कुछ स्टेटिस्टिक्स पर पालिसी रखिये। माननीय मंत्री इस बात को पसन्द करते हैं कि अपनी आंख से देखी हुई बात को मानें। लिहाजा साथ चलिये अगर देखना है तो और देखा जाय उन जगहों पर जहां साल में तीन महीने ऐसे होंगे जिनमें वह दोनों वक्त खाना खा पाते होंगे। आज हालत देश की यह है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स आप ले रहे हैं वह तो ले ही रहे हैं, जो चीज उन्हें खरीदने की जरूरत पड़ती है वह सब महंगी है। आप देखें कि सन् ५१ से कपड़े के दाम में आज फर्क है। वह तो मैंने होलसेल प्राइस बतलाई थी। फुटकर विक्रेता जो उसके पास बेचने जाता है तो क्या पैसे वसूल करता है? क्या तरीका है आपका? हम यह मानते हैं जो कई मंत्रियों ने कहा कि हमें सब से कुछ न कुछ लेना है। कोई हर्ज नहीं और मैं सभी भाइयों से कहूंगा कि इस बात को मान लें। लेकिन डंडे के बल से नहीं बल्कि हम लोग कहेंगे कि जो कुछ हो वह प्लानिंग के नाम पर दे दो। अगर लोगों में उत्साह होगा तो मैं समझता हूं कि आपको काफी मिल जायगा। स्माल सेविंग्स में क्या आप पिछड़ गये?

[श्री गेंदासिंह]

श्रमदान में क्या आप पिछड़े गये ? कभी नहीं पिछड़े। इसलिये भरोसा कीजिये वालंटरी पर और उससे प्लानिंग पर बल बढ़ेगा और लोग समझेंगे कि अगर हम कुछ देते हैं तो हमारा कुछ न कुछ भला होगा। इसको आप मानते नहीं हैं और सरकार समझती है कि डंडे के बल से वसूल करेंगे। तो समझ लीजिये कि आप ही अकेले नहीं है और न कोई आप में गांधी जी ही है। वे तो कुरबानी सिखा सकते थे क्योंकि जो खुद कुरबानी करता है वही कुरबानी सिखा सकता है। हम लोग जो दस रुपये रोज पाते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो आप क्या समझा सकते हैं ? पहले १२–१५ आदमियों से काम चल जाता था। लेकिन अब आप ४८ हो गये। आपको सोचना चाहिये था कि टैक्स बढ़ाना है तो ऐसा उपाय करें कि अपने आदमियों में से कम कर दें। खैरात घर से शुरू होनी चाहिये। लेकिन जो भूखा है, जिसे खाना नहीं मिल रहा है या ८/१० एकड़ का काश्तकार है उससे आप कहते हैं कि पलानिंग के लिये लाओ। प्लानिंग के चलाने वाले आप हैं। आपकी कुरबानी की तरफ कोई न देखें और दूसरे से कुरबानी की आशा करें तो यह गलत बात है। मुल्क उसी समय कुरबानी करेगा जब आप अगुआ होंगें। उत्तर प्रदेश सारे भारत में वह नमूना उपस्थित कर रहा है जिससे डैमोक्रेसी को धक्का लगेगा।

श्रीमन्, मैं माननीय नवलकिशोर जी से कहना चाहता हूं कि उनकी पुलिस डंडे के बल से वसूल नहीं कर सकती है। हालांकि आपकी आदत ऐसी हो रही है जो आप डंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, मन चाहे करता हो या न करता हो लेकिन समर्थन जरूर करते हैं। जमींदारी अबालीशन हुई और किसानों को बड़ी राहत मिली। आप जरा गौर करें। हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं हैं,मैं ५५–५६ के रखे देता हूं। १९४९–५० में वारन्ट आफ अरेस्ट १७,७६६ थे और १९५५–५६ में ५७,५५१ हैं। जो लोग सचमुच हवालात में डाले गये जमींदारों के जमाने में, वे हैं २,२२७ और हमारे जमाने में यानी ५५–५६ में ५,८८१ आदमी डाले गये। यह भी लिखा हुआ है कि कोई आज मालगुजारी देने में आनाकानी नहीं करता है लेकिन उसको बड़ी कठिनाई होती है। मैं आप से कहता हूं कि इस बात को जरा सुन लें इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब कि कितने करोड़ रुपये का आज शुगरकेन प्राइस बकाया है? जिसे कलेक्टर की जिम्मेदारी है किसान से लगान वसूल करने की, उसी कलेक्टर की जिम्मेदारी है मिल मालिकों से वसूल करने की। उसी कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार के सामने किसान खड़ा हो कर पुरजी हाथ में लेकर कहता है कि सौ रुपये की पुरजी है हमको बेइज्जत मत कीजिये। लेकिन १०० रुपये की पुरजी लिए वह दो रुपये के लिए गिरफ्तार किया जाता है और हवालात में डाल दिया जाता है और कहा यह गया कि १०० रुपये जिस वक्त चीनी बिकेगी उस वक्त मिलेंगे। आज भी करोड़ों रुपये बाकी हैं। खैर, इस रुपये को लेकर आप कोई ऐसा काम करते जिस काम से हम समझें कि आप इस देश को आगे बढ़ा ले जायंगे लेकिन मुझे लगता है कि आप इस देश को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। आप कहते हैं कि प्लानिंग को हम लोग सपोर्ट करते हैं। प्लानिंग का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि सारी जनता को प्लान माइंडेड बनाना चाहते हैं ताकि जनता यह न समझने लगे कि कोई प्लान्ड इकानामी नहीं हो सकती है। बदकिस्मती से आप बैठे हुए हैं, उस प्लान के सिर पर। अगर हम आप का विरोध करते हैं, उसके साथ-साथ अगर प्लान का विरोध करने लगें तो बड़ा अनिष्ट हो जायगा। लेकिन प्लान के समर्थन के मानी यह होते हैं कि बेरोजगारी बढ़ाई जाय, विषमता जितनी है उतनी और बढ़ायी जाय, प्लान के समर्थन के मानी यह है कि गरीब से टैक्स लो और धनियों का घर भरो ? यह मतलब नहीं है उसका। हम को आप क्रिटिक समझते हैं लेकिन थर्ड फाइव-इयर प्लान जो है यह क्या कम क्रिटिकल है ? आपने क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया ? (व्यवधान) १९५०–५१ की स्थिति आज आप की नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि १९६५–६६ में इस प्रदेश की शक्ल सारे भारत के नक्शे पर क्या होगी। सारे भारत के नक्शे पर इस प्रदेश की शक्ल उद्योग में भी, विज्ञान में भी, पावर में भी, एजूकेशन में भी, धन में भी और बुद्धि में भी क्या होगी ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—बुद्धि की बात आपने गलत कह दी।

श्री गेंदासिंह—बुद्धि का भंडार यूनिवर्सिटियाँ हैं, विज्ञान है। तो उसमें कृपा करके देख लीजिये। आप अपने पड़ोसी बिहार से भी पीछे रहेंगे या नहीं? छोटे बच्चों को आप पूरी तालीम दे नहीं सकते। सभी बालिगों को आपने मताधिकार दिया है लेकिन आप पूरे लोगों को प्राइमरी एजूकेशन नहीं दे सकते। टेकनिकल एजूकेशन जो और सूबे देंगे उससे आप पीछे रहेंगे और जरा कृपा करके इस बात को सोचा कीजिये। जरा यह पता तो लगाइए कि आपके सूबे में आज जो एजूकेशन की हालत है जितना पीछे आप खिसकते चले जा रहे हैं उसम आप कुछ तरक्की कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। देखिए, मुल्क में वह लोग तरक्की करते हैं जो तरद्दुद से पैसा पैदा करते हैं। तरद्दुद से पैसा पैदा करने वाले आदमी तरक्की करते हैं। आपके हाथ में दौलत है और दौलत इकट्ठा करके आप खर्च करना चाहते हैं, बहुत बेतरतीब खर्च करना चाहते हैं। उस बेतरतीब खर्च करने से इस मुल्क का भला नहीं होने वाला है।

श्रीमन्, इर्रीगेशन पर बहुत रुपया हमने खर्च किया। मैं जानना चाहता हूं इस वक्त कि माननीय भानुप्रताप जी ने एक लेख लिखा और माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक लेख लिखा। श्रीमन्, यह लेख ऐसा तो नहीं था कि माननीय मंत्री या विभाग जिससे इसका ताल्लुक था या प्लार्निंग विभाग या स्टेटिस्टिकल विभाग उसको पढ़े और पढ़ के कूड़े में फेंक दें। माननीय भानु-प्रताप जी इस माननीय सदन के सदस्य हैं और माननीय त्रिलोकी सिंह जी इसको आप स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी एबिलिटी, उनकी बुद्धि आप लोगों से कम नहीं है, (व्यवधान) अब बड़ी मेहरबानी है आपकी अगर आपने ज्यादा मान लिया। श्रीमन्, उन्होंने जो कुछ लिखा क्या उसका जवाब देना उचित नहीं था? आप चाहते हैं कि टैक्स तो लगा दें, आप चाहते हैं कि जेलखाने में लोगों को डाल दें, आप चाहते हैं कि लोगों को पुलिस के डंडे से पिटवायें, लेकिन बुद्धिपूर्वक जो बात कही जाती है उसका उत्तर नहीं देना चाहते। सारा प्रदेश आज देख रहा है सोच रहा है, कि सरकार के पास इन लोगों को जवाब देने के लिए कोई बात है या नहीं। अगर आज तक आपने जबाव दिया होता तो मैं समझता हूं कि बहस कुछ कम हुई होती। लेकिन नहीं जवाब दे सकते आप। मैं यही समझता हूं कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है और अगर कोई उत्तर नहीं है तो यह डेमोक्रेटिक सेट आप जो है यह डेमोक्रेटिक सेट अप डंडे से नहीं चलता। डेमोक्रेटिक सेट अप में परसुएशन का तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे। डिस्कशन में जिन बातों को उठाया जायगा उनका जवाब नहीं देंगे। तुर्रा यह है कि बहुमत है, जो चाहेंगे वह पास करेंगे। जनता जो शुबहे और शक की बात उठायेगी उसका उत्तर नहीं देंगे। इसलिए उत्तर नहीं देंगे कि आप कहते हैं कि हम तो जीत के आये हैं, चुनाव में जीत के आये है। मैं समझता हूं कि यह कोई वाजिब बात नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिव सेट अप में। जो सवाल उठ रहे है उनका जवाब दीजिये, निरुतर कीजिये लोगों को और निरुत्तर करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे आपका रास्ता साफ होगा।

श्रीमन्, मैं अब सोचता हूं कि दो-एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूं। (व्यवधान) जरूर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मौका मिले। बहुत चर्चा हुई और भाई कृष्णा-नन्द राय ने एक चर्चा कर दी जिसका कि मैं जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में चरण सिंह जी ने कहा था कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के ऊपर टैक्सेशन करना चाहिये। कभी कोई जमाना था कि कोई भ्रान्त धारणा उनकी थी और वह भ्रान्त धारणा ऐसी थी कि एक समय यह प्लान बना कि इस सूबे के किसानों से १ अरब ४० करोड़ रुपया दसगुना वसूल किया जायगा। लेकिन सारी मशीनरी आपकी, माननीय कृष्णानन्द राय जी, टूट गई, ३५ करोड़ रुपया वसूल करते करते और ३५ करोड़ रुपयों को वसूल करने में, मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय ठाकुर साहब को, कि रेवेन्यू की मशीनरी जो थी वह चूर-चूर हो गई। उसको वह वह कुकर्म करने पड़े कि जो कुकर्म दस-बीस वर्षों में रेवेन्यू की मशीनरी नहीं कर सकती।

[श्री गेंदा सिंह]

आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर दो-चार लाख रुपया इकट्ठा हुआ है दसगुना का, श्रीमन्, वहां का जरा हिसाब दिखवा लिया जाय कि जितना रुपया आया, क्या उसके सबके बांड दे दिये गये और जो रुपया बाकी रह गया, वह क्या किसानों को वापस दे दिया गया ? यदि आज भी उसका हिसाब किया जाय तो हर तहसील में आप इम्बेजिलमेंट पायेंगे, जहां दो, चार लाख रुपया इकट्ठा हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह भ्रान्त धारणा उनकी थी, आज शायद न हो, हालांकि मैं ठीक से नहीं जानता क्योंकि वह अपने कागज पत्र बड़ी पोटली में रखते हैं। मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहूंगा कि उन्होंने कोई बड़ी रिपोर्ट दी है प्लानिंग कमीशन को और बोलचाल तो उन दोनों में होगी ही, वे जा कर उस रिपोर्ट को पढ़ लें। मैं उससे गाइड नहीं होता। मैं ऐसा नहीं समझता कि जो उन्होंने लिखा है वह ब्रह्म वाक्य है, लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि जो बातें कही गयी हैं वे जरूर विचार करने योग्य हैं और उसे पढ़ने के बाद ही आप चरणसिंह जी को कोट करें, १० वर्ष पहले के। उसके बाद कोआपरेटिव फार्मिंग आयी, फिर यह एग्रेरियन रेवोल्यूशन हो रहा है इसमें उनकी क्या राय है, यह पूछिये।

मैं श्रीमन, अन्त में यह कहना चाहता हूं कि डेमाक्रेसी की हिफाजत के लिये और इस देश में अच्छी परम्परायें कायम रहें और नियोजन के प्रति लोग उदासीन न हों, नियोजन में लोगों की रुचि बनी रहे, इसके लिये कृपा कर इस विधेयक को सरकार वापस ले ले। हम ने इस समय कहा है कि यह जनमत के लिये भेजा जाय, लेकिन इसका यह मंशा नहीं है कि टैक्स लगाया जाय। हमने कहा है कि जनमत से लौट कर आये तो जहां लागू होने की बात है वहां हमारा अमेंडमेंट है कि सिर्फ रानीखेत के दक्षिणी क्षेत्र में यह लागू हो। आप समझ रहे हैं कि हमारा मतलब क्या है ? यह बड़ा स्पष्ट है।

(व्यवधान)

बहराइच की बात मैं नहीं कहूंगा। हमने रानीखेत की बात इसलिये रखी है कि वहां ८ या १० एकड़ से ऊपर के बहुत कम लोग मिलेंगे और बाकी जगहों के लिये मैं कह दूं जहां हमारी हार हुई हो वहां यह लागू किया जाय, यह मुनासिब न होगा। इसलिये मैं अगर कहूं कि ठाकुर साहब के क्षेत्र में यह लागू किया जाय.....

हुकुमसिंह विसेन—हमारे और आपके दोनों के यहां लागू कर दिया जाय।

श्री गेंदासिंह—मैं नहीं चाहता और आपको कोई हक नहीं है। जिसको आपने कुछ नहीं दिया है उससे आप कुछ लेने के हकदार नहीं हैं। जिसको आपने दिया है, उससे लीजिये और इसके लिये हम रास्ता बतलाने को तैयार हैं। शुगर और एलेक्ट्रिसिटी के नेशनलाइजेशन की चर्चा हो चुकी है और अगर आप बैठें और जैसा मैंने कहा कि एक राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस बुलायें तो इस में इस तरह के और सुझाव दिये जा सकते हैं कि यह यह तरीके हैं जिससे आप को टैक्स मिल सकता है। एक बात और मेरे मन में उठती है कि आखिर आपने शराब की कीमत इतनी कम क्यों रखी है ? क्यों नहीं आप शराब की कीमत बढ़ाते ? अगर आप शराबबन्दी नहीं करना चाहते तो शराब की कीमत क्यों नहीं बढ़ाते ? उससे आपको धन मिलेगा और आपसे मैं कहता हूं कि इण्टरटेनमेंट टैक्स क्यों गोलमाल कर रखा है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको रास्ते बतलाये जा सकते हैं ताकि आपको धन मिल सके, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिये।

मेरी अन्तिम बात यह है कि जो आपका थर्ड फाइव-ईयर प्लान का आब्जेक्ट है और जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल आफ स्टेट पालिसी है, इनको कृपा करके फिर से पढ़ डालिये। उसको पढ़ने के बाद आप बहस कीजिये ८, १०, १२ एकड़ पर टैक्स लेने के लिये। मैं समझता हूं कि वह बहस जरा लज्जतदार होगी और हम दोनों को ही मजा आयेगा। यहां पढ़कर कितने आते हैं ? लेकिन आप एप्रिशियेट नहीं करते हैं। इसलिये आप समझ लीजिये

यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लीजिये । इसमें इज्जत का सवाल नहीं है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपने आठ एकड़ तक फैसला किया है अब वह चाहे जिस वजह से किया हो, पब्लिक ओपिनियन का नाम मैं नहीं लूंगा ....

कुछ सदस्य—नहीं, नहीं, लीजिये....

श्री गैंदासिंह—नहीं, नहीं लूंगा । तो आप जिस वजह से भी फैसला किये हों, मैं समझता हूं उन्हीं वजूहात को लेकर आप इस पूरे विधेयक को वापस ले लीजिये । सवाल पैसे का है । कहां से आवेगा पैसा ? और मैं नहीं जानता हूं कि दस करोड़ आपका अन्दाजा है या तीन करोड़ अन्दाजा है, जितना अन्दाजा है, यह तो बताना चाहिये । आज मान लीजिये कि ३, ४ करोड़ रुपया आने वाला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो प्लानिंग कमीशन के सामने गये थे और प्लानिंग कमीशन ने शायद यह भी कहा था कि हम मैचिंग ग्रांट का तकाजा आपसे नहीं करेंगे । आप अगर खर्च करना चाहते हैं तो करिये, नहीं खर्च करना चाहते हैं तो न करिये, उसके बदले में जो सेंट्रल ग्रांट का रुपया आने वाला है उसमें कमी न होगी । मैं अगर गलत कह रहा हौऊं तो इस बात में सुधार कर दीजिये । मैं एक बात यह कहूं कि आप बड़े आदमियों से लेने में डरते हैं और देखें कि यह बीमारी कहां से शुरू हुई है । आप दिल्ली से डरते हैं । आप जितने पक्के मकान हैं लोहे-लक्कड़ वाले, उनसे डरते हैं । आप उनसे लेना चाहते हैं जो मुलायम हैं, जो बैल-गाय पालते हैं, जो धरती की सेवा करते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं । आपको उन्हें पकड़ने में दिक्कत नहीं होती । आप देखें कि दिल्ली में जो पहली योजना बनी वह १९६० करोड़ की थी । हमारी सरकार बड़ी कमासुत है । आगे की बात नहीं कहूंगा, वह देहात में कही जाती है । यह सरकार बड़े लायकमन्द लोगों की सरकार है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता । लेकिन १९६० करोड़ में से आप केवल डेढ़ अरब लाये । क्या प्रपोर्शन था ? क्या अनुपात था ? फिर ४,६०० करोड़ की दूसरी योजना बनी और उसमें से आप २ अरब ५३ करोड़ ला पाये यह कौन-सा अनुपात था ? पब्लिक सेक्टर में जो ४,६०० करोड़ खर्च हुआ दिल्ली से उसके सामने आपकी कुछ नहीं चली । हमारे सामने तो आप इस समय एकदम बिल्कुल शेर हैं, लील जायेंगे, अगर कुछ हम कहते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं और उनके सामने आप भीगी बिल्ली हो गये और वहां से केवल २५३ करोड़ ले आये । फिर आपने सोचा कि इस बार ज़रूर शिकार मारेंगे । आप फिर तिबारा प्लानिंग कमीशन के सामने बड़े और जोर के साथ गये और ७५ अरब की योजना में से ५ अरब–४ अरब ९७ करोड़ ले कर आये । यह भी १५वां हिस्सा होता है । हिसाब जोड़ने में आप हमसे ज्यादा माहिर हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—सेंट्रल प्लान के लिये अलग मिलेगा आपको ।

श्री गैंदासिंह—जिस समय वह बोलें उनको यह बतलाने की इजाजत दे दी जाय कि उसका उत्तर प्रदेश में कितना रुपया खर्च हुआ और अन्य प्रदेशों में कितना खर्च हुआ । मैं समझता हूं कि उसमें भी आप मुंह की खायेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुंह से तो सभी खाते हैं ।

श्री गैंदासिंह—मैं कभी गलत बात नहीं कहता । असल में मैं कह देता हूं इसलिये आप झुंझला जाते हैं । तो ७५ अरब में ५ अरब मिला और जब यह सवाल आया कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा रेज करेगी तो कुल ६ अरब १० करोड़ रेज करना था स्टेट गवर्नमेंट्स को । श्रीमन्, इस ६ अरब १० करोड़ में से हम लोगों ने १४७ करोड़ कबल किया । उसमें से ३८ करोड़ आप इकट्ठा करेंगे । लेकिन १०९ करोड़ टैक्स लगायेंगे और इकट्ठा करेंगे । अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं । आप कृपा करके हमको यह बतायें कि पिछले २ वर्षों में जो प्लान पीरियड गुज़र चुका है, उसमें एडीशनल टैक्सेशन से आपने कितना रुपया रेज कर लिया ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं । मैं आपके सामने श्री गुलजारी लाल नन्दा की बात पेश करना चाहता हूं । जब प्लानिंग पर डिसशकन हो रहा था दिल्ली

[श्री जगवीर सिंह]

भारतीय कांग्रेस ने जो कमेटी बिठाई थी और जो रिपोर्ट उनकी है, उसमें उनका क्या विचार था, क्या लिखा है, वह रखना चाहता हूं।

"Tax burden should fall primarily on those whose capacity to pay is greater and whose income increases as a result of the programmes of development which are undertaken."

यानी टैक्सों का बोझ उन्हीं लोगों पर पड़ना चाहिये जो कि उसको देने का क्षमता रखते हैं और जिनकी आमदनी इस डेवलपमेंट के काम से बढ़ी है। मैं इसी पैमाने पर इस टैक्स को नापने का प्रयत्न करूंगा।

हमारी दो प्लांस खत्म हो गयीं। तीसरी प्लान में पदार्पण है। हमें देखना होगा कि जब तीसरी प्लान के लिये हम पैसा चाहते हैं तो किससे लें। यह देखना होगा कि अगर किसान से पैसा चाहते हैं तो उसकी हालत में पिछली दो प्लांस के अन्दर हम कितना सुधार कर पाये हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली दोनों प्लांस के बाद गांव में रहने वालों की आमदनी घटी है। इन दोनों प्लांस के पहले गांव में रहने वालों की आमदनी २१०·६ रुपय थी, और इन दोनों प्लांस क समाप्त होन पर १९१·१ रह गयी, जब शहर में रहने वालों की आमदनी दोनों प्लांस से पहले सन् १९५०–५१ में ५४१·९ थी, जो इन के समाप्त होने पर ६६५ रुपये हो गयी। अब देखना होगा कि आमदनी बढ़ती है शहरों में, और टैक्स की लगाने की सोचते हैं गांवों में। यह न्यायसंगत बात नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि गांव वालों को भी योगदान देना चाहिये इस तृतीय योजना में, परन्तु जो मित्र यह कहते हैं कि गांव वालों पर टैक्स नहीं है, वे भ्रम में हैं और उनकी वह भूल है, अभी हमने यात्रा कर लगाया, क्या उसका बोझ गांव वालों पर नहीं पड़ेगा? क्या गांव वाले उसमें सफर नहीं करेंगे? वह टैक्स उन पर भी पड़ेगा।

मुझे शहर वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां भी सुधार हो। गांव तथा शहरों में, दोनों जगह सुधार होने से ही हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है और उसकी हालत सुधर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि आखिर गांव में रहने वालों की हालत अच्छी हुई या खराब? मेरा निश्चित मत है कि उनकी हालत अच्छी नहीं हुई ह, बल्कि उसमें कुछ खराबी हुई है। यह भी कहा जाता है कि गांव में आज पक्के मकान हैं, साइकिलें हैं, और कहा जाता है कि उनके पास अच्छे किस्म के वस्त्र ह। परन्तु उसके कारण हैं? अगर साइकिलें देहात में बढ़ी हैं तो वे कोई खुशहाली की अलामत नहीं है। शहर में बेंचने के लिये साईकिलों पर हम दूध ले जाते हैं। हमारे दूध को शहर वाला पीता है। तो हमारी हालत अच्छी हुई या बुरी? आज हमारी यह हालत नहीं है कि हम अपनी बहन-बेटी की शादी में स्कूटर या कार दे सकें। हमको साईकिल देनी पड़ती है। तो साईकिल देने वाले की हालत अच्छी है या स्कूटर और कार देने वाले की हालत अच्छी है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं।

हां, एक बात जरूर कही जा सकती है, और कही जाती है, कि गांव का रहने वाला भी इस तृतीय योजना में कुछ न कुछ योगदान क्यों न दे। मैं चाहता हूं कि अगर इस टैक्स को इस तरीके से न रखा जाय और हम गांव में चलें और कहें कि हमें योगदान दो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा चाहिये, तो मेरा अपना निश्चित मत है कि गांव के लोग उसमें पीछे नहीं रहेंगे।

गांव में रहने वालों की हालत का हम एक तरह से और अन्दाजा लगा सकते हैं। मैंने बजट पर बोलते समय इसी वर्ष सदन में कहा था कि गांव में रहनेवाले की हालत यह है कि अगर वह शहर में जाता है और अगर उस एक साड़ी की आवश्यकता है तो एक साड़ी खरीदता है और

एक जोड़े जूते की आवश्यकता है तो एक जोड़ा जूता खरीदकर चला आता है। मेरा अभिप्राय यह है कि गांव में रहने वाला रिटेल में खरीदता है और अपना सरप्लस होलसेल में बेंचता है। अगर हम रिटेल और होलसेल की कीमतों को देखें तो हम निश्चयात्मक तरीके से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज किसान की हालत अच्छी नहीं हुई है, खराब ही हुई है।

अध्यक्ष महोदय, माल मंत्री जी ने ऐलान किया कि ८ एकड़ तक की जोत माफ की जावेंगी। इससे किसी भी समझदार आदमी को हर्ष होना चाहिये। लेकिन क्या हमारा विश्वास है कि ८ एकड़ से ज्यादा वाला अधिक कमाता है ? आदरणीय त्रिलोकीसिंह जी का, जो यहां नेता विरोधी दल रह चुके हैं, एक आर्टीकिल आया था जिसमें था कि १० एकड़ तक के किसान को कुछ हानि रहती है साल में। एक सर्वे कराया गया मेरठ और मुजफ्फरनगर का, जिसमें यह तय पाया कि ५ एकड़ तक का किसान निश्चयात्मक तरीके से नुकसान में रहता है और उसकी इकानामिक होल्डिंग नहीं है। मेरी बदकिस्मती है कि गेंदासिंह जी इस समय नहीं हैं, चले गये। वह बहुत बातें कहा करते हैं किसानों की। लेकिन आज वह कहना भूल गये कि इस बिल में एकड़ का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें कैपीटल वैल्यू का जिक्र है। जैसा माल मंत्री जी ने कहा था, उनका ओपिन माइंड है और किसी वजह से यह भूल हो गई है तो एक एकड़ का १२५ रुपये मानने से ८ एकड़ के लिये क्या होगा ? हो सकता है कहीं कहीं ८ एकड़ से ज्यादा पर माफ हो। लेकिन क्या पश्चिमी जिलों के किसानों की भी ८ एकड़ तक माफ होगी ? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरठ कमिश्नरी के किसानों का तो चार साढे चार एकड़ का ही एवरेज आयेगा और कहीं कहीं तो ढाई तीन एकड़ ही आयेगा। इसलिये माल मंत्री जी आज स्पष्ट रूप से ऐलान करें कि ८ एकड़ से कम के किसान पर, चाहे वह पश्चिम का हो या पूर्व का हो, कहीं भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

मैं माननीय गेंदा सिंह जी से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ पूर्व की बात कही लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ पश्चिम की बात भी कहनी चाहिये थी, जिनके ऊपर पानी का रिबेट वापस लेने से तो पौने दो करोड़ रुपया बढ़ गया। माननीय वित्त मंत्री जी तथा और माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि जहां तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है, केवल आगरा और मेरठ कमिश्नरियों से ही, ७८ प्रतिशत सेल्स टैक्स वसूल होता है और वित्त मंत्री जी जिस कमिश्नरी से पधारे हैं, वह जितना सेल्स टैक्स देता है उतना तो केवल एक हापुड़ की मंडी दे देती है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि अगर सेल्स टैक्स देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा पश्चिम का किसान देता है, आबपाशी का सबसे अधिक पैसा पश्चिम का किसान देता है लेकिन जब माफी में कमी की बात आती है तो माननीय गेंदा सिंह जी पश्चिम के किसानों के लिये कुछ नहीं कहते। इसलिये उनके भाषण को सुन कर मुझे सबसे बड़ी निराशा हुई। वे पूर्व की तो बहुत बातें किया करते हैं लेकिन क्या उनका विश्वास है कि पश्चिम का ढाई एकड़ का किसान टैक्स दे सकता है ? उनको यह बात जरूर कहनी चाहिये थी। मैं नहीं समझ सकता कि उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आयी और किस लिये उन्होंने यह बात नहीं कही।

अध्यक्ष जी, एक बात और कही जाती है कि यह टैक्स यहां इसलिये लगाया जा रहा है क्योंकि और सूबों में भी यह टैक्स लगाया गया है। मध्य प्रदेश में लगाया गया है लेकिन वहां १० एकड़ तक छूट दी गयी है। चौधरी चरणसिंह साहब ने सवा ६ एकड़ से अधिक को अनएकोनामिक होल्डिंग कहा है। जहां तक सीलिंग के कानून की बात है, आपने ४० एकड़ की ३,६०० रुपया की आमदनी माना है। उस हिसाब से लगाया जाय तो १३ एकड़ के लगभग १,२०० रुपया की आमदनी होती है। इस तरह से १३ एकड़ को अनएकोनामिक होल्डिंग होगी और मैं समझता हूं वह अनएकोनामिक होल्डिंग है। क्यों हम चौधरी साहब की राय को महत्व दें ? उसी रिपोर्ट में आगे चल कर १० एकड़ को अनएकोनामिक होल्डिंग माना है लेकिन मेरा विचार है कि साढे बारह एकड़ तक अनएकोनामिक होल्डिंग है और इस साढ़े बारह एकड़ तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये।

[श्री जगबीर सिंह]

जहां दूसरे प्रांतों की बात है, मैं केवल पंजाब से अपने प्रांत की तुलना करना चाहता हूं क्योंकि वह हमारे प्रदेश के बराबर ही है। पंजाब से हमारे यहां लैन्ड रेवेन्यू दुगुना है। हमारे यहां वहां से होल्डिंग कम है, पैदावार कम है। दूसरे जहां हमारे प्रदेश और पंजाब की सीमा मिलती है तो हम देखते हैं कि पंजाब के देहात में बिजली जलती है और हमारे देहात में दीपक भी नहीं है। तो मैं नहीं जानता कि पंजाब से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। पंजाब में अगर लैन्ड रेवेन्यू को दुगुना कर दिया जाय तो भी मेरा निश्चित विश्वास है कि हमसे ज्यादा नहीं होता है।

एक बात और कही गयी और मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि इसको हम लैन्ड रेवेन्यू मानें या टैक्स मानें ? अगर हम इसको टैक्स मानते हैं तो टैक्स का मूलभूत सिद्धांत है कि हम इतनी आमदनी तक टैक्स न लगावें। तो मैं जरूर चाहता हूं कि अगर इसको टैक्स माना जाय तो १,२०० रु० तक की आमदनी पर कोई टैक्स न लगे जैसा कि इनकम टैक्स में होता है कि किसी की आमदनी १० लाख रुपये हो तो भी ३,६०० रुपये तक की आमदनी माफ रहती जिसके ऊपर ही टैक्स लगता है। इस तरह की सीमा इसमें भी कोई निश्चित कर दें कि चाहे किसी के पास ३० या ३० एकड़ भी जमीन होगी तो जिसका ८ एकड़ या साढ़े १२ एकड़ जितना भी मंत्री जी निश्चित करें, टैक्स से मुक्त रहेगा। अगर लगान मानते हैं तब तो लगान डेढ़ गुना होगा। तो मैं आपसे बड़े दुख के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा यह वचन भंग करना होगा और आज भी मैं अपने इस विश्वास पर दृढ़ हूं।

श्रीमन्, एक बार कनफूसियस से किसी ने पूछा था कि सरकार चलाने के लिये क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि उसके लिए चार चीजें बड़ी आवश्यक हैं। फौज, मैन पावर, खाना और जनता में उसके प्रति विश्वास। उनसे पूछा गया कि अगर इन चार चीजों में से एक को निकाल दिया जाय तो ? उन्होंने कहा कि बगैर फौज के हम हुकूमत कर सकते हैं। और अगर एक चीज निकाल दी जाय ? तो उन्होंने कहा कि मैन पावर न हो तो भी गवर्नमेंट का काम चल सकता है, एक चीज और निकाल दी जाय तब ? इस पर उन्होंने कहा कि खाना बगैर भी काम चल सकता है लेकिन अगर जनता का विश्वास कम हो जाय तो उस वक्त हुकूमत नहीं चल सकती है। मेरा आज यह निश्चित विचार है कि अगर आप इसे टैक्स मानते हैं तो माननीय मंत्री जी टैक्स की एक सीमा अवश्य निश्चित कर दें कि चाहे किसी के पास ३५,४० या जितना भी एकड़ खेत हो उसमें से इतना एकड़ माफ रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज कहा जाता है कि बड़े बड़े काश्तकारों पर यह टैक्स लगाया जा रहा है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आज भी सीलिंग के बाद कोई कह सकता है कि हमारे यहां बड़े बड़े काश्तकार हैं ? यह हो सकता है कि आप सीलिंग ऐक्ट को इनफोर्स न कर पाये हों, तो आपको चाहिये कि वहां सीलिंग को इनफोर्स कर दें और बड़े बड़े काश्तकारों को खत्म करें। मेरी बातचीत माननीय जेड०ए० अहमद साहब से हो रही थी तो जिन्होंने कहा कि आज देहातों में जो दूसरे को लूटने वाले बड़े बड़े किसान हैं उनके ऊपर हम चाहते हैं कि जरूर टैक्स लगे। मैं भी उनसे इसमें इत्तफाक करता हूं कि ऐसे लोगों पर टैक्स लगे लेकिन आज देहातों में इस किस्म के किसान हैं ही कहां ? आज बड़े बड़े किसानों के नाम पर छोटे किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। आज उन किसानों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो आज छोटे छोटे कामों के लिये कर्जा लेते हैं, मैं समझता हूं कि यह अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कह देना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने यहां बोलते समय कहा कि हमारे किसान आज सूर्य की धूप में बैठ कर चाय पीते हैं। मैं समझता हूं कि उन दोस्तों को देहात का ज्ञान नहीं है क्योंकि आज बहुत से किसान चाय नहीं पीते हैं। यह

जरूर है कि दूध का गिलास छोड़ कर उन्हें चाय का गिलास उठाना पड़ा हो। फिर भी वे चाय नहीं पीते हैं। आपका ज्यादा समय न लेकर यह जरूर चाहूंगा कि इस बिल में जो दो तीन बातें कही गयी हैं उन पर विचार हो। पहली बात तो यह कही गयी है कि यह बिल पहली जुलाई, ६२ से लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस क्लाज से किसानों को बहुत तकलीफ होगी। माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और अगर उन्होंने टैक्स लगाने का निश्चय कर ही लिया है तो इस विधेयक को रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट न दिया जाय। रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के माने यह होंगे कि आप एक बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ कर रहे हैं। इस में यह भी कहा गया है कि किसान अपना हिसाब देगा। मुझे मालूम हुआ है कि मन्त्री जी अभी विधेयक में कुछ रेडिकल चेन्जेज करने जा रहे हैं तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह उसमें से यह हिसाब का भी क्लाज निकाल दें। जिस समय यहां पर मैं १९५८ में उधर से बोला था और यहां लार्ज होल्डिंग्ज टैक्स बिल पेश था तो उस समय भी मैंने माननीय चौधरी चरण सिंह जी को इस पर बधाई दी थी और कहा था कि उन्होंने उस बिल में से हिसाब की क्लाज को निकाल कर बहुत बड़े होने वाले करप्शन को खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी भी इस हिसाब के क्लाज को निकाल कर इसे सीधा कर दें और अगर ऐसी क्लाज रह गई तो पटवारी, कानूनगो और दूसरे लोगों पर ही किसान को इतना व्यय करना होगा कि वह लुट जायगा और अगर कहीं मुकदमेबाजी छिड़ गई तब तो हो सकता है कि जितना उसको ३० साल में टैक्स का देना पड़े उतना वह एक साल ही में खत्म कर देगा। इसलिये जैसे भी हो वह हिसाब की क्लाज को खत्म करने की बात सोचें। यह भी इसमें कहा जा रहा है कि यह ५ साल के लिये लगाया जा रहा है और यह मियाद और भी बढ़ सकती है। मैं चाहता हूं कि यह मियाद ३ साल की की जाय और जिस समय हम यह देखें कि जो टैक्स आता है उस से किसानों की हालत सुधर रही है और अगर हम देखें कि वास्तव में इन ३ सालों म किसानों की हालत सुधरी है तो उनको अधिकार होगा कि वह इस मियाद को बढ़ा दें लेकिन शुरू में ही ५ साल का समय रखना उचित नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत हो तो वहां भेजें या जरूरी संशोधन वह स्वयं ही इसमें करें और अगर इन जरूरी संशोधनों के बिना इस कानून को लागू किया जायगा तो किसानों के साथ, उनकी सन्तान के साथ और जनता के साथ अन्याय होगा।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि इस बिल की अच्छाई बुराई पर बहस करने का समय अभी नहीं आया है। अभी तो प्रश्न सामने केवल यह है कि आया इस को जनमत के लिये प्रसारित किया जाय या नहीं और अगर किया जाय तो क्यों किया जाय। इसके पहले कि मैं इस बात का समथन करूं कि हां, इसको ६ मास के लिये जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, मैं एक बात माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल की रूपरेखा अभी सामने नहीं आई है और ऐसी हालत में इस बहस का तारतम्य भी कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन चूंकि आप ने अनुमति दे दी है कि इस पर बातें कुछ करना है इसलिये मैं इस बात को छोड़ता हूं और मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय। इसके कारण इस प्रकार हैं। दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता और वह यह हैं कि पिछले चुनाव में सरकारी पक्ष को केवल ३५ प्रतिशत जनमत का समर्थन मिला था, यह बात जरूर है कि वैधानिक तौर से आप यहां बहुमत में हैं और वैधानिक तौर से आप को सरकार चलाने का अधिकार है लेकिन फिर भी उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता केवल ३५ परसेंट समर्थन देकर आपको यहां भेज सकी है। दूसरी चीज जिसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं वह यह है कि किसानों के ऊपर किसी तरह का कर लगान या टैक्स किसी भी नाम से लगाने की कोई बात आपके मैनिफैस्टो में नहीं है और न आपने अपने प्रचार में वोट लेते समय इस बात का जिक्र किया था। यह दो बातें ऐसी बड़ी हैं कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका यह दावा गलत हो जायगा कि आप जनमत का आदर करते हैं। जब कभी ब्रिटेन में इस तरह के प्रश्न उठे हैं, जो प्रजातन्त्र का मदरलैंड कहा जा सकता है, जो जनता के सामने नहीं थे और ऐसे अहम मसले जब सामने

[श्री महादेव]

आये तो उन पर जनमत लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे प्रदेश में इस बिल को लेकर के एक उथल-पुथल मची हुई है और मचने जा रही है और इसलिये ऐसे अहम मसले को केवल यह कह करके कि जनता ने हमको बहुमत में भेजा है और इसलिये हम उसको जनमत के लिये नहीं भेजेंगे, पता नहीं यह किस तरह से जनमत का आदर कहा जायगा।

लेकिन इसके सिवा कुछ और भी कारण है और काफी बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आप को इसे जनमत के लिये भेजना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब है कि वह कांग्रेस जिसने सन् २१ से जनमत के बल पर, कोई हथियार नहीं, कोई तोप नहीं, कोई सेना भी नहीं, केवल जनमत के बल पर इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला किया, वह आज जनमत से डर रही है। जिसने जमींदारी ऐसी प्रथा को केवल जनमत के बल पर हटाया, वह आज उससे डर रही है। वह कांग्रेस जो सन् ४६ में, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, जहां केवल एक मुसलिम लीग पार्टी को छोड़कर सारे भारत में कांग्रेस के मुकाबले में कोई चुनाव लड़ने का साहस भी नहीं करता था, वह कांग्रेस आज जनमत से डर रही है। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से विशेषकर और कांग्रेसी बन्धुओं से आम तौर से मेरी अपील है कि जनमत से भागने का एक ही कारण हो सकता है कि आपको अपने पर, अपनी जनता पर विश्वास नहीं है, आपको उस बात का विश्वास नहीं जिसको लेकर आज आप सदन के सामने उपस्थित हैं। एक ही कारण हो सकता है। और कोई कारण नहीं है कि आप जनमत से क्यों भाग रहे हैं। आपको चैलेंज करना चाहिये अगर आप समझते हैं कि योजना को सफल करने के लिये यह आवश्यक है कि किसान भी अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा दे, तो आपको किसान के सम्मुख जाना चाहिये। लेकिन आप क्यों इससे हिचकते हैं? इसका क्या कारण है? अगर आप उसको इस बात के लिये समझा नहीं सकते हैं तो फिर नैतिक तौर पर आपको उसके ऊपर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

इससे भी बड़ा एक कारण और है। वह यह है कि महात्मा गांधी ने जिस समय काश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ तो यह सर्वविदित बात है कि ५५ करोड़ रुपया पाकिस्तान का हमारे खजान में जमा था। हमारे नेताओं के द्वारा यह हुआ कि चूंकि उसने हमारे साथ ज्यादती की है इसलिये हमें उस रुपये को नहीं देना है। लेकिन यह भूलने वाली बात नहीं है कि पूज्य बापू ने हमारी सरकार की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये आमरण अनशन कर दिया। और एक आप हैं कि आप अपनी प्रतिष्ठा को इतने नीचे गिराना चाहते हैं कि १० साल पूर्व खुले आम जो प्रचार चुनाव के समय आपने किया उसी पर आप लौट रहे हैं। यह बात दूसरी है कि आप उसको लगान का नाम न दे कर के टैक्स का नाम दे दें लेकिन यह कोई ऐसी दलील नहीं है जिसको निहायत लचर दलील न कहा जाय। यह कोई बहाना नहीं है, शब्दों के जाल में आप जनता को इस तरह धोखा नहीं दे सकते। वह यही समझेगी कि आपने हमारे लगान को डेढ़ गुना, दुगना किया और आपने १० साल पूर्व यह वायदा किया था कि हम किसी प्रकार का लगान या टैक्स किसानों पर नहीं लगायेंगे। मान्यवर, यह छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है; सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका प्रभाव न केवल इस सरकार पर बल्कि कोई भी सरकार जो आयेगी उसके ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता। सरकार जनता की नुमाइन्दा है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। आप उसे क्यों तोड़ रहे हैं, और वह भी केवल चन्द करोड़ रुपयों के लिये? इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की हानि करके जो घाटा आपको होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कई अरबों रुपये भी उस घाटे की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। आप इसको साधारण बात न समझें। मेरी अपील है कि आप १० साल पहले जिस तरह से किसानों से कह चुके हैं उससे पीछे हटने का प्रयास न कीजिये। यह आपके लिये, आइन्दा आने वाली सरकारों के लिये, देश के भविष्य के लिये, प्रजातन्त्र के लिये, सब के लिये एक बड़ी खतरनाक चीज होगी।

आप कह रहे हैं ८ एकड़ छोड़ रहे हैं लेकिन देश का किसान फौरन आपको जवाब देगा, आपकी बात का क्या ठिकाना है ? कल तो आप कह रहे थे ४० साल तक टैक्स नहीं बढ़ायेंगे और आज आप ८ एकड़ लेकर आ रहे हैं, अगले साल ५ एकड़ कर दें, उसके बाद सारे पर लगा दें, सारी जमीन छीन लें, आपकी बातों की क्या वक़्त है ? यह विश्वासहीनता साधारण चीज नहीं है। और मुश्किल यह है कभी-कभी उधर से राजे, महाराजों की बात आती है, नवाबों की बात आती है। मान्यवर, यह तो जमाने की चीज होती है, पेड़ पूजा से लेकर एक ईश्वरवाद तक, मार्टिन लूथर की धर्म क्रान्ति से लेकर स्वामी दयानन्द तक, फ्रांस की राज्य क्रान्ति से लेकर रूस की क्रान्ति तक, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी भी तरह की रही हो, सामन्तवाद अपने जमाने की जरूरत थी क्योंकि अगर जरूरी चीज न होती तो अस्तित्व में आ नहीं सकता था। हरएक चीज का एक समय होता है, समय की मांग होती है उसके अनुसार उसकी स्थापना होती है। लेकिन दिक्कत यह होती है जब वह उसको ईश्वर की देन समझ लेता है, चाहे बादशाह का ऐलान हो कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, चाहे धर्माधिकारियों की बात हो कि उसकी बातें ईश्वर की बातें हैं, और चाहे सामन्तशाही की हो, चाहे साम्यवाद की हो, चाहे नाजियों की हो, और चाहे वह आज आपकी बातें हों, जब लोग समझ लेते हैं कि जो बातें उनकी हैं वे ईश्वर की दी हुई हैं और उस पर किसी को एतराज करने का अधिकार नहीं है, यह भ्रम पैदा हो जाता है तो चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई वाद हो, चाहे हिटलरशाही हो, उसका जाना अवश्यम्भावी हो जाता है। सारा इतिहास इस बात का साक्षी है। तो आप कैसे समझते हैं आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं और ऐसी स्थिति में राजे, महाराजों तथा नवाबों की पुरानी कहानी कहना तो वही है जैसे डान क्विक्सोट विंड मिल पर भाला चलाया करते थे। राजा, नवाब सब समाप्त हो गये। देश के सामने आज नये सवाल हैं, पुरानी बातों को कहने से लाभ क्या ? यह तो वही है जैसे कभी-कभी हमारे लोग कहते हैं यह तो हवाई जहाज बना रहे हैं, हमारे बाप दादा उन पर बहुत पहले उड़ रहे थे। इससे कोई संतोष नहीं है। आज की जो समस्यायें हैं उनको सामने रखना है। किसी जमाने में ब्रिटिश सरकार और जमींदारी प्रथा की समस्यायें थीं, लेकिन आज आपका लेखपाल एक समस्या है, भ्रष्टाचार एक समस्या है, इन सब समस्याओं को सामने रखना चाहिये। पुरानी चीजों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक जनमत का प्रश्न है, इस बिल पर, मैं अपनी राय प्रस्तुत करने के पहले, एक ऐसे प्रतिष्ठित मनीषी की बात कहना चाहता हूं जिसकी उच्चता और विचारशीलता पर यहाँ किसी भी माननीय सदस्य को शायद इंकार न हो। माननीय श्री प्रकाश ने पिछले दिनों एक लेख प्रकाशित करा पायनियर में, जिसके थोड़े से अंश को मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"In these circumstances, the responsibility of Government, for the peasant who produces our food himself, undergoing endless suffering in rain, sun and cold in the process, is very great. He does his work for nothing in return. He might just as well be exempted from taxation specially when the total amount he pays, is so negligible from the standpoint of Government, though heavy enough for himself. He will, of course, continue to pay to Government in a thousand other ways under excise, sales tax and other heads which should cover the cost of *kachcha pucca* roads that may be made for him or any other conveniences by way of markets, breeding bulls, and veterinary assistance that may be given to him.

When one argues this way, it is hard to be told that tenants out of their apparent prosperity must share the burden of Government by paying more taxes in the form of enhancement of revenue. The Government, to my mind, is inviting unnecessary headaches on itself by its proposals. It will only spread deep discontentment among the people without materially enhancing its income. It is better to suffer a little monetarily than create a social upheaval.

[श्री महादेव]

After all, the Five-Year Plans which we desire to finance and of which we want to make a success, are for the people. The people are not for them and if there should be a conflict the Plan should go, but the people preserved and their feelings. respected."

"हमारा किसान जो धूप, शीत और गर्मी खाकर, जाड़ा खाकर हमारे लिये अन्न पैदा करता है उसे देखते हुये हमारी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार के लिये जब इस टैक्स से थोड़ी आमदनी होगी और किसान के लिये बहुत बड़ा बर्डन होगा तो यह टैक्स नहीं लगना चाहिये। तरह-तरह से किसान टैक्स देता है और आप बदले में उसको कच्ची पक्की सड़क या थोड़े से साँड़, गाँव में दे देते हैं जो उसके लिये काफी है। बिना मतलब सरकार एक झगड़ा अपने सर पर ले रही है। थोड़े से धन की भले ही कमी हो जाय लेकिन इतना बड़ा वितंडावाद पैदा करना उचित नहीं है। सारा प्लान जनता के लिये है और जनता उस प्लान के लिये नहीं है। अगर दोनों के अन्दर कोई संघर्ष हो तो जनता को रख लिया जाय और प्लान को जाने दिया जाय।"

यह श्री प्रकाश जी की राय है, वह कितने बड़े विचारक हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं और कितने बड़े सेनानी रह चुके हैं और हैं, यह किसी से छिपी बात नहीं है। राजनीति से तटस्थ हैं। उनका कोई सीधा सम्बन्ध भी राजनीति से नहीं है। एक महर्षि की तरह एकान्त में बैठे हुये जो दशा उन्होंने देखी तटस्थ व्यक्ति की तरह से, एक विचारक की हैसियत से, उसे हमारे सामने रखदी। अगर ऐसे लोगों की भी बात का वजन हमारे सामने नहीं रहेगा तो मैं नहीं समझता कि किस की बात का वजन होगा?

श्रीमन्, एक प्रश्न तो था सरकार की प्रतिष्ठा का और दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों इस बिल को जनता के समक्ष उसकी राय जानने के लिये जाना चाहिये। सरकार ने पिछले १५–२० साल के अन्दर अनेक छोटी-छोटी प्लानों को जन्म दिया और अब उसे यह सिद्ध करना है उस जनता के सामने कि अब वह जो करने जा रही है उसमें भी वही धोखा नहीं होगा जो अब तक होता आया है। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि सन् ३७ की जो मिनिस्ट्री आयी तो ग्राम सुधार चला। बड़े जोश के साथ गाँवों के अन्दर वालंटियर काम करने लगे और इतना जोश-खरोश फैला कि गाँव वालों को मालूम होने लगा कि दरअसल हमारा स्वराज्य आ गया है, सरकार के आदमी हमको उठाने के लिये दौड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ने सन् ३९ में इस्तीफा दिया, उसके साथ ही ग्राम सुधार भी ठप्प हो गया। सन् ४६–४७ में जब फिर मिनिस्ट्री आयी तो लोगों ने सोचा कि अब शायद फिर कोई उसी तरह की चीज सामने आये। ग्राम सुधार का नाम छोड़ दिया गया, नयी चीजें सामने आयीं। पहले रक्षा दल आया। आपको स्मरण हो या न हो, मैं आपको स्मरण दिला दूं, माननीय पंत जी ने उस समय कहा था कि अकेले रक्षा दल से सारे पाकिस्तान की फौज का मुकाबला हमारा प्रदेश कर लेगा, हमको कोई फौज रखने की जरूरत नहीं होगी और आज चिराग को लेकर अगर उसके अस्तित्व को ढूंढा जाय तो वह कहीं नहीं मिलेगा। फिर जिस समय माननीय चौधरी चरणसिंह ने पटवारियों को हटाने का मौका लिया सारे प्रदेश के किसानों में एक आशा फैल गयी थी कि एक बहुत बड़ा मर्ज किसानों का निकल गया। उसके बाद जब लेखपाल आये तो हमारी सरकार ने घूम कर देखा भी नहीं जो गाँव का दुहान उसने शुरू कर दिया कि वह क्या कर रहे हैं। पंचायतें जिस वक्त कायम हुईं उस समय दरअसल जनता के अन्दर एक विश्वास की भावना पैदा हुई कि पंचायतें कायम हो रही हैं, गाँव के उत्थान की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ जायगी। लेकिन वह सपना भी चकनाचूर हुआ। चकबंदी जिस समय माननीय चरण सिंह जी ने शुरू की तो किसानों के अन्दर एक लहर आयी और लोगों ने सोचा कि एक जगह चक हो जायगा तो उससे बड़ा लाभ होगा। दो, तीन साल तक माननीय चौधरी साहब ने जरूर कोशिश की कि उसको कामयाब बनायें, भ्रष्टाचार का शिकार न होने पाये, लेकिन आज जा कर कोई देखे। मेरे यहाँ एक तहसील में सात साल हो गये, अभी तक चकबंदी समाप्त नहीं हुई। नर्क हो गया है, किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है कि हे भगवान, यह बला किसी तरह टाल दे तो अच्छा हो। तातारियों और मंगोलियों की फौज की तरह चकबंदी वाले

जनता के ऊपर टूटते हैं। यह हुआ चकबंदी का नतीजा। अब सामुदायिक विकास योजना को लीजिये। हमारे जिले में पाँच साल पहले बीकापुर क्षेत्र में फैजाबाद-इलाहाबाद की पक्की सड़क पर इधर उधर के सौ गाँव लिये गये और २१ लाख रुपया खर्च किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अन्य गाँवों की बनिस्बत वे सौ गाँव एक इंच भी ऊपर उठ गये होते तब भी २१ लाख रुपये का खर्च करना हम जायज मान लेते। (व्यवधान) मैं सारे प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं कि कितना रुपया खर्च किया गया, मैं तो उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अब सहकारी आन्दोलन जिस समय चला, है तो यह बहुत पुराना लेकिन इसको रोज नये करने की कोशिश की जाती है। जब से नेहरू जी ने कह दिया है कि सहकारी खेती जरूरी है और सरकारी आन्दोलन बहुत जरूरी है, तब से सरकार और सभी लोग इसके पीछे लग गये।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ अक्तूबर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३१ पर]

नाम	१९६०–६१		१९६१–६२		
	वसूल होने वाली राशि	वसूल की गई राशि	वसूल होने वाली राशि	वसूल की गई राशि	स्टाफ
लखनऊ ..	६०,७५,७९७	१५,७८,७३८	६७,३९,५८४	१३,४१,६८५	अफसर ८, अन्य कर्मचारी ५७
वाराणसी ..	३२,१०,५३९	९,६१,३२१	३४,८७,७८४	१२,६१,१८०	अफसर ९, अन्य कर्मचारी ४७
गाजियाबाद ..	१३,४४,६९४	२,२०,४३३	१५,४४,१८३	१,२८,९२८	अफसर २, अन्य कर्मचारी १८

नत्थियां

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर]

क्रम-संख्या	अनुदान ग्रहीता का नाम	मद	स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
			रु०
१	श्री चिरकुटराम	.. कुटीर उद्योग सुअर पालन	२५०
२	श्री राम मिलन	.. गृह-निर्माण ..	२००
३	श्री मथुरा हरिजन	.. " "	३३०
४	श्री मेहीलाल	.. " "	२००
५	श्री हुब्बा हरिजन	.. " "	४००
६	श्री दुखी हरिजन	.. बैल क्रय हेतु ..	१००
७	श्री मिश्रीलाल	.. " ..	१००
८	श्री रोघई हरिजन	.. " ..	८३
९	श्री भगवती	.. कूप निर्माण हेतु	१००
१०	श्री हुबलाल	.. " "	४००
११	श्री रोघई हरिजन	.. " "	१००
१२	श्री दुखी	.. .. " "	१००
		कुल योग ..	२,३६३

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	आवास या पुनर्वास	पेय जल की व्यवस्था	अस्पृश्यता निवारण	कृषि उत्थान	कुटीर उद्योग
१	बरहना	..	..	..	..	..
२	सक्सडी	..	८००	१५	७७०	२००
३	काशी विद्यापीठ	..	१,५००	१५	..	..
४	भदोही	..	३००	१५	२७०	..
५	पिन्डरा	..	३५०	..	२७०	२५०
६	बड़ागाँव	..	८५०	१५	२७०	२५०
७	सुरियावाँ	..	..	..	..	..
८	चन्दौली	..	५००	..	३६०	२००
९	नौगढ़	..	८६६	..	..	२००
१०	सैवापुरी	..	५००	..	..	..
११	आरजी लाइन	..	४००	..	२७०	२००
१२	बिरईगाँव	..	३५०	..	..	२००
१३	धौलापुर	..	२५०	८०	..	..
१४	नियामताबाद	..	५००	५०	..	२००
१५	साहबगंज	..	५००	४०	७३०	४५०
१६	हरदुआ	..	..	५३५	२७०	..
१७	औराई	..	..	..	..	२५०
१८	ज्ञानपुर	..	..	..	..	२००
	योग	१९,३९९	७,२६६	७६५	३,१५०	२,६००
					कुल योग	३३,१८० रु०

प्राविधिक, व्यवसायिक और कुटीर उद्योग सम्बन्धी शिक्षा का कार्य ब्लाक स्तर पर नहीं किया जाता है। पर वाराणसी के प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में १०,४०० रु० छात्रवृत्ति के रूप में खर्च किया गया।